

धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात-जुलाई,अगस्त,सितम्बर, 2023

स्थापना आदेश,परिपत्र, कार्यालय आदेश आदि

कुल -79

[स्थापना आदेश-सं. 76 से 152,(127 जारी नहीं हुआ), 1 सतर्कता परिपत्र एवं 2 स्थापना परिपत्र

क्रम सं	स्थापना आदेश संख्या	दिनांक	कार्रवाई	
1	आदेश सं- 76/2023	12.07.2023	अनुवाद किया गया	RCR
2	आदेश सं- 77/2023	26.07.2023	अनुवाद किया गया	MK
3	आदेश सं- 78/2023	12.07.2023	अनुवाद किया गया	MK
4	आदेश सं- 79/2023	13.07.2023	अनुवाद किया गया	RCR
5	आदेश सं- 80/2023	24.07.2023	अनुवाद किया गया	RCR
6	आदेश सं- 81/2023	24.07.2023	अनुवाद किया गया	RCR
7	आदेश सं- 82/2023	24.07.2023	अनुवाद किया गया	RCR
8	आदेश सं- 83/2023	24.07.2023	अनुवाद किया गया	RCR
9	आदेश सं- 84/2023	24.07.2023	अनुवाद किया गया	RCR
10	आदेश सं- 85/2023	24.07.2023	अनुवाद किया गया	RCR
11	आदेश सं- 86/2023	24.07.2023	अनुवाद किया गया	RCR
12	आदेश सं- 87/2023	24.07.2023	अनुवाद किया गया	RCR
13	आदेश सं- 88/2023	24.07.2023	अनुवाद किया गया	MK
14	आदेश सं- 89/2023	26.07.2023	अनुवाद किया गया	RCR
15	आदेश सं- 90/2023	29.07.2023	अनुवाद किया गया	MK
16	आदेश सं- 91/2023	29.07.2023	अनुवाद किया गया	MK
17	आदेश सं- 92/2023	27.07.2023	अनुवाद किया गया	RCR
18	आदेश सं- 93/2023	29.07.2023	अनुवाद किया गया	RCR
19	आदेश सं- 94/2023	29.07.2023	अनुवाद किया गया	RCR
20	आदेश सं- 95/2023	29.07.2023	अनुवाद किया गया	RCR
21	आदेश सं- 96/2023	27.07.2023	अनुवाद किया गया	MK
22	आदेश सं- 97/2023	31.07.2023	अनुवाद किया गया	RCR
23	आदेश सं- 98/2023	31.07.2023	अनुवाद किया गया	RCR
24	आदेश सं- 99/2023	31.07.2023	अनुवाद किया गया	RCR
25	आदेश सं- 100/2023	01.08.2023	अनुवाद किया गया	RCR
26	आदेश सं- 101/2023	03.08.2023	अनुवाद किया गया	RCR
27	आदेश सं- 102/2023	03.08.2023	अनुवाद किया गया	RCR
28	आदेश सं- 103/2023	03.08.2023	अनुवाद किया गया	RCR
29	आदेश सं- 104/2023	03.08.2023	अनुवाद किया गया	RCR
30	आदेश सं- 105/2023	03.08.2023	अनुवाद किया गया	RCR
31	आदेश सं- 106/2023	03.08.2023	अनुवाद किया गया	RCR
32	आदेश सं- 107/2023	07.08.2023	अनुवाद किया गया	RCR
33	आदेश सं- 108/2023	07.08.2023	अनुवाद किया गया	RCR
34	आदेश सं- 109/2023	10.08.2023	अनुवाद किया गया	MK
35	आदेश सं- 110/2023	10.08.2023	अनुवाद किया गया	MK
36	आदेश सं- 111/2023	16.08.2023	अनुवाद किया गया	ST
37	आदेश सं- 112/2023	11.08.2023	अनुवाद किया गया	MK
38	आदेश सं- 113/2023	16.08.2023	अनुवाद किया गया	MK
39	आदेश सं- 114/2023	16.08.2023	अनुवाद किया गया	ST
40	आदेश सं- 115/2023	16.08.2023	अनुवाद किया गया	CTB
41	आदेश सं- 116/2023	16.08.2023	अनुवाद किया गया	MK
42	आदेश सं- 117/2023	22.08.2023	अनुवाद किया गया	RCR
43	आदेश सं- 118/2023	22.08.2023	अनुवाद किया गया	RCR
44	आदेश सं- 119/2023	25.08.2023	अनुवाद किया गया	RCR
45	आदेश सं- 120/2023	22.08.2023	अनुवाद किया गया	CTB
46	आदेश सं- 121/2023	08.09.2023	अनुवाद किया गया	CTB
47	आदेश सं- 122/2023	25.08.2023	अनुवाद किया गया	CTB
48	आदेश सं- 123/2023	23.08.2023	अनुवाद किया गया	CTB
49	आदेश सं- 124/2023	28.08.2023	अनुवाद किया गया	MK
50	आदेश सं- 125/2023	28.08.2023	अनुवाद किया गया	MK
51	आदेश सं- 126/2023	28.08.2023	अनुवाद किया गया	MK
	आदेश सं- 127/2023	--	जारी नहीं किया गया	

MK-34
RCR-38
CTB-5
ST-2
79

52	आदेश सं- 128/2023	08.09.2023	अनुवाद किया गया	MK
53	आदेश सं- 129/2023	13.09.2023	अनुवाद किया गया	MK
54	आदेश सं- 130/2023	13.09.2023	अनुवाद किया गया	MK
55	आदेश सं- 131/2023	13.09.2023	अनुवाद किया गया	MK
56	आदेश सं- 132/2023	13.09.2023	अनुवाद किया गया	MK
57	आदेश सं- 133/2023	13.09.2023	अनुवाद किया गया	MK
58	आदेश सं- 134/2023	13.09.2023	अनुवाद किया गया	MK
59	आदेश सं- 135/2023	13.09.2023	अनुवाद किया गया	MK
60	आदेश सं- 136/2023	13.09.2023	अनुवाद किया गया	MK
61	आदेश सं- 137/2023	13.09.2023	अनुवाद किया गया	MK
62	आदेश सं- 138/2023	13.09.2023	अनुवाद किया गया	MK
63	आदेश सं- 139/2023	13.09.2023	अनुवाद किया गया	MK
64	आदेश सं- 140/2023	13.09.2023	अनुवाद किया गया	MK
65	आदेश सं- 141/2023	13.09.2023	अनुवाद किया गया	MK
66	आदेश सं- 142/2023	13.09.2023	अनुवाद किया गया	MK
67	आदेश सं- 143/2023	13.09.2023	अनुवाद किया गया	MK
68	आदेश सं- 144/2023	13.09.2023	अनुवाद किया गया	MK
69	आदेश सं- 145/2023	13.09.2023	अनुवाद किया गया	MK
70	आदेश सं- 146/2023	21.09.2023	अनुवाद किया गया	RCR
71	आदेश सं- 147/2023	21.09.2023	अनुवाद किया गया	RCR
72	आदेश सं- 148/2023	22.09.2023	अनुवाद किया गया	RCR
73	आदेश सं- 149/2023	04.10.2023	अनुवाद किया गया	MK
74	आदेश सं- 150/2023	27.09.2023	अनुवाद किया गया	RCR
75	आदेश सं- 151/2023	27.09.2023	अनुवाद किया गया	RCR
76	आदेश सं- 152/2023	27.09.2023	अनुवाद किया गया	RCR

सतर्कता परिपत्र एवं स्थापना परिपत्र

क्रम सं	सतर्कता परिपत्र एवं स्थापना परिपत्र	दिनांक	कार्रवाई	
1	सतर्कता परिपत्र	19.07.2023	अनुवाद किया गया	RCR
2	स्थापना परिपत्र	13.07.2023	अनुवाद किया गया	MK
3	स्थापना परिपत्र	06.07.2023	अनुवाद किया गया	RCR

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2023-ESTT

दिनांक : 27.09.2023

स्थापना आदेश सं.: 152 / 2023


विषय: कार्य आवंटन - सदस्य, केरल अग्रिम निर्णय प्राधिकरण की सहायता के लिए प्रभार सौंपना - संबन्धित।

केरल राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 20) की धारा 96 की उप-धारा (1) के अनुसार, केरल सरकार ने, सरकारी आदेश G.O.(P) संख्या 123/2017/कर दिनांक 21 अक्टूबर 2017 के तहत जारी और केरल राजपत्र में एस.आर.ओ.सं.638/2017 असाधारण संख्या 2251 दिनांक 21 अक्टूबर 2017 के रूप में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, अग्रिम निर्णय सुनाने के लिए केरल अग्रिम निर्णय प्राधिकरण का गठन किया

2. सरकार अग्रिम निर्णय के लिए केरल प्राधिकरण में केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के एक अधिकारी को सदस्य के रूप में अधिसूचित करती है। अग्रिम निर्णय के लिए केरल प्राधिकरण में इस प्रकार अधिसूचित उक्त सदस्य की सहायता करने के लिए, निम्नलिखित अधिकारी को वर्तमान में उसके द्वारा धारित प्रभारों के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है: -

1. श्री शशिकुमार पी., अधीक्षक, मून्नार रेंज

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



[रानी सी.आर]

अपर आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
प्रतिलिपि:-

1. केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क इंडुक्की मंडल का उप /सहायक आयुक्त

2. अधीक्षक (सिस्टम्स), केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि।

भारतसरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि-682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/32/2023-Estt

दिनांक: 27.09.2023

स्थापना आदेश सं.: 151/2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/कर सहायक/86629)


विषय :- कर्मचारी चयन आयोग(एसएससी)के माध्यम से कर सहायक के ग्रेड में नियुक्ति- संयुक्त
स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2022 -संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 21.09.2023 की स्वीकृति पर, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं.A-12034/SSC/07/2022 -एडी-III.बी दिनांक 08.08.2023 के माध्यम से आवंटित एक उम्मीदवार श्री नितिन ओ. को अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्सके स्तर - 4 में (रु.25,500- रु.81,100)में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में दिनांक 26.09.2023 (पूर्वाहन) से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में कर सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन है।

2 श्री नितिन ओ.,को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधिको बढ़ाया जा सकता है।

3.यदिपरिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहलेया पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरानकभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता हैया ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिनाऔर भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गतया उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणाके बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा।



(रानी सी आर)

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री नितिन ओ.,
सुपुत्र सतीश बाबु,
पयमतोट्टिल हाउस,
कडलुंडी डाक, कोयिक्कोड़,
केरल - 673302

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्कएवं सीमा शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्यलेखाअधिकारी /वेतनएवंलेखाअधिकारी /प्रशासनिकअधिकारी) डी.डी.ओ ,(.
केंद्रीयकरएवंकेंद्रीयउत्पादशुल्क,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि-682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/32/2023-Estt

दिनांक: 27.09.2023

स्थापना आदेश सं.: 150 / 2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएस/कोच्चि/कर सहायक/86627)


विषय :- कर्मचारी चयन आयोग(एसएससी) के माध्यम से कर सहायक के ग्रेड में नियुक्ति- संयुक्त
स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2022 - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 21.09.2023 की स्वीकृति पर, अनारक्षित श्रेणी के तहत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 - एडी-III.बी दिनांक 08.08.2023 के माध्यम से आवंटित एक उम्मीदवार सुश्री वैष्णवी ई के को अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 में (₹.25,500- ₹.81,100) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में दिनांक 26.09.2023 (पूर्वाहन) से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में कर सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन हैं।

2 सुश्री वैष्णवी ई के, को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा।



(रानी सी आर)

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

सुश्री वैष्णवी ई के,
सुपुत्री एम्बांदिरी ई एम,
एडमना कैलासम, चेरुकुन्नु,
ओतुकुंगल डाक, मलप्पुरम,
केरल - 676528

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि-682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

दिनांक: .09.2023

स्थापना आदेश सं.: 149 / 2023

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2021' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 12.06.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनुसूचित जन जाति श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 02.05.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री अभिशेक मीना को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 13.09.2023 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है।

2, श्री अभिशेक मीना को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, श्री अभिशेक मीना स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत

या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा।

मनीष

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री अभिशेक मीना,
रेलवे क्वार्टर नं. 4033,
मेईन रेसीडेंसी रोड,
रोटरी सर्किल के पास, जोधपुर,
राजस्थान पिन -342001

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B)), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम / कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक (गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक (ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारतसरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि-682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/155/2021-Estt

दिनांक: 22.09.2023

आदेश सं.: 148/2023

विषय :- अंशकालिक अनियत मजदूरों का नियमितीकरण - हवलदार ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित

बोर्ड के पत्र F.No.18013/25/2009-AD.IIIB दिनांक 05.12.2022 के अनुसार और दिनांक 21.09.2023 को आयोजित समिति की सिफारिश के आधार पर, जिसमें सीबीआईसी 2020 की अंशकालिक अनियत मजदूर (नियमितीकरण) योजना के तहत अंशकालिक मजदूरों के नियमितीकरण पर विचार किया गया था, निम्नलिखित अंशकालिक अनियत मजदूरों को एतद्वारा केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार (समूह 'सी' गैर-राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय) के रूप में कार्य करने के लिए चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन तथा भारत सरकार द्वारा पद पर कार्यग्रहण करने की तारीख से स्वीकृत किए जा सकने वाले भत्ते सहित वेतन मैट्रिक्स में स्तर -1 (18,000-56,900) में नियुक्त किया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	श्रेणी
1	पवित्रन ए के	01.01.1966	अ.जा.
2	राधामाणी टी आर	07.05.1972	अ.पि.व.
3	गीता एन एम	26.05.1968	अ.पि.व.
4	बीवी कुञ्ज के एच	18.05.1971	अ.पि.व.
5	लता के के	28.03.1968	अ.पि.व.
6	प्रशांत पी आर	25.05.1972	अनारक्षित
7	थादेवोउस के वी	01.02.1968	अ.पि.व.
8	सेल्वराज बी एम	30.05.1968	अ.जा.जा.
9	पार्वती ए	10.07.1966	अ.जा.
10	कुमारी पी सी	16.08.1966	अ.जा.
11	मोल्ली वी के	20.05.1967	अ.जा.
12	बैजु एम पी	30.05.1971	अ.पि.व.
13	सयन के एम	21.04.1966	अ.जा.

2. यदि वे नियुक्ति के इस प्रस्ताव में उल्लिखित शर्तों को स्वीकार करते हैं, तो उन्हें दिनांक 06.10.2023 को या उससे पहले उपायुक्त (का व सत), केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय राजस्व भवन, आई एस प्रेस रोड, कोच्चि में उपस्थित होना चाहिए। यदि वे निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर इयूटी के लिए रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं, तो नियुक्ति के इस आदेश को रद्द माना जाएगा।

3. आपको ड्यूटी के लिए रिपोर्टिंग के समय फोटोकॉपी के 3 (तीन) सेट के साथ निम्नलिखित दस्तावेज (ओरिजिनल में) लाने की आवश्यकता है:

क. मेट्रिकुलेशन/हाईस्कूल प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि दर्शाई गई हो।

ख. शैक्षणिक योग्यता और विभिन्न स्तरों पर अध्ययन किए गए विषयों को दर्शाने वाले अन्य सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र।

ग. अनुभव के संबंध में आपके दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र और पाठ्यतर गतिविधियों से संबंधित प्रमाण पत्र।

घ. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / भूतपूर्व सेवा / दिव्यांग के रूप में आपके दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।

ड. आधार कार्ड।

4. आपको निम्नलिखित दस्तावेज लाने होंगे। [दस्तावेजों का प्रारूप कोच्चि कमिश्नरी की वेबसाइट पर उपलब्ध है - <http://www.cenexcisekochi.gov.in/SSC-भर्ती/>]

क. पहचान प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-II) के साथ सत्यापन फॉर्म की पूरी तरह से भरी 3 (तीन) प्रतियां।

ख. आपको 'अनुलग्नक-I' में दी गई सेवा की शर्तों को स्वीकार करना चाहिए।

ग. आपको चिकित्सा अधिकारी से, जो सिविल सर्जन के पद से नीचे का न हो, चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा। (अनुलग्नक-III - उम्मीदवार विवरण और घोषणा और चिकित्सा प्रमाणपत्र)। प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5. उन्हें सूचित किया गया है कि हवलदार के पद पर उनकी नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी और अनंतिम आधार पर है और उन्हें बिना कोई कारण बताए किसी भी समय सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।

6. उन्हें आगे सूचित किया जाता है कि वे दो साल की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे। नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह उचित समझे, परीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है।

7. कार्यभार ग्रहण करते समय विभाग उम्मीदवार को कोई यात्रा या अन्य व्यय नहीं देगा।



(रानी सी आर)

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

1. श्री पवित्रन ए के., अंशकालिक अनियत मजदूर, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
2. श्रीमती राधामणी, अंशकालिक अनियत मजदूर, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. श्रीमती गीता एन एम., अंशकालिक अनियत मजदूर, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
4. श्रीमती बीवी कुञ्ज के एच., अंशकालिक अनियत मजदूर, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
5. श्रीमती लता के के, अंशकालिक अनियत मजदूर, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. श्री प्रशांत पी आर., अंशकालिक अनियत मजदूर, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. श्री धादेवोउस के वी., अंशकालिक अनियत मजदूर, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

8. श्री सेल्वराज बी एम. ,अंशकालिक अनियत मजदूर,
केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. श्रीमती पार्वती ए. ,अंशकालिक अनियत मजदूर,
केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
10. श्रीमती कुमारी पी सी. ,अंशकालिक अनियत मजदूर,
केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
11. श्रीमती मोल्ली वी के. ,अंशकालिक अनियत मजदूर,
केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
12. श्री बैजु एम पी. ,अंशकालिक अनियत मजदूर,
केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
13. श्री सयन के एम. ,अंशकालिक अनियत मजदूर,
केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

(पर्यवेक्षक अधिकारी के ज़रिए)

प्रतिलिपि सम्पित

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्कएवं सीमा शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा/अपील/सीसीपी

प्रतिलिपि :

1. अपर /संयुक्त आयुक्त (का व सत), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड/ सीसीपी
2. कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा/अपील/सीसीपी के अधीनस्थ सभी मंडल कार्यालयों के प्रभारी सहायक /उप आयुक्त
3. अधीक्षक)सतर्कता/सिस्टम्स (केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा/अपील/सीसीपी
4. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिकअधिकारी) डी.डी.ओ ,(केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा/अपील/सीसीपी
5. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारतसरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/26/2023-Estt

दिनांक : 21.09.2023

आदेश सं.:147/2023


विषय : कार्यकारी सहायक/ अवर श्रेणी लिपिक के ग्रेडों में स्थानांतरण एवं तैनाती -
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय -संबन्धित।

कार्यकारी सहायक/अवर श्रेणी लिपिक के ग्रेडों में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती/कुम.)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	... को
1.	सेतु आर ईए	21.10.1985	स्थापना अनुभाग, मु.कोच्चि	लेखा (व्यय) अनुभाग, मु.कोच्चि
2.	अल्गा विन्नी जेम्स ईए	17.05.1993	एर्णाकुलम मंडल	स्थापना अनुभाग, मु.कोच्चि
3.	रोबिन एस ईए	28.10.1994	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	एर्णाकुलम मंडल
4.	सयोना अगस्टिन, एलडीसी	15.05.1983	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	एर्णाकुलम मंडल
5.	जियास के एम एलडीसी	30.12.1984	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	आलुवा मंडल

2. उपर्युक्त आदेश का अनुपालन दिनांक 06.10.2023 तक किया जाना चाहिए तथा अनुपालन रिपोर्ट इस कार्यालय में दिनांक 13.10.2023 तक पहुँच जाना चाहिए।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।



[रानी सी आर]

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों(पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रति

1. उप आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, एर्णाकुलम मंडल
2. सहायक आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अलुवा मंडल
3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) / (प्रशासन) / (सतर्कता), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
5. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि

भारतसरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT

दिनांक: 21.09.2023

आदेश सं.: 146/2023

विषय : - हेड हवालदार एवं हवालदार के ग्रेड में स्थानांतरण एवं तैनातियां -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के हेड हवालदार एवं हवालदार के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सुश्री/ सर्वश्री/श्रीमती)	जन्मतिथि	...से	... को
1	पी आर हर्षन हेड हवालदार	12.02.1969	आलुवा मंडल	आलुवा रेंज
2	राजन ए एम हेड हवालदार	14.05.1964	मु.कोच्चि	आलुवा मंडल
3	जॉय पी वी हेड हवालदार	16.05.1964	मु.कोच्चि	अंगमाली रेंज
4	मुरुगन एम हेड हवालदार	26.05.1969	पेरुम्बावूर मंडल	मून्नार रेंज
5	क्रिस्टोफर एन ए हेड हवालदार	08.03.1965	एर्णाकुलम रेंज 1 से 6 तक	एर्णाकुलम रेंज 5 व 6
6	चंचल पी जे हवालदार	17.02.1995	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के तहत	मु.कोच्चि
7	अभिषेक सिंह हवालदार	25.08.1998	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के	मु.कोच्चि


			तहत	
8	अभिषेक कुमार हवलदार	10.02.1993	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के तहत	मु.कोच्चि
9	अखिला विजयन हवलदार	19.12.1996	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के तहत	मु.कोच्चि
10	सनोज हवलदार	23.06.1997	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के तहत	मु.कोच्चि
11	पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा हवलदार	27.02.1995	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के तहत	पेरुम्बावूर मंडल
12	एबिन साबु हवलदार	16.11.1998	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के तहत	काक्कनाड रेंज 1 से 5 तक
13	जोषुआ सुनील उम्मेन हवलदार	09.09.2000	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के तहत	एर्णाकुलम रेंज 3 व 4
14	सौरव टी पी हवलदार	28.03.1998	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के तहत	एर्णाकुलम रेंज 1 व 2
15	अजय अलेक्स हवलदार	02.11.1998	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के तहत	मु.कोच्चि
16	तरपरम्बिल विजयराजन अल्केश राज	15.02.2000	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क	मु.कोच्चि

	हवलदार		आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के तहत	
--	--------	--	---	--

.2कार्यालय आदेश सं.GEXCOM /11/(3)/23/2023 -ESTT दिनांक 13.02.2023 में जारी श्री अनिल कुमार एम जी, हेड हवलदार की अस्थाई तैनाती रद्द की गयी है |

3. उपर्युक्त अधिकारियों को कार्यमुक्त करना चाहिए और वे अपने नए स्थान पर दिनांक 06.10.2023 तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए |

4. दिनांक 13.10.2023 तक अनुपालन रिपोर्ट करें |



[रानी सी आर]

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत हैं

1. मुख्यआयुक्त,केन्द्रीयकरएवंकेंद्रीयउत्पादशुल्क,तिरुवनंतपुरमक्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रति

1. केन्द्रीयकरएवंकेंद्रीयउत्पादशुल्क,कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप /सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम/कोच्चि /कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा/सीमा शुल्क (निवारक)आयुक्तालय
3. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम/कोच्चि /कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा/सीमा शुल्क (निवारक)आयुक्तालय
4. अधीक्षक(सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम/कोच्चि /कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा/सीमा शुल्क (निवारक)आयुक्तालय
5. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइटमेंअपलोडकरनेहेतु।
6. हिंदी कक्ष -हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि-682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

दिनांक: .09.2023

स्थापना आदेश सं.: 145 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/83133)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2021' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 12.06.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित पीडब्लियूडी-अन्य श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 02.05.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री राहुल शर्मा को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 24.07.2023 (अपराहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है।

2 श्री राहुल शर्मा को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि,।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री राहुल शर्मा स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत

साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री राहुल शर्मा,
गर्नारी निवासी, अमला डाक, तहसील महीं कथुआ,
जम्मू एवं कश्मीर - 184144

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम / कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक (गोपनीय-सतर्कता) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक (ई.डी.पी.) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि-682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

दिनांक: .09.2023

स्थापना आदेश सं.: 144 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/83131)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2021' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 12.06.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनुसूचित जन जाति श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 02.05.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री विनोद मीना को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 16.06.2023 (पूर्वाह्न) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है।

2 श्री विनोद मीना को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि,।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री विनोद मीना स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत

साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

सी०

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री विनोद मीना,

अरखन लाल मीना की देखभाल में, गोदरा,

करौली,राजस्थान - 321611

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि-682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

दिनांक: .09.2023

स्थापना आदेश सं.: 143 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/83130)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2021' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 12.06.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 02.05.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री गौरव उमातिया को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 13.06.2023 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है।

2 श्री गौरव उमातिया को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि,।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री गौरव उमातिया स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत

साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री गौरव उमातिया,

डब्लियू- 142, उमातिया सदन, सेंट्रल एरिया, रेती स्टैंड,

अवरिमाता कॉलोनी, उदैपुर, राजस्थान - 313001

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि-682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

दिनांक: .09.2023

स्थापना आदेश सं.: 142 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएस/कोच्चि/निरीक्षक/83129)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2021' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित


इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 12.06.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 02.05.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री राकेश कुमार बैरवा को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 19.06.2023 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 श्री राकेश कुमार बैरवा को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री राकेश कुमार बैरवा स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत

साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।



(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री राकेश कुमार बैरवा,
गाँव जानकी बालपुरा, शिवदासपुरा डाक,
तहसील चकसु, जयपुर, राजस्थान - 303901

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B)), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम / कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक (गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक (ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि-682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

दिनांक: .09.2023

स्थापना आदेश सं.: 141 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएस/कोच्चि/निरीक्षक/83126)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2021' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित


इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 12.06.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 02.05.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री अरविंद सुदेव एस को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 30.06.2023 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 श्री अरविंद सुदेव एस को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री अरविंद सुदेव एस स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत

साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।



(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री अरविंद सुदेव एस,
वालियतरा हाउस, मालिपुरम डाक,
वलप्पु, एर्णाकुलम - 682511

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B)), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम / कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक (गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक (ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि-682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

दिनांक: .09.2023

स्थापना आदेश सं.: 140 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/83124)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2021' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 12.06.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 02.05.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री जितिन पी को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 28.06.2023 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है।

2 श्री जितिन पी को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि,।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री जितिन पी स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत

साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री जितिन पी,

पल्लियालिल हाउस, करिपुर डाक,

मलप्पुरम - 673638

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B)), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि-682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

दिनांक: .09.2023

स्थापना आदेश सं.: 139 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/83117)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2021' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 12.06.2023 के सम्संख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर ईडब्लियूएस श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 02.05.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री आकाश श्रीवास्तव को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 30.06.2023 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है।

2 श्री आकाश श्रीवास्तव को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि,।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री आकाश श्रीवास्तव स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत

साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री आकाश श्रीवास्तव,
कमलेश श्रीवास्तव की देखभाल में,
पीपी 862, न्यू कॉलोनी, पल्हानी बेलैसा,
अज़मगढ़ जिला, उत्तर प्रदेश - 276001

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि-682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

दिनांक: .09.2023

स्थापना आदेश सं.: 138 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/83116)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2021' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 12.06.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **ईडब्लियूएस** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 02.05.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री राहुल कुमार** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **13.06.2023 (पूर्वाहन)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री राहुल कुमार** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय जापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री राहुल कुमार** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत

साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री राहुल कुमार,
गाँव खुर्नु कलन, सदोखर डाक, चेनरी थाना,
जिला - रोहतास , बिहार - 821104

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B)), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम / कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक (गोपनीय-सतर्कता) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक (ई.डी.पी.) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि-682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

दिनांक: .09.2023

स्थापना आदेश सं.: 137 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएस/कोच्चि/निरीक्षक/83115)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2021' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 12.06.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर ईडब्लियूएस श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 02.05.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री दानिष खान को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 20.06.2023 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है।

2 श्री दानिष खान को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय जापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि,।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री दानिष खान स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत

साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री दानिष खान,

बाबा चोराहा, पूनम कॉलोनी, पचपहार झलावर,

राजस्थान - 326512

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B)), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम / कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक (गोपनीय-सतर्कता) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक (ई.डी.पी.) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-
682018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

दिनांक: .09.2023

स्थापना आदेश सं.: 136 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएस/कोच्चि/निरीक्षक/83114)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2021' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित


इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 12.06.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर ईडब्लियूएस श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 02.05.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री हिमांशु सिंह को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 13.06.2023 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है।

2 श्री हिमांशु सिंह को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि,।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री हिमांशु सिंह स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या

अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।



(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री हिमांशु सिंह,
वीपीओ -गडखेरा, तहसील - बुहना, जिला -झुंझुनु,
राजस्थान - 333026

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

दिनांक: .09.2023

स्थापना आदेश सं.: 135 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/83113)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2021' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 12.06.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 02.05.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री अभिषेक चौरसिया को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 30.06.2023 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है।

2 श्री अभिषेक चौरसिया को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि,।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री अभिषेक चौरसिया स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग या

अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री अभिषेक चौरसिया,

वार्ड नं 13, रामचरण की बागिया के पास, हाउसिंग कॉलोनी के पीछे,

मध्य प्रदेश - 477001

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम / कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक (गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक (ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-
682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

दिनांक: .09.2023

स्थापना आदेश सं.: 134 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/83112)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2021' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 12.06.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 02.05.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री संदीप एस को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 13.06.2023 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 श्री संदीप एस को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री संदीप एस स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

धनी
(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री संदीप एस,
ऐश्वर्या हरिता नगर, हाउस नं.602,
त्रिककण्णामंगल, कोट्टारक्करा
कोल्लम - 691506

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिककोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-
682018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

दिनांक: .09.2023

स्थापना आदेश सं.: 133 / 2023


(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/82695)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2021' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 12.06.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 02.05.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, कु.पी के अश्वनी पद्मनाभन को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 04.07.2023 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 कु.पी के अश्वनी पद्मनाभन को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कु.पी के अश्वनी पद्मनाभन स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।



(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

कु.पी के अश्वनी पद्मनाभन,
अश्वनी निवास, मुन्डयाड डाक,
कण्णूर - 670594

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B)), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिककोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-
682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

दिनांक: .09.2023

स्थापना आदेश सं.: 132 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/82694)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2021' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 12.06.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 02.05.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री अनंत कृष्णन जी ए को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 23.06.2023 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 श्री अनंत कृष्णन जी ए को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री अनंत कृष्णन जी ए स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

मनीष

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री अनंत कृष्णन जी ए,
कृष्णास मणलुविला, मरयुमुट्टम डाक,
नेय्याटिनकरा, तिरुवनंतपुरम - 695124

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि-682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

दिनांक: .09.2023

स्थापना आदेश सं.: 131 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/82693)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2021' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 12.06.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 02.05.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, कु.ऐश्वर्या पी को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 20.06.2023 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है।

2 कु.ऐश्वर्या पी को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय जापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि,।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कु.ऐश्वर्या पी स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

मनीष

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

कु.ऐश्वर्या पी,
श्रीहरी, रारिचन रोड, इरन्जिप्पालम डाक,
केलिकट - 673006

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B)), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि-682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

दिनांक: .09.2023

स्थापना आदेश सं.: 130 / 2023


(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/82692)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2021' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 12.06.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 02.05.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री रजित एस को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 30.06.2023 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है।

2 श्री रजित एस को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि,।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री रजित एस स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।


(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री रजित एस,

रेम्यालयम, तोड़ताला, वाडमण डाक,

अंचल, कोल्लम - 691306

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

दिनांक: .09.2023

स्थापना आदेश सं.: 129 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/82690)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2021' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 12.06.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 02.05.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री जिन्स पयस को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 13.06.2023 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है।

2 श्री जिन्स पयस को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि,।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री जिन्स पयस स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री जिन्स पयस,

मन्नमप्लाककल, पोडीमट्टम,

पालाम्ब्रा डाक, कोट्टयम -686518

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B)), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/38/2023-ESTT

दिनांक : .09.2023

आदेश सं.: 128 / 2023

विषय : - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के आधीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां - संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	अमित भारती	16.01.1981	सीसीओ-सीसीए	(पेरुम्बावूर रेंज) कोच्चि आयुक्तालय
2.	राँय जोसफ	26.05.1968	(पेरुम्बावूर रेंज) कोच्चि आयुक्तालय	सीसीओ-सीसीए

2. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारी को अपने नए स्थान पर दिनांक 15.09.2023 तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी जिम्मेदार होंगे |

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

4. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

5. दिनांक 18.09.2023 तक अनुपालन रिपोर्ट करें |



[मनीष कुमार]

आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, पेरुम्बावूर मंडल के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु ।

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II(3)/4/2023-ESTT

आदेश सं.: 126 / 2023

विषय : - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निरीक्षक के कैंडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां - संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	किरण एस	05.02.1993	तकनीकी अनुभाग	तकनीकी /सूचना अधिकार अनुभाग

2. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारी को अपने नए स्थान पर दिनांक 01.09.2023 तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी जिम्मेदार होंगे |

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा | आज की तारीख में प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटान कर दिया गया है।

4. दिनांक 05.09.2023 तक अनुपालन रिपोर्ट करें |



[मनीष कुमार]

आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के सभी मंडल कार्यालयों के प्रभारी
उप/सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी/वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(3)/4/2023-ESTT

आदेश सं.: 125 / 2023

विषय : - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के आधीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां - संबन्धित।

आदेश संख्या 112/2023 दिनांक 11.08.2023 के आंशिक संशोधन में केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	अखिल टी के	17.04.1991	सांख्यिकी /सूचना अधिकार अनुभाग, मु. कोच्चि	तकनीकी I/सांख्यिकी /सूचना अधिकार अनुभाग, मु. कोच्चि
2.	बिजु एम आर	14.04.1970	तकनीकी / डीजीएआरएम अनुभाग, मु.कोच्चि	तकनीकी II / डीजीएआरएम अनुभाग, मु.कोच्चि
3.	मनोज कुमार यादव	04.07.1982	कोतमंगलम रेंज को स्था.आदेश के तहत	परवूर रेंज
4.	राजकुमार सी के	15.05.1974	परवूर रेंज	पेरुम्बावूर मंडल
5.	मिनी वी के	24.04.1969	पेरुम्बावूर मंडल	कोतमंगलम रेंज

2. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारी को अपने नए स्थान पर दिनांक 01.09.2023 तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी जिम्मेदार होंगे |

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा | आज की तारीख में प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटान कर दिया गया है।

4. दिनांक **05.09.2023** तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

मनीष

[मनीष कुमार]

आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के सभी मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

फाइल सं. II/(3)/APPT/25/2020-ESTT.

दिनांक:

आदेश सं.: 124 / 2023

विषय : केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में कल्पित पदोन्नति-
संबन्धित।

श्री सजित कुमार सी.आर., केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को इसके द्वारा वेतन मैट्रिक्स के स्तर -8 में (पूर्व-संशोधित स्केल में वेतन बैंड 9300-34,800, ग्रेड वेतन - रु.4800 /- (पीबी-2) के अनुरूप) और लागू होने वाले भत्ते में नियमित आधार पर केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, समूह 'ख' पद के अधीक्षक के संवर्ग में दिनांक 30.06.2011 से और अगले आदेश तक काल्पनिक रूप से पदोन्नत किया जाता है। अधीक्षक संवर्ग में उनकी वरिष्ठता श्रीमती एलिस ए जे के ठीक नीचे और श्री रामदास के पी के ऊपर दी गई है।

2. अधिकारी को इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर डीओपीटी ओएम दिनांक 26.09.1981 और 05.07.1999 के संदर्भ में वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग करना होगा। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा।

3. अधीक्षक की श्रेणी में निरीक्षकों की पदोन्नति उच्च न्यायालय के दिनांक 28.03.2012 के आदेश के खिलाफ विभाग द्वारा ओपी(कैट) सं.4305/2011, ओपी(कैट) सं.999/2012, ओपी(कैट) सं.998/2012, ओपी(कैट) सं.968/2012, कैट(ई बी) में ओ.ए.सं.180/00806/2014 में दायर एसएलपी संख्या 20810/2012 और संबंधित न्यायालयों/ अधिकरणों में किसी भी अन्य लंबित मामलों के परिणाम के अध्यधीन है।

[मनीष कुमार]

आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम

2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड

3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि
4. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डी जी जी आई /डी आर आई आंचलिक इकाई ,कोच्चि
7. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप/सहायक आयुक्त
8. तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड / सीसीपी / ले.प., कोच्चि में कार्यरत उप/सहायक आयुक्त
9. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि /तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/सीसीपी/ ले.प.,कोच्चि
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक(सत. /गोपनीय),कोच्चि/ कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम/ सीसीपी/ ले.प.
11. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
12. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(3)/21/2023-ESTT

दिनांक / Date : .08.2023


आदेश सं.: 123 / 2023

विषय : मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के ग्रेड में स्थानांतरण एवं तैनाती - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ से दिया जाता है।

क्र. सं.	नाम (श्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	...को
1	सवाई सिंह मीना	30.06.1990	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय कोच्चि को स्था.आदेश के तहत	काक्कनाड मंडल

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


[सी टी बिंदु]

उप आयुक्त[का. व सत.]

सेवा में

सम्बंधित व्यक्ति (सम्बंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि

1. उप आयुक्त, केन्द्रीय केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, काक्कनाड मंडल
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि / काक्कनाड मंडल
4. अधीक्षक (सिस्टम्स/सतर्कता/मु.), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि
5. हिंदी कक्ष -हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/8/2020-Estt

दिनांक / Date : 23.08.2023


आदेश सं.: 122 / 2023

विषय : आशुलिपिक ग्रेड- II की श्रेणी में स्थानांतरण एवं तैनाती - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

आशुलिपिक ग्रेड- II की श्रेणी में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ से दिया जाता है।

क्र. सं.	नाम (श्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	...को
1	वैशाख के मनोज	19.07.2002	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	संयुक्त आयुक्त (लेखा परीक्षा/विधिक) की इकाई, मु.कोच्चि
2	अंकित कुमार	13.06.1996	अपर आयुक्त (न्यायनिर्णयन) की एवं संयुक्त आयुक्त (लेखा परीक्षा) की इकाई, मु.कोच्चि	अपर आयुक्त (न्यायनिर्णयन) की इकाई, मु.कोच्चि

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


[सी टी बिंदु]

उप आयुक्त[का. व सत.]

सेवा में

सम्बंधित व्यक्ति (सम्बंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
2. अपर आयुक्त(न्यायनिर्णयन),केन्द्रीय केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु. कोच्चि
3. संयुक्त आयुक्त (लेखा परीक्षा/विधिक), केन्द्रीय केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु. कोच्चि

प्रतिलिपि

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
2. अधीक्षक (सिस्टम्स/सतर्कता), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि
3. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT

दिनांक: 08.09.2023

आदेश सं.: 121 / 2023


विषय : - हवलदार एवं हेड हवालदार के ग्रेड में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के हवलदार एवं हेड हवालदार के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सुश्री/सर्वश्री/श्रीमती)	जन्मतिथि	...से	... को
1	साजन वी जी, हेड हवलदार	10.10.1969	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन को स्था.आदेश के तहत	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि में ही रखा गया
2	चित्तु एस, हवलदार	09.08.1997	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
3	पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा, हवलदार	27.02.1995	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
4	मिधुन एम., हवलदार	07.08.1997	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिककोड़
5	बोबिन पवित्रन, हवलदार	29.04.1998	कार्यग्रहण करने पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
6	अलीडा पयस, हवलदार	25.09.1996	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम

7	एबिन साबु, हवलदार	16.11.1998	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
8	जोषुआ सुनील उम्मेन, हवलदार	09.09.2000	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
9	सौरव टी पी, हवलदार	28.03.1998	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
10	अजय अलेक्स, हवलदार	02.11.1998	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
11	तरपरम्बिल विजयराजन अल्केश राज, हवलदार	15.02.2000	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि

.2यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


[सी टी बिंदु]

उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिक्कोड
3. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क तिरुवनंतपुरम
4. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा, कोच्चि
5. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
6. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,अपील, कोच्चि
7. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/ डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ कोच्चि

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप /सहायक आयुक्त
2. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा आयुक्तालयों के उप /सहायक आयुक्त
3. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी/ केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि / कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय
4. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि / कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय

5. अधीक्षक(सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि / कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय
6. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
7. हिंदी कक्ष -हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/21/2023-ESTT

दिनांक: .08.2023


आदेश सं.: 120 / 2023

विषय : मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के ग्रेड में स्थानांतरण एवं तैनातियां -
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित ।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के मल्टी टास्किंग स्टाफ के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (श्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	... को
1.	सवाई सिंह मीना	30.06.1990	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।


[सी टी बिंदु]

उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिककोड / तिरुवनंतपुरम
3. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा, कोच्चि
4. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
5. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील, कोच्चि
6. अपर महानिदेशक, डीजीजीआई/डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड / कोच्चि

प्रति

1. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय के सभी मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
2. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप/सहायक आयुक्त, तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा,कोच्चि
3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा,कोच्चि
4. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा,कोच्चि
5. अधीक्षक (सत.) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा,कोच्चि आयुक्तालय
6. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
7. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु ।

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/39/2022-Estt

दिनांक : 25.08.2023


आदेश सं.: 119 / 2023

विषय : कर सहायक/ अवर श्रेणी लिपिक के ग्रेडों में स्थानांतरण एवं तैनाती -
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित ।

कर सहायक/अवर श्रेणी लिपिक के ग्रेडों में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती/कुम.)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	... को
1.	जिस्ना मैथ्यू कर सहायक	07.01.1999	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
2.	सयोना अगस्टिन, अवर श्रेणी लिपिक	15.05.1983	सीसीओ-सीसीए	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
3.	श्रीजित के वी अवर श्रेणी लिपिक	14.04.1990	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय	सीसीओ-सीसीए

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।



[रानी सी आर]

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों(पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि / लेखा परीक्षा

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी /, प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी /, प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा मु.,कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स)/(सतर्कता), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/3/8/2020-Estt

दिनांक / Date : 22.08.2023


आदेश सं.: 118 / 2023

विषय : आशुलिपिक ग्रेड- II की श्रेणी में स्थानांतरण एवं तैनाती - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

आशुलिपिक ग्रेड- II की श्रेणी में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ से दिया जाता है।

क्र. सं.	नाम (श्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	...को
1	वैशाख के मनोज	19.07.2002	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



[रानी सी.आर.]

अपर आयुक्त[का. व सत.]

सेवा में

सम्बंधित व्यक्ति (सम्बंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
2. अधीक्षक (सिस्टम्स/सतर्कता), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
3. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(-2023/23)/(3Estt

दिनांक : 22.08.2023

स्थापना आदेश सं.: 117 / 2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /हवलदार/85159)

विषय :- एसएससी मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2021 के माध्यम से हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित


इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 18.07.2023 की स्वीकृति पर, मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. ए.12034/एसएससी/06/2020-एडी।।।।बी दिनांक 09.05.2023 और डीजीएचआरडी के पत्र एफ.सं.8/बी/37/एचआरडी (एचआरएम)/2019/पीटी.1 दिनांक 11.05.2023 के माध्यम से हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए आवंटित एक उम्मीदवार कु.अलीडा पयस को अनारक्षित श्रेणी में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 में चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर (रु.18,000-रु.56,900) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में दिनांक 22.08.2023(पूर्वाह्न) से नियुक्त किया जाता है।

2. कु.अलीडा पयस, को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या

अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।



[रानी सी.आर.]

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

कु.अलीडा पयस,
सुपुत्री श्री पयस थॉमस,
चोव्वाटुकुन्नेल, मून्निलावु,
कोट्टयम जिला, केरल - 686586

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ. ,(केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
2. अधीक्षक(सतर्कता/मु.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT

दिनांक : 08.2023

आदेश सं.: 116 / 2023

विषय : - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां - संबन्धित।


आदेश संख्या 113/2023 दिनांक 11.08.2023 के आंशिक संशोधन में केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	सुमीत सामुएल	28.02.1987	अंगमाली रेंज को स्था.आदेश के तहत	एर्णाकुलम रेंज 1
2.	अभिजीत एस	19.02.1993	एर्णाकुलम रेंज 1 को स्था.आदेश के तहत	अंगमाली रेंज

2. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारी को अपने नए स्थान पर दिनांक 18.08.2023 तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी जिम्मेदार होंगे |

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

4. दिनांक 22.08.2023 तक अनुपालन रिपोर्ट करें |



[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के सभी मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु ।

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

File.No.II(25)/38/2020-ESTT.

दिनांक: .08.2023


आदेश सं.:115 / 2023

विषय : श्री सतीश कुमार पी, अधीक्षक, एर्णाकुलम मंडल, कोच्चि आयुक्तालय के संबंध में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति - संबन्धित ।

सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 के प्रावधानों के अनुसार, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोच्चि ने श्री सतीश कुमार पी. अधीक्षक, एर्णाकुलम मंडल, कोच्चि आयुक्तालय को उनके अभ्यावेदन दिनांक 05.06.2023 के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तहत सरकारी कर्मचारियों पर लागू सभी प्रासंगिक शर्तों के अधीन दिनांक 31.08.2023, अपराहन से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी है।

2. यह सूचित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तीन महीने की नोटिस अवधि की आवश्यकता में ढील देने के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है, इस शर्त के अधीन कि सरकारी कर्मचारी 05.09.2023 (यानी, तीन महीने की नोटिस की अवधि की समाप्ति की तारीख) से पहले अपनी पेंशन के एक हिस्से के रूपान्तरण के लिए आवेदन नहीं करेगा । इस आशय का एक वचनपत्र अधिकारी द्वारा तुरंत इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जा सकता है।

3. श्री सतीश कुमार पी. अधीक्षक के संबंध में सभी बकाया राशि, यदि कोई हो, नियमों के अनुसार उनके सेवानिवृत्ति लाभों से वसूल की जा सकती है ।


(सी टी बिंदु)

उप आयुक्त(का व सत)

सेवा में

श्री सतीश कुमार पी., अधीक्षक, (सम्बंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

एर्णाकुलम मंडल, कोच्चि आयुक्तालय

प्रतिलिपि प्रस्तुत :

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि

1. उप आयुक्त, एर्णाकुलम मंडल - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते समय उसे प्र.अधिकारी (डी डी ओ) व सहकारी सोसाइटी से एन ओ सी लेना है ।
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी, कोच्चि आयुक्तालय, कोच्चि
3. प्र.अधिकारी (डी डी ओ), एर्णाकुलम मंडल
4. अधीक्षक (गोप./सत.), कोच्चि आयुक्तालय, कोच्चि
5. अधीक्षक (सिस्टम्स) -वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
6. सचिव, केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहकारी समिति, कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/HQR/MISC/130/2022-HQRS

दिनांक: 16.08.2023

आदेश सं.: 114 /2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी & सीएक्स/कोच्चि/हवलदार-II/86453)

विषय :- खेल कोटे पर कर सहायक के ग्रेड में नियुक्ति – संबन्धित ।

इस केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 11.08.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर, अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए खेल कोटे पर चयनित उम्मीदवार, कु.जिस्ना मैथ्यू को, ऐसे भत्ते, जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, सहित के वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रु.25,500- रु.81,100) में दिनांक 11.08.2023 (अपराहन) से उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की शर्तों पर अस्थायी तौर पर केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में कर सहायक के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

2. कु.जिस्ना मैथ्यू को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

शाजि जॉन

(शाजि जॉन)

संयुक्त आयुक्ताका व सता

सेवा में,

कु.जिस्ना मैथ्यू,
कुयिवेलिल हाउस,
न्यू नडुविल, वयटुपरम्बु डाक,
कण्णूर - 670582

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक (सतर्कता) , केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु., कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु |
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II(3)/41/2023-Estt

दिनांक : 16.08.2023

स्थापना आदेश सं.: 113 / 2023


विषय: केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप /सहायक आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन - संबन्धित।

आदेश संख्या 88/2023 दिनांक 24.07.2023 के आंशिक संशोधन में, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप / सहायक आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन में निम्नलिखित परिवर्तनों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है:

- श्री रंजित शांतकुमार, सहायक आयुक्त को आधारीक संरचना का प्रभार सौंपा गया है।
- तदनुसार, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप/सहायक आयुक्तों के बीच संशोधित कार्य आवंटन/लिक अधिकारी नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	सौंपे गए प्रभार	प्रथम लिक	द्वितीय लिक
1	सी.टी. बिंदु	का.व सत., सिस्टम्स प्रशासन एवं लेखा	माइकल टी एच	शरतचंद्रन एम
2	माइकल टी एच	विधिक और डीजीएचआरएम	एन. एस. जयश्री	सी.टी. बिंदु
3	रंजित शांतकुमार	न्यायनिर्णयन, समीक्षा और आधारीक संरचना	अजिता पी	आर बैजु
4	एन. एस. जयश्री	तकनीकी, ससंद प्रश्न, आरएफडी एवं सांख्यिकी	रंजित शांतकुमार	अजिता पी
5	अजिता पी	लेखा परीक्षा एवं कर बकाया वसूली	आर बैजु	रंजित शांतकुमार
6	शरतचंद्रन एम	अपवंचनरोधी, मुकदमा एवं सत्यापन कक्ष	सी.टी. बिंदु	माइकल टी एच
7	आर बैजु	सीआरयू, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सूचना अधिकार (केंद्रीय जन सूचना अधिकारी) एवं प्रशिक्षण	शरतचंद्रन एम	एन. एस. जयश्री

8	माया चंद्रन	आलुवा मंडल	माया कुरियन	शांति वी
9	हारिसण एंटणी	एर्णाकुलम मंडल	शांति वी	अनिल राज आर
10	शांति वी	काक्कनाड मंडल	अनिल राज आर	हारिसण एंटणी
11	माया कुरियन	चालक्कुडी मंडल	दीपक कुमार	रॉय वर्गीस
12	दीपक कुमार	त्रिशशूर मंडल	माया चंद्रन	माया कुरियन
13	अनिल राज आर	पेरुम्बावूर मंडल	रॉय वर्गीस	दीपक कुमार
14	रॉय वर्गीस	इडुक्की मंडल, कल्याण, खेल एवं मुख्यालय	अनिल राज आर	शांति वी


 [मनीष कुमार]
 आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि:-

1. सभी अपर/संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय।
2. सभी उप सहायक आयुक्त/केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय।
3. केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख ।
4. अधीक्षक) सिस्टम्स(केकर एवं . केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2023-ESTT

दिनांक : 08.2023

आदेश सं.: 112 / 2023

विषय : - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के आधीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां - संबन्धित।

अंतर आयुक्तालय स्थानांतरण आदेश संख्या 90/2023 दिनांक 29.07.2023 और आदेश संख्या 109/2023 दिनांक 10.08.2023 जारी करने के परिणामस्वरूप, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अधीक्षक के संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	रेंजिनी पी एस	31.05.1971	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	न्यायनिर्णयन अनुभाग, मु., कोच्चि
2.	विजया टी एन	13.08.1973	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	आम्बल्लूर रेंज
3.	मुरली पी	30.05.1970	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	अय्यनतोल रेंज
4.	जैक्सन जोसफ	09.09.1979	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	एर्णाकुलम रेंज 2
5.	जोफ्फी जोस	22.04.1970	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	एर्णाकुलम रेंज 4
6.	चित्रा सी आर	29.01.1970	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के	समीक्षा कक्ष, मु., कोच्चि

			तहत	
7.	टैनस मत्थाई	31.05.1971	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	कियक्कम्बलम रेंज
8.	सुभाष पी एन	22.12.1972	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	न्यायनिर्णयन अनुभाग,मु.,कोच्चि
9.	अनंदन नायर	31.05.1967	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	काक्कनाड रेंज 1
10.	संतोष बाबु पी डी	20.02.1967	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	समीक्षा कक्ष, मु.,कोच्चि
11.	सजित कुमार सी आर	31.05.1970	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	इरिन्जालक्कुडा रेंज
12.	सुभाष जे शेनॉय	14.11.1979	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	अपवंचनरोधी, मु.,कोच्चि
13.	बिंदु रजित	14.05.1974	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	चालक्कुडी रेंज
14.	सिम्ला के एम	21.05.1972	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	पेट्रोलियम उत्पाद रेंज
15.	राज खुंगुर बसुमतरी	27.12.1986	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	कवरती रेंज
16.	नेहा मीना	19.09.1996	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	लेखा परीक्षा अनुभाग,मु.,कोच्चि
17.	बालकृष्णन टी एस	14.09.1964	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	गुरुवायूर रेंज
18.	गगन कुमार सिद्धु	03.12.1976	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	सिस्टम्स, मु.,कोच्चि
19.	आल्बर्ट जॉर्ज	01.02.1982	तोडुपुया रेंज	अपवंचनरोधी, मु.,कोच्चि
20.	मनोरंजन पी जी	26.03.1969	इडुक्की मंडल	तोडुपुया रेंज
21.	अजिमोल पी डी	15.04.1969	कोतमंगलम रेंज	इडुक्की मंडल
22.	मनोज कुमार यादव	04.07.1982	लेखा परीक्षा अनुभाग,मु.,कोच्चि को	कोतमंगलम रेंज

			स्था.आदेश के तहत	
23.	राजकुमार सी के	15.05.1974	काक्कनाड मंडल को स्था.आदेश के तहत	परवूर रेंज
24.	मोहन जोसफ	25.05.1968	मु.,कोच्चि	काक्कनाड मंडल
25.	शुभा एच एस	21.05.1972	न्यायनिर्णयन अनुभाग,मु.,कोच्चि को स्था.आदेश के तहत	काक्कनाड रेंज 2
26.	बिजु एम आर	14.04.1970	सांख्यिकी /आरटीआई अनुभाग,मु.,कोच्चि	तकनीकी/डीजीएआरएम अनुभाग, मु.,कोच्चि
27.	अखिल टी के	17.04.1991	समीक्षा कक्ष, मु.,कोच्चि को स्था.आदेश के तहत	सांख्यिकी /आरटीआई अनुभाग,मु.,कोच्चि
28.	मेघा आर	27.05.1984	एर्णाकुलम रेंज 2 को स्था.आदेश के तहत	एर्णाकुलम मंडल में ही रखा गया
29.	के आर सजीव	25.05.1965	गुरुवायूर रेंज	त्रिंशूर मंडल

2. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारी को अपने नए स्थान पर दिनांक 14.08.2023 तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी जिम्मेदार होंगे |

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

4. दिनांक 23.08.2023 तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

मनीष

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के सभी मंडल कार्यालयों के प्रभारी
उप/सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND
CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर बिल्डिंग,आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि-682018C.R. BUILDING,I.S.PRESS ROAD,KOCHI- 682018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404
GEXCOM II/(39)/72/2021-Estt

आदेश सं.: 111/2023

विषय :एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करना-सं.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा.सं. 35034/3/2008-Estt(D) दिनांक 19-05-2009 और वित्त मंत्रालय के पत्र F.No.A-26017/76/2009-Ad.II.A दिनांक 17.6.2009 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिकारियों को एम् ए सी पी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के पदानुक्रम में निकटतम अगले उच्च ग्रेड वेतन में या वेतन मैट्रिक्स में निकटतम अगले उच्च स्तर में (जैसा भी मामला हो) उनके नामों के सामने सूचित दिनांक से प्रदान किया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया (प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन)	वित्तीय उन्नयन की नियत तिथि	अनुशंसित ग्रेड पे और पे बैंड /पेमैट्रिक्स स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बैजू आर,अधीक्षक	23.04.1971	प्रथम	01.09.2008	स्तर - 8
2.	सलीम कुमार एस,निरीक्षक	20.05.1969	तृतीय	07.02.2023	स्तर -8
3.	जयशंकर पी, निरीक्षक	25.05.1963	तृतीय	07.02.2023	स्तर -8
4.	हमीद के के, निरीक्षक	10.04.1974	तृतीय	08.02.2023	स्तर -8
5.	साकेत सिंह ढिल्लों,निरीक्षक	03.11.1984	प्रथम	27.08.2022	स्तर -8
6.	मृदुल कुमार सिंह,निरीक्षक	22.06.1985	प्रथम	28.12.2022	स्तर -8
7.	रोहित खत्री, निरीक्षक	04.05.1985	प्रथम	18.10.2022	स्तर -8
8.	राम लाल, निरीक्षक	11.10.1986	प्रथम	17.09.2022	स्तर -8
9.	विनु आर,निरीक्षक	05.03.1975	तृतीय	07.02.2023	स्तर -8
10.	अनंत विक्रम सिंह, निरीक्षक	20.04.1986	प्रथम	26.09.2022	स्तर -8
11.	गौतम कुमार, निरीक्षक	01.01.1986	प्रथम	24.09.2022	स्तर -8
12.	सी एस अजित कुमार, निरीक्षक	10.03.1971	तृतीय	01.04.2023	स्तर -8

13.	नीता सुकुमारन, निरीक्षक	02.07.1975	तृतीय	07.02.2023	स्तर -8
14.	आशा, निरीक्षक	17.11.1985	प्रथम	17.09.2022	स्तर -8
15.	रविन्द्र मारुती पालकर, निरीक्षक	16.08.1982	प्रथम	19.09.2022	स्तर -8
16.	जेम्स अगस्टिन, निरीक्षक	12.02.1969	तृतीय	15.04.2023	स्तर -10
17.	मनोज कुमार यादव, निरीक्षक	04.07.1982	प्रथम	29.11.2021*	स्तर -8
18.	पीताम्बरन के, हेड हवलदार	10.10.1966	तृतीय	06.06.2021	स्तर -4
19.	हैदर हाषिम वी पी, हेड हवलदार	11.03.1971	तृतीय	14.06.2023	स्तर -4
20.	प्रवीण वी नायर, हेड हवलदार	23.03.1975	तृतीय	03.05.2023	स्तर -4
21.	श्रीकुमार एम के, हेड हवलदार	15.05.1968	तृतीय	25.03.2023	स्तर -4

* दिनांक 02.03.2022 को आयोजित स्क्रीनिंग समिति की बैठक की सिफारिश की समीक्षा की गई है और दिनांक 28.11.2021 के बजाय दिनांक 29.11.2021 से श्री मनोज कुमार यादव, निरीक्षक को स्तर 8 में पहले वित्तीय उन्नयन के लिए सिफारिश की गई है।

2. इस अधिकारी को वित्तीय उन्नयन अन्य बातों के साथ, निम्न शर्तों के आधार पर दिया जाता है:

2.1 लाभार्थी को दिये गए वित्तीय उन्नयन से उनके पदनाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यह वित्तीय लाभ उनके पुराने पदनाम को बनाए रखते हुये प्रदान किया गया है और कथित वित्तीय उन्नयन, उच्च स्तर से संबन्धित कोई विशेषाधिकार प्रदान नहीं करेगा।

2.2 एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन अधिकारी के लिए पूर्ण रूप से व्यक्तिगत है और संबन्धित अधिकारी को वास्तविक कार्यात्मक पदोन्नति प्रदान नहीं करेगा और यह उनके अंतर वरिष्ठता पदोन्नति से संबद्धता नहीं रखेगा और इस कारण एमएसीपी योजना के तहत कनिष्ठ अधिकारी को उच्च वेतनमान प्राप्त होने के आधार पर वरिष्ठ अधिकारी को अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन प्राप्त नहीं होगा। एम ए सी पी योजना में 'वरिष्ठ-कनिष्ठ' की धारणा का आशय नहीं है।

2.3 वित्तीय उन्नयन के हकदार होने से पहले यदि अधिकारी ने प्रदत्त नियमित पदोन्नति से इंकार किया हो तो वित्तीय उन्नयन प्राप्त नहीं होगा क्योंकि अधिकारी अवसर की कमी के कारण वृद्धिरुद्ध नहीं हुये हैं। लेकिन यदि वित्तीय उन्नयन वृद्धिरुद्धता के कारण प्राप्त हुआ है और उसके बाद यदि अधिकारी पदोन्नति अस्वीकार करते हैं तो यह वित्तीय उन्नयन वापस लेने का कारण नहीं बनेगा। इस कारण जब वे फिर से पदोन्नति के लिए सहमत होंगे तभी उन्हें आगे के वित्तीय उन्नयन का हक प्राप्त होगा और दूसरा वित्तीय उन्नयन भी इंकार के कारण रोक की अवधि के समय तक स्थगित रखा जाएगा।

2.4 नियमित पदोन्नति के समय प्राप्त वेतन नियतन का लाभ योजना के अधीन प्राप्त वित्तीय उन्नयन के समय भी प्राप्त होगा। इस कारण ऐसे उन्नयन के पहले आहरित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के कुल वेतन से 3% वेतन बढ़ा दिया जाएगा। इस लिए एमएसीपी योजना के अधीन प्रदत्त ग्रेड वेतन समान होने पर नियमित पदोन्नति के समय आगे वेतन नियतन नहीं किया जाएगा। वास्तविक पदोन्नति के समय यदि एमएसीपी योजना के अधीन प्राप्त ग्रेड वेतन उच्च पद का हो तो कोई वेतन नियतन प्राप्त नहीं होगा और ग्रेड वेतन का केवल अंतर प्राप्त होगा।


2.5 एमएसीपी योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन जो स्वस्थानी है और जिसमें उच्च कार्य और ज़िम्मेदारी नहीं है वहाँ एक विशेष व्यवस्था के रूप में उच्च पद/ग्रेड वेतन में उनकी पदोन्नति/उन्नयन की तारीख से या उनके अगले वेतन वृद्धि की तारीख यानि वर्ष की पहली जुलाई से F.R. 22(I)(a)(1) के अधीन वेतन नियतन किया जाएगा। वेतन और वेतन वृद्धि की तारीख, व्यय विभाग के का.जा. 1/1/2008-IC दिनांक 13.09.2008 के स्पष्टीकरण सं.2 के अनुसार तय किया जाएगा DOP & T का.जा.सं.35034 / 1/2017-Estt.D दिनांक 20.09.2018 के अनुसार तय किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

2.6 पुराना कोई मामला पुनः खोला नहीं जाएगा। इसके अलावा जब कभी एमएसीपी योजना कार्यान्वित किया जाएगा तब पुराने एसीपी योजना(अगस्त 1999) और एमएसीपी योजना के तहत उसी केडर में आए वित्तीय उन्नयन के कारण वेतनमान में हुये परिवर्तन को एक विसंगति के रूप में नहीं लिया जाएगा।

2.7 उच्च ग्रेड के वेतनमान में पदधारी के वेतन वृद्धि की तारीख (यानि वर्ष की 1 जुलाई या 1 जनवरी) के आधार पर वेतन नियतन केलिए विकल्प (इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के अंदर अमल किया जाये) स्वीकार्य है। इस तरह एक बार अमल में लाया गया विकल्प समझा जाएगा।

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 21.07.2010 के पत्र डी.सं.62460/यूएस (डी)/2010 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि 4 (चार) वर्ष पूरे होने के बाद अधीक्षक (समूह-'बी') अधिकारियों को दिए गए गैर-कार्यात्मक ग्रेड के लाभ को डीओपी एंड टी के कार्यालय जापन (ओ.एम.) सं. 35034/3/2008-स्था. (डी) दिनांक 19.05.2009 के अनुबंध -1 के पैरा 8.1 के अनुसार वित्तीय उन्नयन (अपग्रेडेशन) के रूप में माना जाएगा और इसे एमएसीपी योजना के तहत एक वित्तीय उन्नयन के बदले में उपयुक्त किया जाएगा।

4. यह केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोच्चि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(शाजि जॉन)

संयुक्त आयुक्त

सेवा में

संबंधित व्यक्ति (संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रति प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड/लेखा परीक्षा, कोच्चि/अपील, कोच्चि
4. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन

प्रति

1. अपर /संयुक्त आयुक्त (का व सत), तिरुवनंतपुरम/कोयिककोड/लेखा परीक्षा, कोच्चि/ सीमा शुल्क (निवारक) कोचिन

(उन से अनुरोध किया जाता है कि वे एम ए सी पी आदेशों का परिचालन उनके अधीन कार्यरत मण्डल कार्यालयों /क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी सहायक /उप आयुक्तों में करें)

2. वेतन एवं लेखा अधिकारी/ मुख्य लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोयिककोड/लेखा परीक्षा, कोच्चि/ सीमा शुल्क गृह, कोचिन
3. सहायक/उप आयुक्त-एर्णाकुलम मंडल/काक्कनाड मंडल/ आलुवा मंडल/ पेरुम्बावूर मंडल/ इडुक्की मंडल/त्रिशूर मंडल/ चालक्कुडी मंडल
4. अधीक्षक, (गोपनीय-सतर्कता), मुख्यालय कोच्चि /प्रशासनिक अधिकारी(डीडीओ) मु.कोच्चि
5. अधीक्षक(सिस्टम्स) उन से अनुरोध है कि वे एमएसीपी आदेश को आयुक्तालय के वेबसाइट में अपलोड करें ।
6. हिंदी कक्ष, कोच्चि आयुक्तालय
7. महासचिव, सभी ग्रुप ख व ग अधिकारी संघ कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(3)/28/2023-ESTT

दिनांक : 08.2023

आदेश सं.: 110 / 2023

विषय : - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां - संबन्धित।

आदेश संख्या 91/2023 दिनांक 29.07.2023 में आंशिक संशोधन में, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	सुधीर पई	11.09.1969	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन को स्था.आदेश के तहत	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि में ही रखा गया
2.	बुरडा साई विद्यासागर	09.06.1991	(हवाई अड्डा/आई व ई, कण्णूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन को स्था.आदेश के तहत	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिककोड में ही रखा गया
3.	अनुपमा वी	24.07.1987	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिककोड	(हवाई अड्डा/आई व ई, कण्णूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
4.	संदीप एस मेनोन	11.07.1991	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर), सीमा शुल्क

			आयुक्तालय, कोयिककोड	(निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
5.	बालगोविन्द राजीव	01.04.1989	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के तहत	डीजीजीआई कोच्चि क्षेत्रीय इकाई, सीसीओ-सीसीए में ही रखा गया

2. वायु सीमा शुल्क कार्यालयों की तैनाती आज की तारीख में अधिकारियों की सतर्कता अनापत्ति के अधीन है। संबंधित कार्यालयों [यानी, हवाई अड्डे, एसीसी (यूबी) या एसीसी (आई एंड ई)] में तैनात करने से पहले, सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकारी इस उद्देश्य के लिए सतर्कता दृष्टिकोण से साफ हैं। हवाई अड्डों/यूबी/आई एंड ई में तैनात अधिकारी प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं पर उन्हें पहले स्थानांतरित करने के विभाग के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए हैं।

3. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारी को अपने नए स्थान पर दिनांक 14.08.2023 तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी जिम्मेदार होंगे |


4. लेखा परीक्षा एवं डीजीजीआई कार्यालयों में तैनात अधिकारियों के संबंध में, नियंत्रक अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों को कार्यमुक्त किया जा रहा है, वे अपनी राहत की तिथि को सतर्कता दृष्टिकोण से साफ हैं।

5. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा | आज की तारीख में प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटान कर दिया गया है।

6. स्थानांतरण आदेश संख्या 91/2023 दिनांक 29.07.2023 के तहत स्थानांतरित उन सभी अधिकारियों को, जिन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया है, तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है | यह उन अधिकारियों पर लागू नहीं होगा जिनके लिए इस आदेश के तहत प्रभार दिए गए हैं |

7. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

4. दिनांक 17.08.2023 तक अनुपालन रिपोर्ट करें |



[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिककोड
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
4. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क(लेखा परीक्षा),कोच्चि
5. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क(अपील),कोच्चि

6. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ कोच्चि
7. अपर/संयुक्त आयुक्त, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेडुम्बाशेरी
8. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के सभी मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
9. उप/सहायक आयुक्त, तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा,कोच्चि
10. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा,कोच्चि
11. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा,कोच्चि
12. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
13. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु ।

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III(3)/4/2023-ESTT

दिनांक : 08.2023

आदेश सं.: 109 / 2023

विषय : - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के आधीक्षक के केंडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां - संबन्धित।

आदेश संख्या 90/2023 दिनांक 29.07.2023 में आंशिक संशोधन में, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	अशोक कुमार	08.09.1980	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के तहत	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड में ही रखा गया
2.	सीना ए मालेत	09.01.1973	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन को स्था.आदेश के तहत	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन में ही रखा गया
3.	विनोद आर पी	10.05.1981	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम को स्था.आदेश के तहत	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
4.	सैतिल कुमार एम	14.09.1975	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर), सीमा	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि में

			शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन को स्था.आदेश के तहत	ही रखा गया
5.	बिजु जे मैथ्यू	10.04.1968	(हवाई अड्डा/आई व ई तिरुवनंतपुरम),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन को स्था.आदेश के तहत	एसीसी(यूबी/आई व ई), तिरुवनंतपुरम, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
6.	सूरज कुमार पी	16.05.1976	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन को स्था.आदेश के तहत	एसीसी(यूबी/आई व ई),करिपुर, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
7.	बालकृष्णन टी एस	14.09.1964	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिककोड को स्था.आदेश के तहत	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
8.	अरविंद कुमार कज्जा	19.08.1985	(हवाई अड्डा/आई व ई तिरुवनंतपुरम),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन को स्था.आदेश के तहत	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
9.	टेस्सी मैथ्यूस	25.05.1967	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के तहत	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि में ही रखा गया
10.	नवीन कुमार	14.11.1979	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के तहत	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि*
11.	दिलीप कुमार	01.03.1980	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के तहत	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिककोड#
12.	कृष्णकांत रंगोलिया	29.06.1992	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व

			उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड को स्था.आदेश के तहत	ई), करिपुर, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
13.	पंकज वरुण	20.09.1992	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड को स्था.आदेश के तहत	(हवाई अड्डा/आई व ई तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
14.	रामसागर मीना	08.07.1996	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड को स्था.आदेश के तहत	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई), करिपुर, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
15.	मीनल बाबु	03.11.1968	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	सीसीओ-सीसीए
16.	गगन कुमार सिद्धु	03.11.1976	सीसीओ-सीसीए	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
17.	कृष्णकुमार आर पी	29.02.1968	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	डीजीजीआई तिरुवनंतपुरम आंचलिक इकाई, सीसीओ-सीसीए

*31.10.2023 तक अपील कार्य में भाग लेने के लिए श्री राजीव कुमार, आयुक्त, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय से संबद्ध |

#31.10.2023 तक अपील कार्य में भाग लेने के लिए श्री मनीष चन्द्र, आयुक्त, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड आयुक्तालय से संबद्ध |

2. वायु सीमा शुल्क कार्यालयों की तैनाती आज की तारीख में अधिकारियों की सतर्कता अनापत्ति के अधीन है। संबंधित कार्यालयों [यानी, हवाई अड्डे, एसीसी (यूबी) या एसीसी (आई एंड ई)] में तैनात करने से पहले, सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकारी इस उद्देश्य के लिए सतर्कता दृष्टिकोण से साफ हैं। हवाई अड्डों/यूबी/आई एंड ई में तैनात अधिकारी प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं पर उन्हें पहले स्थानांतरित करने के विभाग के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए हैं।

3. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त/कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारी को अपने नए स्थान पर दिनांक 14.08.2023 तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी जिम्मेदार होंगे |

4. लेखा परीक्षा एवं डीजीजीआई कार्यालयों में तैनात अधिकारियों के संबंध में, नियंत्रक अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों को कार्यमुक्त किया जा रहा है, वे अपनी राहत की तिथि को सतर्कता दृष्टिकोण से साफ हैं।

5. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा | आज की तारीख में प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटान कर दिया गया है।

6. स्थानांतरण आदेश संख्या 90/2023 दिनांक 29.07.2023 के तहत स्थानांतरित उन सभी अधिकारियों को, जिन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया है, तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है | यह उन अधिकारियों पर लागू नहीं होगा जिनके लिए इस आदेश के तहत प्रभार दिए गए हैं |

7. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

4. दिनांक 17.08.2023 तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

सगौ फ

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिककोड़
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
4. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क(लेखा परीक्षा),कोच्चि
5. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क(अपील),कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ कोच्चि
7. अपर/संयुक्त आयुक्त, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेडुम्बाशेरी
8. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के सभी मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
9. उप/सहायक आयुक्त, तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा,कोच्चि
10. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा,कोच्चि
11. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा,कोच्चि
12. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
13. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर.बिल्डिंग,आई एस प्रेस रोड,कोच्चि -682018C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD,KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/13/2023-Estt

दिनांक: 07.08.2023

स्थापना आदेश सं.: 108 / 2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/मल्टी टास्किंग स्टाफ /82413)

विषय :- एसएससी मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2021 के माध्यम से मल्टी-टास्किंग स्टाफ के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित


इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 15.05.2023 की स्वीकृति पर, अनुसूचित जन जाति श्रेणी के तहत मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में नियुक्ति के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा फा.सं. N-N.11018/10/2023 -Nomination दिनांक 05.04.2023 के माध्यम से नामांकित एक उम्मीदवार श्री सवाई सिंह मीना को अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 1 में (रु.18,000-रु.56,900) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में दिनांक 07.08.2023 (पूर्वाहन) से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन है।

2 श्री सवाई सिंह मीना को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत

साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।



[रानी सी आर]

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री सवाई सिंह मीना,
सुपुत्र राधे श्याम मीना,
गाँव -देद्रौली, डाक-बझेडा, तहसील -हिन्दौन सिटी,
जिला -करौली, राजस्थान -322234

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर.बिल्डिंग,आई एस प्रेस रोड,कोच्चि -682018C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD,KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/342020-Estt

दिनांक :07.08.2023

आदेश सं.: 107 /2023

विषय : प्रशासनिक अधिकारी के ग्रेड में अतिरिक्त प्रभार - संबन्धित ।

वर्तमान में लेखापरीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती दीपा प्रेमकुमार तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक प्रशासनिक अधिकारी, अपील आयुक्तालय, कोच्चि का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगी।

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।\$

(रानी सी आर)

अपर आयुक्त(का व सत)

सेवा में

सम्बन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रेषित

1.मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/लेखा परीक्षा/अपील

प्रतिलिपि

1.मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.अपील /लेखा परीक्षा,कोच्चि

2.अधीक्षक (सिस्टम्स)/ हिंदी इकाई, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/HQR/MISC/130/2022-HQRS

दिनांक: 03.08.2023

आदेश सं.: 106 /2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी & सीएक्स/कोच्चि/हवलदार-II/86347)

विषय :- खेल कोटे पर हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति – संबन्धित ।


इस केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 01.08.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर, अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए खेल कोटे पर चयनित उम्मीदवार, श्री तरप्परंबिल विजयराजन अलकेश राज को, ऐसे भत्ते, जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, सहित के वेतन मैट्रिक्स के स्तर -1 (रु.18,000- रु.56,900) में दिनांक 01.08.2023 (अपराहन) से उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की शर्तों पर अस्थायी तौर पर केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

2. श्री तरप्परंबिल विजयराजन अलकेश राज को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित

जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।



(रानी सी आर)

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री तरप्परंबिल विजयराजन अलकेश राज,
तरप्परंबिल हाउस, एडतिरिंजी डाक,
काक्कतुरुती, इरिन्जलक्कुडा,
त्रिश्शूर - 680122

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक (सतर्कता) , केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु., कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/HQR/MISC/130/2022-HQRS

दिनांक: 03.08.2023

आदेश सं.: 105 /2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी & सीएक्स/कोच्चि/हवलदार-II/86348)

विषय :- खेल कोटे पर हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति – संबन्धित ।


इस केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 01.08.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर, अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए खेल कोटे पर चयनित उम्मीदवार, श्री सौरव टी पी को, ऐसे भत्ते, जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, सहित के वेतन मैट्रिक्स के स्तर -1 (रु.18,000- रु.56,900) में दिनांक 01.08.2023 (अपराहन) से उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की शर्तों पर अस्थायी तौर पर केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

2. श्री सौरव टी पी को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित

जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।



(रानी सी आर)

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री सौरव टी पी,

तायते पीडिकयिल हाउस,

पुतियप्पा डाक, पुतियंगाडी,

कोयिक्कोड - 673021

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक (सतर्कता) , केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/HQR/MISC/130/2022-HQRS

दिनांक:03.08.2023

आदेश सं.: 104 /2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी & सीएक्स/कोच्चि/हवलदार-II/86344)

विषय :- खेल कोटे पर हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति – संबन्धित ।


इस केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 01.08.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर, अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए खेल कोटे पर चयनित उम्मीदवार, श्री जोषुआ सुनील उम्मेन को, ऐसे भत्ते, जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, सहित के वेतन मैट्रिक्स के स्तर -1 (रु.18,000- रु.56,900) में दिनांक 01.08.2023 (अपराहन) से उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की शर्तों पर अस्थायी तौर पर केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

2. श्री जोषुआ सुनील उम्मेन को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित

जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।



(रानी सी आर)

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री जोषुआ सुनील उम्मेन,
नेडुमपरम्बिल मनुविल्ला हाउस,
कल्लुंकल डाक,
तिरुवल्ला - 689102

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक (सतर्कता) , केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/HQR/MISC/130/2022-HQRS

दिनांक:03.08.2023

आदेश सं.: 103 /2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी & सीएक्स/कोच्चि/हवलदार-II/86346)

विषय :- खेल कोटे पर हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति – संबन्धित ।


इस केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 01.08.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर, अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए खेल कोटे पर चयनित उम्मीदवार, श्री अजय अलेक्स को, ऐसे भते, जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, सहित के वेतन मैट्रिक्स के स्तर -1 (रु.18,000- रु.56,900) में दिनांक 01.08.2023 (अपराहन) से उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की शर्तों पर अस्थायी तौर पर केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

2. श्री अजय अलेक्स को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित

जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।



(रानी सी आर)

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री अजय अलेक्स,
तिरुनिलतु तेक्केवीडु,
राममंगलम डाक, राममंगलम,
एर्णाकुलम-686663

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक (सतर्कता) , केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु., कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/HQR/MISC/130/2022-HQRS

दिनांक:03.08.2023

आदेश सं.: 102 /2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी & सीएक्स/कोच्चि/हवलदार-II/86345)

विषय :- खेल कोटे पर हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति – संबन्धित ।


इस केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 01.08.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए खेल कोटे पर चयनित उम्मीदवार, श्री एबिन साबु को, ऐसे भते, जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, सहित के वेतन मैट्रिक्स के स्तर -1 (रु.18,000- रु.56,900) में दिनांक 01.08.2023 (अपराहन) से उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की शर्तों पर अस्थायी तौर पर केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

2. श्री एबिन साबु को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित

जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।



(रानी सी आर)

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री एबिन साबु,
कोल्लूर कियक्केतिल हाउस,
नेडुन्गाडप्पल्ली डाक, कोट्टयम-686545

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक (सतर्कता) , केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु., कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/HQR/MISC/130/2022-HQRS

दिनांक: 03.08.2023

आदेश सं.: 101 /2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी & सीएक्स/कोच्चि/स्टेनोग्राफर-II/86343)

विषय :- खेल कोटे पर आशुलिपिक ग्रेड- II के ग्रेड में नियुक्ति – संबन्धित ।


इस केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 01.08.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर, अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत आशुलिपिक ग्रेड - II के रूप में नियुक्ति के लिए खेल कोटे पर चयनित उम्मीदवार, श्री वैशाख के मनोज को, ऐसे भत्ते, जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, सहित के वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (₹.25,500- ₹.81,100) में दिनांक 01.08.2023 (अपराहन) से उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की शर्तों पर अस्थायी तौर पर केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में आशुलिपिक ग्रेड - II के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

2. श्री वैशाख के मनोज को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित

जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।



(रानी सी आर)

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री वैशाख के मनोज,
उम्मिणिकोट परम्बा,
कल्लाई डाक, कोयिककोड-673003

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक (सतर्कता) , केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2023-Estt

दिनांक : 01.08.2023

स्थापना आदेश सं.: 100 / 2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /हवलदार/85172)

विषय :- एसएससी मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2021 के माध्यम से हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित


इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 18.07.2023 की स्वीकृति पर, मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. ए.12034/एसएससी/06/2020-एडी।।।।बी दिनांक 09.05.2023 और डीजीएचआरडी के पत्र एफ.सं.8/बी/37/एचआरडी (एचआरएम)/2019/पीटी.1 दिनांक 11.05.2023 के माध्यम से हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए आवंटित एक उम्मीदवार श्री चित्तु एस को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 में चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर (रु.18,000-रु.56,900) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में दिनांक 01.08.2023(पूर्वाहन) से नियुक्त किया जाता है।

2. श्री चित्तु एस, को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति /

अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।



[रानी सी.आर.]

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री चित्तु एस,

सुपुत्र सहायदास,

ब्लेस्सेड होम, काटाकोड डाक, काट्टाकड़ा,

जिला - तिरुवनंतपुरम, केरल - 695572

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
2. अधीक्षक(सतर्कता/मु.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2023-Estt

दिनांक : 31.07.2023]

स्थापना आदेश सं.: 99 / 2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /हवलदार/85183)

विषय :- एसएससी मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2021 के माध्यम से हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित


इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 18.07.2023 की स्वीकृति पर, मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. ए.12034/एसएससी/06/2020-एडी।।।।बी दिनांक 09.05.2023 और डीजीएचआरडी के पत्र एफ.सं.8/बी/37/एचआरडी (एचआरएम)/2019/पीटी.1 दिनांक 11.05.2023 के माध्यम से हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए आवंटित एक उम्मीदवार श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 में चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर (रु.18,000- रु.56,900) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में दिनांक 31.07.2023(पूर्वाहन) से नियुक्त किया जाता है।

2. श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा, को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति /

अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।



[रानी सी.आर.]

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा,
सुपुत्र मनोज शंकर मिश्रा,
सरैतंद गाँव, फुलवारिया बहेरी डाक,
थाना - गुरुआ, जिला -गया, बिहार - 824205

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
2. अधीक्षक(सतर्कता/मु.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(-2023/23)/(3Estt

दिनांक :31.07.2023

स्थापना आदेश सं.: 98 / 2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /हवलदार/85154)

विषय :- एसएससी मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2021 के माध्यम से हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 18.07.2023 की स्वीकृति पर, मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. ए.12034/एसएससी/06/2020-एडी।।।।बी दिनांक 09.05.2023 और डीजीएचआरडी के पत्र एफ.सं.8/बी/37/एचआरडी (एचआरएम)/2019/पीटी.1 दिनांक 11.05.2023 के माध्यम से हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए आवंटित एक उम्मीदवार श्री बोबिन पवित्रन (ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आता है और अनारक्षित श्रेणी के तहत आवंटित किया गया है) को वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 में चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर (रु.18,000- रु.56,900) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में दिनांक 31.07.2023(पूर्वाहन) से नियुक्त किया जाता है।

2. श्री बोबिन पवित्रन, को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझे।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति /

अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।



[रानी सी.आर.]

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री बोबिन पवित्रन,
सुपुत्र पवित्रन पी,
कार्तिका,मेलुर डाक,
जिला - कण्णूर, केरल - 670661

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
2. अधीक्षक(सतर्कता/मु.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2023-Estt

दिनांक : 31.07.2023

स्थापना आदेश सं.: 97 / 2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /हवलदार/85151)

विषय :- एसएससी मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2021 के माध्यम से हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित


इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 18.07.2023 की स्वीकृति पर, मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. ए.12034/एसएससी/06/2020-एडी।।।।बी दिनांक 09.05.2023 और डीजीएचआरडी के पत्र एफ.सं.8/बी/37/एचआरडी (एचआरएम)/2019/पीटी.1 दिनांक 11.05.2023 के माध्यम से हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए आवंटित एक उम्मीदवार श्री मिधुन एम को अनारक्षित श्रेणी में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 में चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर (रु.18,000-रु.56,900) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भते में केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में दिनांक 31.07.2023(पूर्वाहन) से नियुक्त किया जाता है।

2. श्री मिधुन एम, को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति /

अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।



[रानी सी.आर.]

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री मिधुन एम,
सुपुत्र ज्योतिबाबु,
मालेम्मल हाउस, पदिनाट्टुमुरी,
काक्कोडी डाक, जिला -कोयिक्कोड, केरल - 673611

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
2. अधीक्षक(सतर्कता/मु.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404


GEXCOM/II/(3)/19/2021-ESTT.

दिनांक: 27.07.2023

आदेश सं.: 96/2023

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के आधीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

आदेश संख्या 70/2023 दिनांक 23.06.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री मोहन जोसेफ की तैनाती, जो लेखा परीक्षा अनुभाग, मुख्यालय से कवरती रैंज में स्थानांतरण के आदेश के तहत है(आदेश की क्रम संख्या 23), रद्द कर दी गयी है।



[मनीष कुमार]

आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के (लेखा परीक्षा) अनुभाग के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
2. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के एर्णाकुलम मंडल के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
4. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), आधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) कोच्चि
5. आधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
6. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT

दिनांक: 29.07.2023

आदेश सं.: 95 / 2023

विषय : - हवलदार एवं हेड हवलदार के ग्रेड में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के हवलदार एवं हेड हवालदार के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सुश्री/सर्वश्री/श्रीमती)	जन्मतिथि	...से	... को
1	साजन वी जी, हेड हवलदार	10.10.1969	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
2	विश्वनाथन पी सी, हेड हवलदार	29.05.1966	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
3	गोविंद प्रकाश, हेड हवलदार	15.04.1966	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिककोड़
4	अजिता वी पी, हवलदार	06.05.1969	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिककोड़
5	श्यामलता के वी, हवलदार	15.03.1970	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिककोड़


6	मुरली के, हवलदार	05.05.1966	सीसीओ-सीसीए	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिककोड
7	चंचल पी जे, हवलदार	17.02.1995	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिककोड
8	चन्दन कुमार, हवलदार	02.04.2000	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
9	सन्नी कुमार, हवलदार	17.04.2000	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,अपील, कोच्चि
10	राजु प्रसाद यादव, हवलदार	15.06.1996	कार्यग्रहण करने पर	सीसीओ-सीसीए
11	अभिषेक सिंह, हवलदार	25.08.1998	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
12	संजय पिप्पल, हवलदार	05.08.1999	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,लेखा परीक्षा, कोच्चि
13	प्रवीण कुमार एन, हवलदार	20.05.1982	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
14	अभिषेक कुमार, हवलदार	10.02.1993	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
15	अखिला विजयन, हवलदार	19.12.1996	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
16	सनोज, हवलदार	23.06.1997	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि

2. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारी को अपने नए स्थान पर दिनांक **07.08.2023** तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे |

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा | आज की तारीख में प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटान कर दिया गया है।

4. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

5. दिनांक 11.08.2023 तक अनुपालन रिपोर्ट करें |



[रानी सी आर]

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिक्कोड
3. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क तिरुवनंतपुरम
4. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा, कोच्चि
5. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
6. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,अपील, कोच्चि
7. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/ डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ कोच्चि

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप /सहायक आयुक्त
2. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा आयुक्तालयों के उप /सहायक आयुक्त
3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि / कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय
4. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि / कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय
5. अधीक्षक(सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि / कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय
6. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/26/2023-Estt

दिनांक : 29.07.2023

आदेश सं.: 94 / 2023


विषय : कार्यकारी सहायक /कर सहायक/ अवर श्रेणी लिपिक के ग्रेड में स्थानांतरण एवं तैनाती
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित ।

कार्यकारी सहायक /कर सहायक/अवर श्रेणी लिपिक के ग्रेडों में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (श्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	... को
1.	रोबिन एस. ईए	28.10.1994	लेखा परीक्षा आयुक्तालय,कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
2.	दीपक कुमार, ईए	06.07.1990	अपील आयुक्तालय, कोच्चि	लेखा परीक्षा आयुक्तालय,कोच्चि
3.	जियास के एम, एलडीसी	30.12.1984	एसीसी (यूबी), करिपुर, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
4.	मुहम्मद राफी एन बी,एलडीसी	16.10.1994	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड आयुक्तालय	हवाई अड्डा/आई व ई/यूबी, करिपुर, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
5.	अरुण कुमार,टीए	18.11.1998	कार्यग्रहण करने पर	अपील आयुक्तालय, कोच्चि
6.	सर्बेश्वर सेनापति	18.03.1997	कार्यग्रहण करने पर	लेखा परीक्षा आयुक्तालय,कोच्चि

2. हवाई अड्डों/यूबी/आई एंड ई में तैनात अधिकारी प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं पर उन्हें पहले स्थानांतरित करने के विभाग के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए हैं।

3. वायु सीमा शुल्क कार्यालयों की तैनाती आज की तारीख में अधिकारियों की सतर्कता अनापत्ति के अधीन है। संबंधित कार्यालयों [यानी, हवाई अड्डे, एसीसी (यूबी) या एसीसी (आई एंड ई)] में तैनात करने से पहले, सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकारी इस उद्देश्य के लिए सतर्कता दृष्टिकोण से साफ हैं।
4. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारी को अपने नए स्थान पर दिनांक **07.08.2023** तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी जिम्मेदार होंगे |
5. लेखा परीक्षा एवं डीजीजीआई कार्यालयों में तैनात अधिकारियों के संबंध में, नियंत्रक अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों को कार्यमुक्त किया जा रहा है, वे अपनी राहत की तिथि को सतर्कता दृष्टिकोण से साफ हैं।
6. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा | आज की तारीख में प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटान कर दिया गया है।
7. दिनांक **11.08.2023** तक अनुपालन रिपोर्ट करें |
8. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |



[रानी सी आर]

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों(पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि /कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा/अपील
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/, प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि//कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा/अपील/सीसीपी
2. अधीक्षक (सिस्टम्स)/ हिंदी इकाई, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि



75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/26/2023-Estt

दिनांक : 29.07.2023

आदेश सं.: 93 / 2023

विषय: मोटर चालक(विशेष ग्रेड) - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के ग्रेड में स्थानांतरण एवं तैनाती - संबन्धित।

मोटर चालक(विशेष ग्रेड) के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इसके साथ दिया जाता है।

क्रसं	नाम (श्री)	कर्मचारी कोड	स्थानांतरित	
			कहाँ से	कहाँ तैनात किया गया
1	मुष्टाक अहमद के एम	06.05.1968	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिककोड आयुक्तालय	सीमा शुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोचिन

2. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके। अधिकारी को अपने नए स्थान पर दिनांक 07.08.2023 तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए। निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

3. दिनांक 11.08.2023 तक अनुपालन रिपोर्ट करें।

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[रानी सी आर]

अपर आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति [संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से]

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ कोयिककोड
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोचिन

प्रतिलिपि :- 1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्र. अधिकारी (डी डी ओ), केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, कोयिककोड/सीसीपी

2. अधीक्षक(सिस्टम्स), हिंदी यूनिट, के कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/26/2023-Estt

दिनांक : 29.07.2023

आदेश सं.: 93 / 2023

विषय: मोटर चालक(विशेष ग्रेड) - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के ग्रेड में स्थानांतरण एवं तैनाती - संबन्धित।


मोटर चालक(विशेष ग्रेड) के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इसके साथ दिया जाता है।

क्रसं	नाम (श्री)	कर्मचारी कोड	स्थानांतरित	
			कहाँ से	कहाँ तैनात किया गया
1	मुष्टाक अहमद के एम	06.05.1968	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड आयुक्तालय	सीमा शुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोचिन

2. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके। अधिकारी को अपने नए स्थान पर दिनांक 07.08.2023 तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए। निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

3. दिनांक 11.08.2023 तक अनुपालन रिपोर्ट करें।

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



[रानी सी आर]

अपर आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति [संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से]

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/ कोयिक्कोड
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोचिन

प्रतिलिपि :- 1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्र. अधिकारी (डी डी ओ), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, कोयिक्कोड/सीसीपी

2. अधीक्षक(सिस्टम्स), हिंदी यूनिट, के कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2023-Estt

दिनांक : 27.07.2023

स्थापना आदेश सं.: 92 / 2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /हवलदार/85152)

विषय :- एसएससी मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2021 के माध्यम से हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित


इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 18.07.2023 की स्वीकृति पर, मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. ए.12034/एसएससी/06/2020-एडी।।।।बी दिनांक 09.05.2023 और डीजीएचआरडी के पत्र एफ.सं.8/बी/37/एचआरडी (एचआरएम)/2019/पीटी.1 दिनांक 11.05.2023 के माध्यम से हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए आवंटित एक उम्मीदवार श्री सनोज को अनारक्षित श्रेणी में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 में चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर (रु.18,000-रु.56,900) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में दिनांक 27.07.2023(पूर्वाहन) से नियुक्त किया जाता है।

2. श्री सनोज, को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति /

अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।


[रानी सी.आर.]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री सनोज,
सुपुत्र रामचंद्रन,
चम्भोत वाडक्केक्करा हाउस,
तिरुवायियोड डाक, जिला -पालक्काड, केरल - 679514

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
2. अधीक्षक(सतर्कता/मु.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT

दिनांक :27.07.2023

आदेश सं.: 91 / 2023

विषय : - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निरीक्षक के केंडर में स्थानांतरण एवं तैनाती - संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	राजीव के	08.04.1974	(हवाई अड्डा, करिपुर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
2.	आशु सोरन	25.12.1993	(हवाई अड्डा, करिपुर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
3.	पोरुष रॉयल	01.01.1970	(हवाई अड्डा, करिपुर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
4.	अक्षय सिंह भदौरिया	26.10.1990	(हवाई अड्डा, करिपुर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
5.	शिवकुमार वी के	09.03.1987	(हवाई अड्डा, करिपुर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
6.	अर्जुन कृष्णा	03.02.1988	(हवाई अड्डा, करिपुर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
7.	परिवेश कुमार स्वामी	23.01.1986	(हवाई अड्डा, करिपुर),	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद

			सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
8.	शशिधरन टी वी	26.05.1967	(हवाई अड्डा, करिपुर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
9.	धन्या के पी	05.09.1983	(हवाई अड्डा, करिपुर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
10.	वीरेद्र प्रताप चौधरी	12.01.1994	(हवाई अड्डा, करिपुर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
11.	नवीन कुमार (सं.2)	15.02.1989	(हवाई अड्डा, करिपुर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
12.	दिनेश मिर्धा	07.07.1992	(हवाई अड्डा, करिपुर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
13.	दुष्यंत कुमार	10.07.1996	(हवाई अड्डा, करिपुर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
14.	संदीप नैन	21.05.1985	(हवाई अड्डा, करिपुर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
15.	किल्ली संदीप	03.08.1990	(हवाई अड्डा, करिपुर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
16.	धरमवीर प्रसाद सिंह	11.09.1982	(हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
17.	शुभा सनिल कुमार	27.02.1971	(हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
18.	सिबी ए जॉर्ज	16.09.1973	(हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
19.	विवेक कुमार त्रिवेदी	01.12.1989	(हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि

20.	गौतम कुमार	01.01.1986	एसीसी (यूबी), हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
21.	सूरज गुप्ता	11.01.1987	(हवाई अड्डा, कण्णूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
22.	संदीप कुमार (सं.11)	07.11.1989	(हवाई अड्डा, कण्णूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
23.	निखिल के आर	26.08.1987	(हवाई अड्डा, कण्णूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
24.	अश्विना नायर	05.01.1989	(हवाई अड्डा, कण्णूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
25.	निवेदिता जिनादेव	04.10.1986	(हवाई अड्डा, कण्णूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	डीआरआई, कण्णूर आंचलिक इकाई, सीसीओ-सीसीए
26.	निशांत ठाकुर	06.08.1987	(हवाई अड्डा, कण्णूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
27.	राजीव वेल्लुवक्कंडी	12.05.1970	(हवाई अड्डा, कण्णूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
28.	पंकज	07.02.1986	(हवाई अड्डा, कण्णूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
29.	राम लाल	11.10.1986	(हवाई अड्डा, कण्णूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
30.	सुरेन्द्र जांगिड	02.07.1992	(हवाई अड्डा, कण्णूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
31.	रवीन्द्र मारुती पालकर	16.08.1982	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा /आई व ई), कण्णूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
32.	अजीत सिंह		केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई), तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन

			तिरुवनंतपुरम	
33.	सुकुमारन एम	25.05.1974	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई ई, करिपुर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
34.	प्रजीत के पी	19.07.1987	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई ई, करिपुर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
35.	दिव्या जी वी	14.05.1981	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	(हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
36.	राधाकृष्णन एन टी के	22.01.1971	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	(हवाई अड्डा /आई व ई, कण्णूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
37.	सुषा नायर	02.03.1981	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
38.	सचिदानंद प्रसाद	05.07.1987	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	(हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई ई, करिपुर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
39.	रवि रंजन	31.12.1986	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा /आई व ई, कण्णूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
40.	नितेश	10.06.1990	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा /आई व ई, कण्णूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
41.	श्रीकुमार एन वी	13.08.1968	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई ई, करिपुर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
42.	सजिता जेन्नी	23.12.1976	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा /आई व ई, कण्णूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
43.	सुधीर पई	11.09.1969	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई ई, करिपुर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
44.	जेम्स अगस्टिन	12.02.1969	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई), तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क

			आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	(निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
45.	षेम्मी जोस	16.05.1969	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा /आई व ई, कण्णूर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
46.	जोसफ जॉन	14.03.1967	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
47.	बिजु नरेन्द्रन	14.05.1968	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा /आई व ई, कण्णूर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
48.	टिट्टिल मैथ्यू	23.06.1968	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई), तिरुवनंतपुरम),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
49.	मुकमल्ला सी कृष्णरेड्डी	08.08.1990	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिककोड	(हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
50.	रविचन्द्र के	20.08.1992	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा /आई व ई, कण्णूर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
51.	के राजशेखर रेड्डी	10.06.1988	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिककोड	(हवाई अड्डा /आई व ई, कण्णूर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
52.	श्रीनाथ पी	01.12.1990	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिककोड	(हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
53.	निकसन के ए	11.11.1969	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
54.	मीसला किरण कुमार	26.08.1989	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिककोड	(हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
55.	राम कृष्ण दसारी	20.04.1990	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा /आई व ई, कण्णूर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
56.	बुरडा साई विद्यासागर	09.06.1991	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क	(हवाई अड्डा /आई व ई, कण्णूर),सीमा शुल्क (निवारक)

			आयुक्तालय, कोयिककोड	आयुक्तालय,कोचिन
57.	रिजोय फ्रांसिस के	31.05.1983	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
58.	प्रणय एस	09.03.1988	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
59.	विजी टी	20.03.1971	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिककोड	(हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
60.	उषा एम अय्यर	11.05.1969	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई), तिरुवनंतपुरम),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
61.	अब्सी एस एस	27.04.1971	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई), तिरुवनंतपुरम),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
62.	चेम्मणूर पैनी थॉमस	05.10.1970	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
63.	के वी माधवनकुट्टी	15.09.1974	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
64.	अजीत सिंह	01.10.1992	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिककोड	(हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
65.	प्रतीक सुकुमार	30.04.1991	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	(हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
66.	मनीष सिंह	18.08.2022	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई), तिरुवनंतपुरम),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
67.	गौरव सिकरवार	21.01.1990	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा /आई व ई, कण्णूर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन

68.	रोहित सिंह	10.03.1993	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई), तिरुवनंतपुरम),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
69.	दोराशाला जगदीश कुमार रेड्डी	17.11.1986	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई), तिरुवनंतपुरम),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
70.	रोसी पीटर	06.08.1970	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
71.	आनंद वी के	07.04.1987	डीजीजीआई कोच्चि क्षेत्रीय इकाई, सीसीओ -सीसीए	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
72.	बालगोविन्द राजीव	01.04.1989	डीजीजीआई कोच्चि क्षेत्रीय इकाई, सीसीओ -सीसीए	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
73.	सुहास के रमेश	14.10.1992	डीजीजीआई कोच्चि क्षेत्रीय इकाई, सीसीओ -सीसीए	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
74.	रामकेश	07.11.1990	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	डीजीजीआई कोच्चि क्षेत्रीय इकाई, सीसीओ -सीसीए
75.	कविता झा	28.12.1994	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	डीजीजीआई कोच्चि क्षेत्रीय इकाई, सीसीओ -सीसीए
76.	सुब्रत अग्रवाल	20.05.1996	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	डीजीजीआई कोच्चि क्षेत्रीय इकाई, सीसीओ -सीसीए
77.	मोहियद्दीन के	12.02.1991	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	डीजीजीआई कोयिककोड आंचलिक इकाई, सीसीओ - सीसीए
78.	विष्णु अशोकन	27.06.1993	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	डीआरआई तिरुवनंतपुरम आंचलिक इकाई, सीसीओ - सीसीए
79.	सुमीत सामुएल	28.02.1987	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
80.	हमीद के के	10.04.1974	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय,	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि

			कोच्चि	
81.	कृष्णन एम पी		केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
82.	दीपक सिंह टोनी	08.06.1991	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
83.	सुधा आर एस	20.05.1972	(हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
84.	वेमु नवीन निश्चल	21.08.1989	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
85.	कपिल गार्ग	25.06.1990	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
86.	संजीव कुमार (सं.3)	03.08.1989	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
87.	शालमोन एब्रहाम	13.08.1993	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
88.	प्रवीण पी अगस्टिन	19.06.1991	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
89.	डी वासवी	23.01.1994	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
90.	प्रणव जी	05.11.1988	सीसीओ -सीसीए	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
91.	अनिरुद्ध सिंह	09.02.1996	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
92.	राघवेन्द्र वशिष्ठ	07.12.1992	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	सीसीओ -सीसीए
93.	एम अनितामोल	14.05.1983	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद

			उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
94.	मणी सिंह राठौर	11.08.1994	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
95.	रजित एस	29.10.1994	नई भर्ती (सीजीएलई 2021)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
96.	अनिता कृष्णन जी ए	31.12.1994	नई भर्ती (सीजीएलई 2021)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
97.	पी के अश्वनी पद्मनाभन	26.07.1995	नई भर्ती (सीजीएलई 2021)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
98.	अभिषेक चौरसिया	20.11.1997	नई भर्ती (सीजीएलई 2021)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
99.	आकाश श्रीवास्तव	30.07.1994	नई भर्ती (सीजीएलई 2021)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
100.	जितिन पी	12.05.1999	नई भर्ती (सीजीएलई 2021)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
101.	अरविंद सुदेव एस	25.03.1993	नई भर्ती (सीजीएलई 2021)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
102.	राहुल शर्मा	02.07.1999	नई भर्ती (सीजीएलई 2021)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम

2. वायु सीमा शुल्क कार्यालयों की तैनाती आज की तारीख में अधिकारियों की सतर्कता अनापत्ति के अधीन है। संबंधित कार्यालयों [यानी, हवाई अड्डे, एसीसी (यूबी) या एसीसी (आई एंड ई)] में तैनात करने से पहले, सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकारी इस उद्देश्य के लिए सतर्कता दृष्टिकोण से साफ हैं। हवाई अड्डों/यूबी/आई एंड ई में तैनात अधिकारी प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं पर उन्हें पहले स्थानांतरित करने के विभाग के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए हैं।

3. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके। अधिकारी को अपने नए स्थान पर दिनांक 07.08.2023 तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए। निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

4. लेखा परीक्षा एवं डीजीजीआई कार्यालयों में तैनात अधिकारियों के संबंध में, नियंत्रक अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों को कार्यमुक्त किया जा रहा है, वे अपनी राहत की तिथि को सतर्कता दृष्टिकोण से साफ हैं।

5. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आज की तारीख में प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटान कर दिया गया है।

6. स्थानांतरण आदेश संख्या 68/2023 दिनांक 23.06.2023 के तहत स्थानांतरित उन सभी अधिकारियों को, जिन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया है, तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।
7. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
4. दिनांक 11.08.2023 तक अनुपालन रिपोर्ट करें।

मनीष

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिककोड़
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
4. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (लेखा परीक्षा), कोच्चि
5. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ कोच्चि
7. अपर/संयुक्त आयुक्त, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेडुम्बाशेरी
8. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के सभी मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
9. उप/सहायक आयुक्त, तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा, कोच्चि
10. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा, कोच्चि
11. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा, कोच्चि
12. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
13. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु।

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(3)/4/2023-ESTT

दिनांक : 07.2023

आदेश सं.: 90 / 2023

विषय : - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के आधीक्षक के केंडर में स्थानांतरण एवं तैनाती - संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	जिष्णु ए जी	02.02.1988	(हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
2.	दीपक पंडार	26.06.1989	(हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
3.	विनय	25.09.1988	(हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि
4.	बिंदु वी	30.05.1969	(हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
5.	उदयशंकर डी	05.11.1973	(हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम), सीमा	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,

			शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	तिरुवनंतपुरम
6.	षीबा आर	30.05.1970	(हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
7.	सनेव थॉमस	21.05.1980	(हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
8.	रेंजिनी पी एस	31.05.1971	(हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
9.	पुष्पा यू	13.07.1967	(एसीसी(आई व ई), तिरुवनंतपुरम),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
10.	बालकृष्णन टी एस	14.09.1964	(हवाई अड्डा, करिपुर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
11.	विजया टी एन	13.08.1973	(हवाई अड्डा, करिपुर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
12.	बाबु नारायणन एम के	26.05.1964	(हवाई अड्डा, करिपुर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
13.	मुरली पी	30.05.1970	(हवाई अड्डा, करिपुर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
14.	जैक्सन जोसफ	09.09.1979	(हवाई अड्डा, करिपुर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
15.	वीणा धर्मराज	11.09.1969	(हवाई अड्डा, करिपुर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
16.	सण्णी थॉमस	12.04.1973	(एसीसी(आई व ई), करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
17.	प्रवीण पी वी	25.05.1974	(एसीसी(यूबी), करिपुर),सीमा शुल्क	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड

			(निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	
18.	सेतुमाधवन के पी	20.05.1964	(हवाई अड्डा, कण्णूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
19.	प्रकाशन के	19.03.1970	(हवाई अड्डा, कण्णूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
20.	बिंदु के कटयमकोट	10.03.1971	(हवाई अड्डा, कण्णूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
21.	श्रीविद्या सुधीर	27.12.1974	(हवाई अड्डा, कण्णूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
22.	प्रेमजित के	15.05.1971	(एसीसी(आई व ई), करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
23.	जिनेश के	07.11.1974	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
24.	अरुण आर	21.12.1985	पदोन्नति पर	डीआरआई टीवीएम क्षेत्रीय इकाई सीसीओ-सीसीए
25.	कविता एल	21.11.1972	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
26.	बादल गफूर ए	13.05.1986	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
27.	अरुणकुमार ए विजयन	21.08.1986	पदोन्नति पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
28.	निर्मला कुमारी बी	04.04.1964	कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेडुम्बाशेरी	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
29.	बिजु जे मैथ्यू	10.04.1968	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	(हवाई अड्डा /आई व ई), तिरुवनंतपुरम),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
30.	बिजु के जैकब	31.05.1971	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
31.	उष्णीकृष्णन के	25.04.1968	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय,	(हवाई अड्डा /आई व ई), कण्णूर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन

			कोच्चि	
32.	विवेक वी	30.10.1979	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	(हवाई अड्डा /आई व ई), तिरुवनंतपुरम),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोच्चिन
33.	सूरज कुमार पी	16.05.1976	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोच्चिन
34.	ग्लाडिस जॉन	17.09.1979	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोच्चिन	(हवाई अड्डा /आई व ई), तिरुवनंतपुरम),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोच्चिन
35.	सुमीत कुमार	09.09.1990	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिककोड	(हवाई अड्डा /आई व ई), कण्णूर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोच्चिन
36.	आशीष कुमार मीना	09.04.1989	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा /आई व ई), कण्णूर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोच्चिन
37.	धन्या नारायणन एम	12.08.1980	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोच्चिन
38.	संदीप उष्णीकृष्णन	04.12.1981	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोच्चिन
39.	शहना एम	02.03.1980	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	(हवाई अड्डा /आई व ई), तिरुवनंतपुरम),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोच्चिन
40.	सैंतिल कुमार एम	14.09.1975	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोच्चिन
41.	जिन्सी एम पी	21.05.1983	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा /आई व ई), तिरुवनंतपुरम),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोच्चिन
42.	विनया सी आर	08.05.1975	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा /आई व ई), तिरुवनंतपुरम),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोच्चिन
43.	रीना एम	15.03.1972	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिककोड	(हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोच्चिन

44.	सीना ए मालेत	09.01.1973	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	(हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
45.	विक्रमादित्य कुमार	17.10.1982	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिककोड को स्था.आदेश के अधीन	(हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
46.	वीरेन्द्र कुमार	10.01.1979	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम को स्था.आदेश के अधीन	(हवाई अड्डा /आई व ई), तिरुवनंतपुरम),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
47.	मिराज के के	20.05.1972	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिककोड को स्था.आदेश के अधीन	(हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
48.	अरविंद कुमार कज्जा	19.08.1985	पदोन्नति पर	(हवाई अड्डा /आई व ई), तिरुवनंतपुरम),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
49.	दीपक कुमार	03.10.1993	पदोन्नति पर	(हवाई अड्डा /आई व ई), कण्णूर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
50.	वेद प्रकाश	05.12.1991	पदोन्नति पर	(हवाई अड्डा /आई व ई), कण्णूर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
51.	के एम मनीष	16.02.1991	पदोन्नति पर	(हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई ई,करिपुर),सीमा शुल्क(निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
52.	संदीप सिंह	21.03.1996	पदोन्नति पर	(हवाई अड्डा /आई व ई), तिरुवनंतपुरम),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
53.	विक्रान्त कुमार वर्मा	09.02.1993	पदोन्नति पर	(हवाई अड्डा /आई व ई), तिरुवनंतपुरम),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
54.	जोफ्फी जोस	22.04.1970	डीआरआई, कोच्चि क्षेत्रीय इकाई, सीसीओ- सीसीए	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
55.	श्रीवल्लभसेनन के	14.09.1972	डीआरआई, कोच्चि क्षेत्रीय इकाई, सीसीओ- सीसीए	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि

56.	चित्रा सी आर	29.01.1970	डीआरआई, ट्रिवेनड्रम आंचलिक इकाई, सीसीओ-सीसीए	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
57.	ज्योति एम जी	19.04.1972	नासिन,कोच्चि, सीसीओ-सीसीए	सीसीओ-सीपीसी
58.	मंजु कृष्णदास	13.12.1986	डीजीजीआई, ट्रिवेनड्रम आंचलिक इकाई, सीसीओ-सीसीए	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
59.	प्रकाशन वी	25.03.1968	पदोन्नति पर	डीआरआई, कण्णूर आंचलिक इकाई, सीसीओ-सीसीए
60.	टैनस मत्थाई	31.05.1971	डीजीजीआई, कोच्चि क्षेत्रीय इकाई, सीसीओ- सीसीए	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
61.	अरविन्दा राजा	14.01.1968	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	डीआरआई, कोच्चि क्षेत्रीय इकाई, सीसीओ-सीसीए
62.	श्रीजित वी	01.08.1982	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	डीआरआई, कोच्चि क्षेत्रीय इकाई, सीसीओ-सीसीए
63.	जिजी एब्रहाम	30.05.1973	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	डीआरआई, कोच्चि क्षेत्रीय इकाई, सीसीओ-सीसीए
64.	जैकब जोसफ	02.06.1986	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	डीआरआई, कोयिक्कोड आंचलिक इकाई, सीसीओ- सीसीए
65.	प्रिया के के	11.12.1979	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम को स्था.आदेश के तहत	डीआरआई, कोयिक्कोड आंचलिक इकाई, सीसीओ- सीसीए
66.	सत्यमुरली एस	14.01.1968	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	डीजीजीआई, कोच्चि क्षेत्रीय इकाई, सीसीओ-सीसीए
67.	शाशिधरन	28.09.1968	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	नासिन कोच्चि, सीसीओ- सीसीए
68.	रामस्वामी एस	01.05.1965	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
69.	मनोज कुमार सी	01.06.1965	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय	सीमा शुल्क (निवारक)

			उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिककोड	आयुक्तालय,कोचिन
70.	राजेंद्रन नायर ए	18.05.1964	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
71.	विल्लियम्स एम ए	08.03.1973	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
72.	सुभाष पी एन	22.12.1972	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिककोड	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
73.	दीपु दिवाकरन	17.04.1982	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
74.	प्रकाश के जी	28.05.1971	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
75.	श्रीकला एस के	13.10.1970	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
76.	अनन्दन नायर	31.05.1967	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
77.	रेजी पी	11.04.1969	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
78.	संतोष बाबु पी डी	20.02.1967	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
79.	सजित कुमार सी आर	31.05.1970	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
80.	अजित कुमार बी एस	01.05.1969	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,

			परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	तिरुवनंतपुरम
81.	विनोद आर पी	10.05.1981	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
82.	संजीव टी एस	16.04.1970	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
83.	सौरब कुमार	20.05.1988	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
84.	जोजु एम माम्पिल्ली	14.01.1969	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	सीसीओ(सीपीसी)
85.	प्रकाश एम	28.05.1971	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि को स्था.आदेश के तहत	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
86.	टेस्सी मैथ्यूस	25.05.1967	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील आयुक्तालय, कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
87.	सुबाष जे शेनॉय	14.11.1979	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
88.	सत्यमैंद्र सिंह	11.12.1985	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
89.	बिंदु रेजित	14.05.1974	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील आयुक्तालय, कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
90.	विजयकुमारी के जी	13.06.1971	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
91.	सिम्ला के एम	21.05.1972	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
92.	उमादेवी एम	11.05.1973	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
93.	दिनेश एम	21.12.1972	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि

			कोयिककोड	
94.	राधा गोपालकृष्णन	25.12.1968	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
95.	कृष्णकांत रंगोलिया	29.06.1992	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिककोड
96.	पंकज वरुण	20.09.1992	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिककोड
97.	क्षितिज शमिनित तिर्की	25.03.1985	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील आयुक्तालय, कोच्चि
98.	राज खुंगुर बसुमती	27.12.1986	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
99.	नेहा मीना	19.09.1996	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
100.	रामसागर मीना	08.07.1996	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिककोड

2. वायु सीमा शुल्क कार्यालयों की तैनाती आज की तारीख में अधिकारियों की सतर्कता अनापत्ति के अधीन है। संबंधित कार्यालयों [यानी, हवाई अड्डे, एसीसी (यूबी) या एसीसी (आई एंड ई)] में तैनात करने से पहले, सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकारी इस उद्देश्य के लिए सतर्कता दृष्टिकोण से साफ हैं। हवाई अड्डों/यूबी/आई एंड ई में तैनात अधिकारी प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं पर उन्हें पहले स्थानांतरित करने के विभाग के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए हैं।

3. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारी को अपने नए स्थान पर दिनांक 07.08.2023 तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी जिम्मेदार होंगे |


4. लेखा परीक्षा एवं डीजीजीआई कार्यालयों में तैनात अधिकारियों के संबंध में, नियंत्रक अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों को कार्यमुक्त किया जा रहा है, वे अपनी राहत की तिथि को सतर्कता दृष्टिकोण से साफ हैं।

5. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा | आज की तारीख में प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटान कर दिया गया है।

6. स्थानांतरण आदेश संख्या 68/2023 दिनांक 23.06.2023 के तहत स्थानांतरित उन सभी अधिकारियों को, जिन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया है, तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है |

7. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

4. दिनांक 11.08.2023 तक अनुपालन रिपोर्ट करें |



[मनीष कुमार]

आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिककोड़
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
4. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क(लेखा परीक्षा),कोच्चि
5. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क(अपील),कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ कोच्चि
7. अपर/संयुक्त आयुक्त, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेडुम्बाशेरी
8. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के सभी मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
9. उप/सहायक आयुक्त, तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा,कोच्चि
10. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा,कोच्चि
11. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा,कोच्चि
12. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
13. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु ।



75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2023-Estt

दिनांक : 26.07.2023

स्थापना आदेश सं.: 89 / 2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /हवलदार/85166)

विषय :- एसएससी मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2021 के माध्यम से हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित


इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 18.07.2023 की स्वीकृति पर, मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. ए.12034/एसएससी/06/2020-एडी।।।।बी दिनांक 09.05.2023 और डीजीएचआरडी के पत्र एफ.सं.8/बी/37/एचआरडी (एचआरएम)/2019/पीटी.1 दिनांक 11.05.2023 के माध्यम से हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए आवंटित एक उम्मीदवार कु. अखिला विजयन (ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आता है और अनारक्षित श्रेणी के तहत आवंटित किया गया है) को वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 में चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर (रु.18,000- रु.56,900) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में दिनांक 26.07.2023(पूर्वाहन) से नियुक्त किया जाता है।

2. कु. अखिला विजयन, को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग या

अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।



[रानी सी.आर.]

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

अखिला विजयन,

सुपुत्री विजयन ई के,

एटोलिल हाउस, पचयक्काड के चप्पात्तु डाक,

जिला - इडुक्की, केरल - 685505

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
2. अधीक्षक(सतर्कता/मु.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(3)/41/2023-Estt

दिनांक : 24.07.2023

स्थापना आदेश सं.: 88 / 2023

विषय: केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप /सहायक आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन - संबन्धित।

आदेश संख्या 60/2023 दिनांक 02.06.2023 के आंशिक संशोधन में, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप / सहायक आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन में निम्नलिखित परिवर्तनों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है:

- श्रीमती सी.टी. बिंदु, उप आयुक्त को प्रशासन का प्रभार सौंपा गया है। श्रीमती अजिता पी., सहायक आयुक्त को लेखा परीक्षा और कर बकाया वसूली का प्रभार सौंपा गया है। श्री आर षैजु, सहायक आयुक्त को सीआरयू, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सूचना अधिकार(केंद्रीय जन सूचना अधिकारी) एवं प्रशिक्षण का प्रभार सौंपा गया है।
- तदनुसार, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप/सहायक आयुक्तों के बीच संशोधित कार्य आवंटन/लिंक अधिकारी नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	सौंपे गए प्रभार	प्रथम लिंक	द्वितीय लिंक
1	सी.टी. बिंदु	का.व सत., सिस्टम्स एवं प्रशासन	माइकल टी एच	शरतचंद्रन एम
2	माइकल टी एच	विधिक और डीजीएचआरएम	एन. एस. जयश्री	सी.टी. बिंदु
3	रंजित शांतकुमार	न्यायनिर्णयन और समीक्षा	अजिता पी	आर षैजु
4	एन. एस. जयश्री	तकनीकी, ससंद प्रश्न, आरएँफडी एवं सांख्यिकी	रंजित शांतकुमार	अजिता पी
5	अजिता पी	आधारिक संरचना, लेखा परीक्षा एवं कर बकाया वसूली	आर षैजु	रंजित शांतकुमार
6	एम शरतचंद्रन	अपवंचनरोधी, मुकदमा एवं सत्यापन कक्ष	सी.टी. बिंदु	माइकल टी एच
7	आर षैजु	सीआरयू, राजभाषा कार्यान्वयन	शरतचंद्रन एम	एन. एस. जयश्री

		समिति, सूचना अधिकार (केंद्रीय जन सूचना अधिकारी) एवं प्रशिक्षण		
8	माया चंद्रन	आलुवा मंडल	माया कुरियन	शांति वी
9	हारिसण एंटणी	एर्णाकुलम मंडल	शांति वी	अनिल राज आर
10	शांति वी	काक्कनाड मंडल	अनिल राज आर	हारिसण एंटणी
11	माया कुरियन	चालक्कुडी मंडल	दीपक कुमार	रॉय वर्गीस
12	दीपक कुमार	त्रिशूर मंडल	माया चंद्रन	माया कुरियन
13	अनिल राज आर	पेरुम्बावूर मंडल	रॉय वर्गीस	दीपक कुमार
14	रॉय वर्गीस	इडुक्की मंडल, कल्याण, खेल एवं मुख्यालय	अनिल राज आर	शांति वी

मनीष

[मनीष कुमार]

आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

मुख्य आयुक्त, केकर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ., तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि:-

1. सभी अपर/ संयुक्त आयुक्त, केकर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ., कोच्चि आयुक्तालय।
2. सभी उप सहायक आयुक्त/ केकर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ., कोच्चि आयुक्तालय।
3. केकर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ., मु कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख।
4. अधीक्षक) सिस्टम्स (केकर एवं . केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2023-Estt

दिनांक : 24.07.2023

स्थापना आदेश सं.: 87 / 2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /हवलदार/85184)

विषय :- एसएससी मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2021 के माध्यम से हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित


इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 18.07.2023 की स्वीकृति पर, मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. ए.12034/एसएससी/06/2020-एडी।।।।.बी दिनांक 09.05.2023 और डीजीएचआरडी के पत्र एफ.सं.8/बी/37/एचआरडी (एचआरएम)/2019/पीटी.1 दिनांक 11.05.2023 के माध्यम से हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए आवंटित एक उम्मीदवार श्री **अभिषेक कुमार** को अन्य पिछड़ा वर्ग - श्रवण बाधित श्रेणी में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 में चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर (रु.18,000- रु.56,900) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में दिनांक **24.07.2023(पूर्वाहन)** से नियुक्त किया जाता है।

2. श्री **अभिषेक कुमार**, को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति /

अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।



[रानी सी.आर.]

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री अभिषेक कुमार,

सुपुत्र योगेन्द्र प्रसाद यादव,

न्यू ऑफिसर्स कॉलोनी, पोल फैक्ट्री का पश्चिम भाग,

जिला - कतिहार, बिहार - 854105

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
2. अधीक्षक(सतर्कता/मु.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(3)/23/2023-Estt

दिनांक : 24.07.2023

स्थापना आदेश सं.: 86 / 2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /हवलदार/85184)

विषय :- एसएससी मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2021 के माध्यम से हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित


इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 18.07.2023 की स्वीकृति पर, मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. ए.12034/एसएससी/06/2020-एडी।।।।.बी दिनांक 09.05.2023 और डीजीएचआरडी के पत्र एफ.सं.8/बी/37/एचआरडी (एचआरएम)/2019/पीटी.1 दिनांक 11.05.2023 के माध्यम से हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए आवंटित एक उम्मीदवार श्री प्रवीण कुमार को अनारक्षित - भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 में चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर (रु.18,000- रु.56,900) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भते में केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में दिनांक 24.07.2023(पूर्वाहन) से नियुक्त किया जाता है।

2. श्री प्रवीण कुमार, को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के

अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।



[रानी सी.आर.]

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री प्रवीण कुमार,

सुपुत्र के आर नारायण पिल्लै,

करलिल वीड, कोईविला डाक,

जिला - कोल्लम, केरल - 691590

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
2. अधीक्षक(सतर्कता/मु.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(3)/23/2023-Estt

दिनांक : 24.07.2023

स्थापना आदेश सं.: 85 / 2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /हवलदार/85184)

विषय :- एसएससी मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2021 के माध्यम से हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित


इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 18.07.2023 की स्वीकृति पर, मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. ए.12034/एसएससी/06/2020-एडी।।।।बी दिनांक 09.05.2023 और डीजीएचआरडी के पत्र एफ.सं.8/बी/37/एचआरडी (एचआरएम)/2019/पीटी.1 दिनांक 11.05.2023 के माध्यम से हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए आवंटित एक उम्मीदवार श्री संजय पिप्पल को अ.जा. श्रेणी में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 में चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर (रु.18,000-रु.56,900) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में दिनांक 24.07.2023(पूर्वाहन) से नियुक्त किया जाता है।

2. श्री संजय पिप्पल, को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति /

अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।



[रानी सी.आर.]

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री संजय पिप्पल,
सुपुत्र राघवेन्द्र सिंह पिप्पल,
गणेश कॉलोनी, मनोहर नगर,
जिला - मोरेना, मध्य प्रदेश - 476001

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
2. अधीक्षक(सतर्कता/मु.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(3)/23/2023-Estt

दिनांक : 24.07.2023

स्थापना आदेश सं.: 84 / 2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /हवलदार/85181)

विषय :- एसएससी मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2021 के माध्यम से हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित


इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 18.07.2023 की स्वीकृति पर, मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. ए.12034/एसएससी/06/2020-एडी।।।।बी दिनांक 09.05.2023 और डीजीएचआरडी के पत्र एफ.सं.8/बी/37/एचआरडी (एचआरएम)/2019/पीटी.1 दिनांक 11.05.2023 के माध्यम से हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए आवंटित एक उम्मीदवार श्री अभिषेक सिंह को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 में चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर (रु.18,000- रु.56,900) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भते में केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में दिनांक 24.07.2023(पूर्वाहन) से नियुक्त किया जाता है।

2. श्री अभिषेक सिंह, को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति /

अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।



[रानी सी.आर.]

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री अभिषेक सिंह,

सुपुत्र वीर पाल सिंह,

गाँव -नगला बहादूर, मखनपुर डाक,

जिला - फ़िरोज़ाबाद, उत्तर प्रदेश - 283145

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
2. अधीक्षक(सतर्कता/मु.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III(3)/23/2023-Estt

दिनांक : 24.07.2023

स्थापना आदेश सं.: 83 / 2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /हवलदार/85180)

विषय :- एसएससी मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2021 के माध्यम से हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित


इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 18.07.2023 की स्वीकृति पर, मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. ए.12034/एसएससी/06/2020-एडी।।।।बी दिनांक 09.05.2023 और डीजीएचआरडी के पत्र एफ.सं.8/बी/37/एचआरडी (एचआरएम)/2019/पीटी.1 दिनांक 11.05.2023 के माध्यम से हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए आवंटित एक उम्मीदवार श्री राजु प्रसाद यादव को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 में चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर (रु.18,000- रु.56,900) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में दिनांक 24.07.2023(पूर्वाहन) से नियुक्त किया जाता है।

2. श्री राजु प्रसाद यादव, को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति /

अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।



[रानी सी.आर.]

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री राजु प्रसाद यादव,
सुपुत्र राम प्रकाश यादव,
गाँव -भिटा काला, मल्हावर डाक,
जिला - बस्ती, उत्तर प्रदेश - 272151

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
2. अधीक्षक(सतर्कता/मु.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2023-Estt

दिनांक : 24.07.2023

स्थापना आदेश सं.: 82 / 2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /हवलदार/85176)

विषय :- एसएससी मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2021 के माध्यम से हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित


इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 18.07.2023 की स्वीकृति पर, मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. ए.12034/एसएससी/06/2020-एडी।।।।बी दिनांक 09.05.2023 और डीजीएचआरडी के पत्र एफ.सं.8/बी/37/एचआरडी (एचआरएम)/2019/पीटी.1 दिनांक 11.05.2023 के माध्यम से हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए आवंटित एक उम्मीदवार श्री सन्नी कुमार को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 में चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर (रु.18,000-रु.56,900) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में दिनांक 24.07.2023(पूर्वाहन) से नियुक्त किया जाता है।

2. श्री सन्नी कुमार, को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति /

अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।



[रानी सी.आर.]

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री सन्नी कुमार,
सुपुत्र जितेन्द्र झा,
अट परिहारा, परिहारा डाक, थाना -बरौनी,
जिला - बेगुसराई , बिहार - 851225

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
2. अधीक्षक(सतर्कता/मु.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2023-Estt

दिनांक : 24.07.2023

स्थापना आदेश सं.: 81 / 2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /हवलदार/85164)

विषय :- एसएससी मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2021 के माध्यम से हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित


इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 18.07.2023 की स्वीकृति पर, मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. ए.12034/एसएससी/06/2020-एडी।।।।.बी दिनांक 09.05.2023 और डीजीएचआरडी के पत्र एफ.सं.8/बी/37/एचआरडी (एचआरएम)/2019/पीटी.1 दिनांक 11.05.2023 के माध्यम से हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए आवंटित एक उम्मीदवार श्री चंदन कुमार (ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आता है और अनारक्षित श्रेणी के तहत आवंटित किया गया है) को वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 में चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर (रु.18,000- रु.56,900) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में दिनांक 24.07.2023(पूर्वाहन) से नियुक्त किया जाता है।

2. श्री चंदन कुमार, को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति /

अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।



[रानी सी.आर.]

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री चंदन कुमार,

सुपुत्र गणेश प्रसाद,

गाँव -चननपुर, अकौना डाक,

थाना -मसौही, जिला-पटना, बिहार - 804453

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
2. अधीक्षक(सतर्कता/मु.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(-2023/23)/(3Estt

दिनांक : 24.07.2023

आदेश सं.: 80 / 2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /हवलदार/85155)

विषय :- एसएससी मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2021 के माध्यम से हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित


इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 18.07.2023 की स्वीकृति पर, मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. ए.12034/एसएससी/06/2020-एडी।।।।बी दिनांक 09.05.2023 और डीजीएचआरडी के पत्र एफ.सं.8/बी/37/एचआरएम/2019/पीटी.1 दिनांक 11.05.2023 के माध्यम से हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए आवंटित एक उम्मीदवार श्री चंचल पी.जे. (ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आता है और अनारक्षित श्रेणी के तहत आवंटित किया गया है) को वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 में चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर (रु.18,000- रु.56,900) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में दिनांक 24.07.2023(पूर्वाहन) से नियुक्त किया जाता है।

2. श्री चंचल पी.जे., को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति /

अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।



[रानी सी.आर.]

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री चंचल पी जे,
सुपुत्र पी एस जनार्दनन,
एडक्काट्टुवयल डाक,
एर्णाकुलम जिला, केरल - 682313

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
2. अधीक्षक(सतर्कता/मु.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2020-Estt

दिनांक :13.07.2023

आदेश सं.: 79 / 2023

विषय: कर सहायक के ग्रेड में पदोन्नति - संबन्धित।

निम्नलिखित अवर श्रेणी लिपिकों को इसके साथ कर सहायक के ग्रेड में भारत सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत भत्तों सहित वेतन मेट्रिक्स में लेवल -4 में रु.25,500 -81,100 वेतनमान में पदोन्नत पद में कार्यग्रहण कर लेने की तारीख से पदोन्नत किया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	कर्मचारी कोड	वर्तमान तैनाती स्थान
1	ए कमलेश	18.03.1977	कोयिककोड आयुक्तालय
2	विवेक बिजु बोस	29.11.1991	कोच्चि आयुक्तालय
3	जोसफ रोलेंट पादुआ	02.05.1973	कोच्चि आयुक्तालय
4	मनोज कुमार के वी	01.09.1973	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
5	फिन्सेर के पी	02.05.1975	कोयिककोड आयुक्तालय
6	बैजु पी आर	04.02.1971	कोच्चि आयुक्तालय
7	सुनील कुमार सी जी	08.02.1968	कोयिककोड आयुक्तालय
8	नौशाद पी	05.03.1975	कोयिककोड आयुक्तालय

2. पदोन्नत अधिकारी दिनांक 31.07.2023 को या उसके पहले पदोन्नत पद में कार्यग्रहण कर लेना चाहिए अन्यथा उच्च पद में उनकी पदोन्नति को रद्द समझा जाएगा। इनकार, यदि कोई हो, तत्काल लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपर्युक्त अधिकारी को नए पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह के भीतर कार्मिक व प्रशिक्षण का ज्ञा. दिनांक 26.09.1981, 05.07.1999 और 27.07.2017 के शर्तों के अधीन वेतन निर्धारण करने के लिए अपना विकल्प देना है। एक बार अगर विकल्प दिया तो उसे अंतिम विकल्प माना जाएगा।

3. नियंत्रण अधिकारियां संबन्धित अधिकारियों के कार्यग्रहण करना /कार्यग्रहण नहीं करना संबन्धित अनुपालन रिपोर्ट इस कार्यालय को दिनांक 07.08.2023 तक भेज देनी चाहिए।

[रानी सी.आर.]

अपर आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रति प्रस्तुत है

- मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र।
- आयुक्त, , केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/कोयिककोड।

3. सामा शुल्क (नवारक) जायुक्त, व.चन ।

प्रति :

1. अधीक्षक (सत./ सिस्टम्स/ मु.), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ)मु केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2023-ESTT

आदेश सं.: 78 / 2023

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के आधीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनाती - संबन्धित।


आदेश सं.70/2023 दिनांक 23.06.2023 के आंशिक संशोधन में, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	गीता के पी	28.01.1969	वंडीपेरियर रेंज को	एर्णाकुलम रेंज 3

2. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारी को अपने नए स्थान पर दिनांक 17.07.2023 तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी जिम्मेदार होंगे |

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

4. दिनांक 21.07.2023 तक अनुपालन रिपोर्ट करें |



[मनीष कुमार]

आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के सभी मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
2. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के सभी अनुभागों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
4. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि
5. अधीक्षक (ईडीपी) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
6. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE
सी.आर बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-
682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

फाइल सं. II/(3)APPT/25/2020

आदेश सं.: 77 / 2023

विषय : केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र, अधीक्षक के संवर्ग में पदोन्नति-
संबन्धित।


निम्नलिखित केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों को, ऐसे भत्ते, जो लागू हो सकते हैं, सहित एवं पूर्व-संशोधित वेतनमान पर ग्रेड वेतन -4,800 / -सहित वेतन बैंड 9,300-34,800 रुपये(वेतन बैंड -2) के अनुरूप, वेतन मेट्रिक्स स्तर - 8 में, गुप'बी' पद, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में तदर्थ और इन-सीटू आधार पर उच्च पद में कार्यभार ग्रहण की तारीख से एवं आगे के आदेश तक इस के साथ पदोन्नत किया किया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि
1	अरविंद कुमार कज्जा	19.08.1985
2	दीपक कुमार (अ.जा.)	03.10.1993
3	वेद प्रकाश (श्र.बा.)	05.12.1991
4	के एम मनीष (अ.जा.)	16.02.1991
5	संदीप सिंह (अ.जा.)	21.03.1996
6	विक्रान्त कुमार वर्मा (अ.जा.)	09.02.1993
7	कृष्ण कांत रंगोलिया (अ.जा.)	29.06.1992
8	पंकज वरुण (अ.जा.)	20.09.1992
9	क्षितिज शमिनित तिकी (अ.ज.जा)	25.03.1985
10	राज खुंगुर बसुमतरी (अ.ज.जा)	27.12.1986
11	नेहा मीना (अ.ज.जा)	19.09.1996
12	राम सागर मीना (अ.ज.जा)	08.07.1996

2. उपर्युक्त अधिकारियों को तत्काल तथा दिनांक **31.07.2023** तक उच्च पद ग्रहण करना चाहिए।

3. निरीक्षकों की अधीक्षक के ग्रेड में पदोन्नति ओपी (सीएटी) संख्या 4305/2011, ओपी (सीएटी) 999/2012, ओपी (सीएटी) संख्या 998/212, ओपी (सीएटी) संख्या 968/2012, ओपी (सीएटी) (ईबी) में सं. 180/00806/2014 और संबंधित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में अन्य लंबित मामले में उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2012 के खिलाफ विभाग द्वारा दायर एसएलपी संख्या 20810/2012 के परिणाम के अधीन है।

4. अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 02.08. 2023 तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए ।


[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिककोड
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि
4. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डी जी जी आई / डी आर आई आंचलिक इकाई, कोच्चि
7. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप/सहायक आयुक्त
8. तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड / सीसीपी / ले.प., कोच्चि में कार्यरत उप/सहायक आयुक्त
9. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि / तिरुवनंतपुरम/कोयिककोड/सीसीपी/ ले.प., कोच्चि
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक(सत. /गोपनीय), कोच्चि/ कोयिककोड/ तिरुवनंतपुरम/ सीसीपी/ ले.प.
11. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
12. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

दिनांक / Date : .07.2023


आदेश सं.: 76 / 2023

विषय : आशुलिपिक ग्रेड- II की श्रेणी में स्थानांतरण एवं तैनाती - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

आशुलिपिक ग्रेड- II की श्रेणी में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ से दिया जाता है ।

क्र. सं.	नाम (श्रीमती)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	...को
1	शिखा मल्होत्रा	25.11.1991	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय	सीसीओ-सीसीए

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।



[रानी सी.आर.]

अपर आयुक्त[का. व सत.]

सेवा में

सम्बंधित व्यक्ति (सम्बंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
2. अधीक्षक (सिस्टम्स/सतर्कता), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि
3. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/VIG/MISC/295/2021-VIG

दिनांक /Dated :19.07.2023

सतर्कता परिपत्र सं .02/2023 / VIGILANCE CIRCULAR No.02/2023

विषय : - एईबीएस प्रणाली में उपस्थिति का अंकन - सम्बंधित |

Sub: Marking of Attendance in AEBAS System -Regarding

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने एफ.सं.11013/13/2023 दिनांक 23 जून 2023 के माध्यम से निर्देश जारी किए हैं कि सभी कर्मचारियों को बिना किसी असफलता के एईबीएस में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए (प्रति संलग्न)। अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ अधिकारी एईबीएस सिस्टम में नियमित रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं।

DoPT vide F.No.11013/13/2023 dated 23rd June 2023 has issued instructions that all employees should mark their attendance in AEBAS without fail(Copy enclosed).It has come to the notice of the undersigned that certain Officers are not regularly marking their attendance in AEBAS systems.

सख्त अनुपालन के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं: -

The following Guidelines are issued for strict compliance :-

- 1) बिना किसी अपवाद के अधिकारियों को एईबीएस मशीन में आगमन और प्रस्थान समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने की आवश्यकता होगी।

The officers without exception will be required to mark their attendance at arrival and at departure time in the AEBAS machine.

- 2) इस कार्यालय ज्ञापन C.No.II/39/29/2015 Vig Cx Chn दिनांक 25.06.2015 में निर्धारित कार्यालय समय का ईमानदारी से पालन किया जा सकता है।

The office timings as prescribed in this Office Memorandum C.No.II/39/29/2015 Vig Cx Chn dated 25.06.2015 may be scrupulously followed.

- 3) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार (जैसा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 28034/8/75- स्थापना दिनांक 04.07.1975; सं. 28034/10/75-स्थान-ए दिनांक 27.08.1975; सं.28034/3/82-स्था.-ए दिनांक 05.03.1982 में निहित है) देर से उपस्थिति के प्रत्येक दिन के लिए आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी काटी जानी चाहिए, लेकिन एक घंटे तक देर से उपस्थिति, एक महीने में दो से अधिक अवसरों पर नहीं, और उचित कारणों के लिए सहायक/उपायुक्त द्वारा माफ किया जा सकता है। आदतन देर से आने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी काटने के अलावा, नियंत्रण

अधिकारी द्वारा उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। जल्दी जाने को भी देर से आने के समान ही माना जाना चाहिए।

As per extant instructions, (as contained in DoPT O.M. No. 28034/8/75-Estt.A dated 04.07.1975; No. 28034/10/75/Estt.-A dated 27.08.1975; No. 28034/3/82-Estt.-A dated 05.03.1982) half-a-day's Casual Leave should be debited for each day of late attendance, but late attendance up to an hour, on not more than two occasions in a month, and for justifiable reasons may be condoned by the Assistant/Deputy Commissioners. Suitable disciplinary action may be initiated by the Controlling Officer, in addition to debiting half-a-day's Casual Leave against Government servants who are habitually late. Early leaving is also to be treated in the same manner as late coming.

- 4) प्रभागीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एईबीएस मशीनें ठीक से स्थापित हैं और अच्छी काम करने की स्थिति में हैं। उन कार्यालयों में जहां उपकरण कुछ दिनों में ठीक से काम नहीं कर सकते हैं, अधिकारियों को नीचे दिए गए प्रारूप में एक रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक है।

The Divisional Officers should ensure that the AEBAS machines are properly installed and is in good working condition. In offices where the devices may not function properly on some days, the officers are required to maintain a register in the format as detailed below.

क्रम सं./ Sl. No.	दिनांक Date	अधिकारी का नाम व पदनाम / Name of the Officer & Designation	समय शुरू Time In	समय समाप्त Time Out	हस्ताक्षर Signature	पर्यवेक्षी अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर Countersign by the Supervisory Officer
-------------------	-------------	--	------------------	---------------------	---------------------	---

- 5) सभी अवकाश आवेदनों को सतर्कता परिपत्र संख्या 01/2023 दिनांक 10.01.2023 में दिए गए निर्देशों के अनुसार निपटाया जाना आवश्यक है। सभी छुट्टियों को भी बीएस में अग्रिम रूप से दर्ज करना आवश्यक है और ऐसे मामलों में जहां ऐसा नहीं किया जाता है, उन्हें अनधिकृत अनुपस्थिति माना जाएगा।

All leave applications are required to be dealt with as per the directions in Vigilance Circular No. 01/2023 dated 10.01.2023. All leave are also required to be entered in advance in the BAS and in cases where it is not done the same will be treated as unauthorised absence.

- 6) जहां एक अधिकारी को घर से सीधे किसी अन्य कार्यालय में खोज/दौरे/प्रशिक्षण जैसी आधिकारिक ड्यूटी के लिए जाना पड़ता है, या देर दोपहर में जाना पड़ता है, जहां से उसके कार्यालय लौटने की संभावना नहीं होती है, इस आशय की सूचना उसके पर्यवेक्षी अधिकारी को अग्रिम रूप से दी जाएगी। यदि किसी अधिकारी को किसी अन्य सरकारी कार्यालय में उपस्थित होना है तो ऐसे अधिकारी को उस कार्यालय में सुबह या शाम को उसकी उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए, जैसा भी मामला हो।

Where an officer is required to go for an official duty such as search/ Tour/ Training in another office directly from home, or proceed in the late afternoon from where he/she is not likely to return to office, an intimation to this effect will be furnished in advance to his/her Supervisory Officer. In case an officer is to attend some other Government office then such officer should mark his/her attendance in that office in the morning or evening as the case may be.

- 7) यह सुनिश्चित करना रिपोर्टिंग अधिकारी का कर्तव्य है कि सभी अधीनस्थ अधिकारियों को उनके अधीन ठीक से मैप किया गया है और सिस्टम में उनकी उपस्थिति को ठीक से चिह्नित कर रहे हैं। यदि अधिकारी उपस्थिति को चिह्नित नहीं कर रहे हैं या बीएस में छुट्टी के बिना अनुपस्थित पाए जाते हैं, तो रिपोर्टिंग / नियंत्रण अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। एक अधिकारी के कार्यग्रहण / राहत पर या जब रिपोर्टिंग अधिकारी में कोई परिवर्तन होता है तो एक रिपोर्ट तत्काल अधीक्षक (सिस्टम) को भेजी जानी चाहिए ताकि सभी अधिकारियों को ठीक से मैप इन / मैप आउट किया जा सके।


It is the duty of the reporting officer to ensure that all the subordinate officers are properly mapped under them and are marking their attendance in the System properly. If the officers are not marking attendance or found absent without leave in the BAS, the reporting/controlling officer will be held responsible. A report must be sent to the Superintendent (Systems) immediately on joining/relief of an officer or when there is a change in the reporting officer so that all officers can be properly mapped in / mapped out.

- 8) सभी सहायक/उपायुक्तों को यह जांचने के लिए निर्देशित किया जाता है कि क्या उनके अधीन काम करने वाले सभी अधिकारियों की उचित मैपिंग की गई है, उनकी उपस्थिति को सत्यापित करें और जांचें कि क्या उसमें की गई प्रविष्टियां इस परिपत्र में उल्लिखित बिंदुओं के अनुपालन में हैं।

All Assistant/Deputy Commissioners are directed to check whether all officers working under them are properly mapped, verify their attendance and check whether the entries made therein are in compliance with the points mentioned in this Circular.

- 9) यह आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This is issued with the approval of the Commissioner.



[रानी सी आर /RANI C R]

अपर आयुक्त(का व सत) / Additional Commissioner(P&V)

सेवा में / To

1. उप /सहायक आयुक्त,मुख्यालय,कोच्चि

The Deputy/Assistant Commissioner, Headquarters Office, Kochi
[Prev.-PRO-Prosecution-Arrear Cell/Admn.-P&V- Sevottam/ Tech-Stat.-
/Review/Adjn./EDP-GST Cell/Legal-RTI-Training/Audit]

2. उप /सहायक आयुक्त,

एर्णाकुलम /काक्कनाड/ आलुवा/ पेरुम्बावूर/ त्रिशूर/ इडुक्की/ चालक्कुडी मंडल
The Deputy/Assistant Commissioner,

Ernakulam/Kakkanad/Aluva/Perumbaavoor/Thrissur/Idukki/Chalakkudy
Division

3. मुख्य लेखा अधिकारी, मु.,कोच्चि / **The Chief Accounts Officer,Hqrs.Office,Kochi**
4. सभी अनुभाग प्रमुख , मु.,कोच्चि /**All Section Heads,Hqrs.Office, Kochi**
5. अधीक्षक (सिस्टम्स)- परिपत्र को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु / **The Superintendent (Systems) for uploading the Circular in the official website**

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :

Copy submitted to

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
**The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise,
Thiruvananthapuram Zone**
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा /अपील
**The Commissioner, Central Tax & Central Excise,
Trivandrum/Kozhikode/Audit /Appeals**
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि **The Commissioner of Customs, Customs
Preventive, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II(39)/60/2023 - ESTT

दिनांक : .07.2023

परिपत्र

विषय : - दिनांक 22.07.2023 को आयोजित किए जाने वाले भर्ती अभियान-
रोजगार मेला के लिए समिति का गठन - सम्बंधित ।

दिनांक 22.07.2023 को 'रोजगार मेला' के सुचारु संचालन के लिए केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निम्नलिखित अधिकारियों के साथ निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है (दिनांक 21.07.2023 को डाई रन) ।

क. समन्वय और नियंत्रण समिति				
क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री /श्रीमती /कु.)	समिति प्रमुख/ सदस्य	संपर्क विवरण	सौंपे गए कार्य
1	साबु सेबास्टियन के, सहायक आयुक्त(सीसीओ)	समिति प्रमुख	8369235205	रोजगार मेला के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए अन्य सभी समितियों के साथ समन्वय करना
2	शुभा चंद्रन, सहायक आयुक्त(सीशु गृह)	सदस्य	9349283285	
3	सुनील वी टी, अधीक्षक(सीसीओ)	सदस्य	9497163884	स्थानीय नोडल अधिकारियों और एचआरडी/एचआरएम/सीबीआईसी के बीच संपर्क के रूप में कार्य करना।
4	रंजित कृष्णन एम, निरीक्षक	सदस्य	9497312174	
ख. स्वागत और सहायता डेस्क समिति				
क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री /श्रीमती /कु.)	समिति प्रमुख/ सदस्य	संपर्क विवरण	सौंपे गए कार्य
1	सी टी बिंदु, उप	समिति प्रमुख	9447464676	1. नई नियुक्तियों को

	आयुक्त			सुविधा प्रदान करना।
2	रेखा तुलसीदास मुख्य लेखा अधिकारी(सीशु गृह)	सदस्य	9446447897	2. नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए सामान्य सूचना फ़ोल्डर, नियुक्त व्यक्ति का डेटा और फ़ोल्डर का प्रबंधन।
3	शशिधरन, अधीक्षक	सदस्य	9895071410	3. कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों, उम्मीदवारों और अन्य मेहमानों के लिए बैठने की व्यवस्था।
4	टोजो डेविस, अधीक्षक	सदस्य	9447002124	4. सामान्य पोस्टर/ बैनर/ कट-ऑफ/ लोगो की व्यवस्था।
5	बिजु जॉर्ज, अधीक्षक	सदस्य	9946852480	
6	साबु पीटर, अधीक्षक	सदस्य	9446338422	
7	लक्ष्मी कुमारी सी, अधीक्षक	सदस्य	9847877085	
8	अनिता सेतुनाथ, अधीक्षक	सदस्य	9447760722	
9	निखिल वर्मा, अधीक्षक, (सीशु गृह)	सदस्य	8218134078	
10	अविषा ओबुलेसु अधीक्षक, (सीशु गृह)	सदस्य	6235075959	
11	षिजिमोल पी यू, निरीक्षक	सदस्य	8589022625	
12	नेहा मीना, निरीक्षक	सदस्य	8290658954	
13	सेतु आर, कार्यकारी सहायक	सदस्य	9496466262	
14	लीना सिंह, कार्यकारी सहायक	सदस्य	9540422708	
15	निखिल सी बाबु, कर सहायक	सदस्य	9656135912	
16	डेल्शा रोस डेविस, कर सहायक(लेखा परीक्षा आयुक्तालय)	सदस्य	9947633003	
17	नीरजा एस नायर, कर सहायक (सीसीओ)	सदस्य	9562786160	
मुद्रण / स्टेशनरी के लिए उप-समिति				
1	भास्करनाथ, अधीक्षक	सदस्य	9495773777	फ़ोल्डर/डोजियर/कॉमन पोस्टर/बैनर/कट-ऑफ/लोगो/बैंक ड्रॉप की छपाई
2	प्रिया के एम, अधीक्षक	सदस्य	9895174697	
3	अनुज कुमार रावत, अधीक्षक	सदस्य	7907502762	
4	विनय कृष्ण दासी, कार्यकारी सहायक (सीशु गृह)	सदस्य	8008810066	
5	रवि रंजन कुमार, कार्यकारी सहायक (सीशु गृह)	सदस्य	8584055755	

ग. कार्यक्रम समिति				
क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री /श्रीमती /कु.)	समिति प्रमुख/ सदस्य	संपर्क विवरण	सौंपे गए कार्य
1	पी जी लालू, सहायक आयुक्त (सीशु गृह)	समिति प्रमुख	9495216556	एंकरिंग/कम्परिंग/ कार्यक्रम/पोडियम के प्रबंधन के उद्देश्य से
2	एन एस जयश्री, सहायक आयुक्त	सदस्य	9447579619	
3	बेलिंडा रिबेल्लो, अधीक्षक(सीसीपी)	सदस्य	9447052535	
4	प्रकाश अलेक्स, अधीक्षक, (सीसीपी)	सदस्य	6282241427	
5	एस सुरेश, अधीक्षक, (लेखा परीक्षा आयुक्तालय)	सदस्य	9567988908	
6	जास्मिन बशीर के, कार्यकारी सहायक, (सीसीपी)	सदस्य	9895204750	
7	नाज़िया सुल्ताना एन, कार्यकारी सहायक(सीसीओ)	सदस्य	9847254282	
घ. हवाई अड्डे/स्थान पर प्रोटोकॉल/स्वागत समिति				
क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री /श्रीमती /कु.)	समिति प्रमुख/ सदस्य	संपर्क विवरण	सौंपे गए कार्य
1	रोऊ वर्गीस, सहायक आयुक्त	समिति प्रमुख	9884601602	हवाई अड्डे के अधिकारियों के साथ समन्वय और उच्च अधिकारियों के लिए प्रोटोकॉल / स्थान पर गणमान्य व्यक्तियों के लिए स्थानीय प्रोटोकॉल
2	रघुराज के, अधीक्षक	सदस्य	9605330125	
3	यूसुफ इब्राहिम, अधीक्षक	सदस्य	9846697555	
4	निष्कर्ष शर्मा, निरीक्षक	सदस्य	9460870185	
5	आदर्श के दास, निरीक्षक	सदस्य	7528956480	
6	किरण एस, निरीक्षक	सदस्य	8547532709	
7	सजित मोहन, निरीक्षक	सदस्य	7558933807	
8	जितिन जोस, निरीक्षक	सदस्य	9400600020	
9	ज़ियाद हाषिम एन आई, निरीक्षक(सीसीपी)	सदस्य	9400261495	
10	सुमीत कुमार वाष्णैय, निरीक्षक	सदस्य	9235523090	

11	च.अशोक विश्वनाथ, निवारक अधिकारी (सीशु गृह)	सदस्य	9952976560
12	दीपेश, निवारक अधिकारी (सीशु गृह)	सदस्य	9024233217
13	मरोजु श्रीहास, निवारक अधिकारी (सीशु गृह)	सदस्य	9052056884
14	विष्णु रेंगमन, निवारक अधिकारी (सीशु गृह)	सदस्य	9847233487

ड. परिवहन और रसद

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री /श्रीमती /कु.)	समिति प्रमुख/ सदस्य	संपर्क विवरण	सौंपे गए कार्य
1	माइकल टी एच, सहायक आयुक्त	समिति प्रमुख	9446040903	गणमान्य व्यक्तियों और उम्मीदवारों के लिए परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था / प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था / एम्बुलेंस / फायर ब्रिगेड / स्थल पर पार्किंग व्यवस्था / अतिरिक्त बिजली।
2	सुभाष जे शेनॉय, अधीक्षक(सीसीपी)	सदस्य	9895365407	
3	जस्टिन जे, अधीक्षक	सदस्य	9846072529	
4	कुमार वैभव वरुण, अधीक्षक, (सीशु गृह)	सदस्य	9871247366	
5	बेसिल फिलिप, निरीक्षक	सदस्य	9496022111	
6	संजय प्रदीप, निरीक्षक	सदस्य	7907958261	
7	षिनुमोन अगस्टिन, निरीक्षक(सीसीपी)	सदस्य	9142606059	
8	राकेश के आर,एलडीसी	सदस्य	8714217340	

च. तकनीकी समिति

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री /श्रीमती /कु.)	समिति प्रमुख/ सदस्य	संपर्क विवरण	सौंपे गए कार्य
1	रामचंद्रन एम., सहायक आयुक्त (सीसीओ)	समिति प्रमुख	9447909295	1. एनआईसी की टीम के साथ समन्वय 2. वर्चुअल लिंक, जो साझा किया जाएगा, के माध्यम से शामिल होने के लिए स्थल पर इंटरनेट का प्रावधान 3. क्षमता के अनुसार बड़े
2	रजित एस.,अधीक्षक	सदस्य	9495105522	
3	आर रतीश, अधीक्षक(सीशु गृह)	सदस्य	9846414142	
4	प्रबोध एस., अधीक्षक	सदस्य	9995361697	
5	रोहित सिंह, निरीक्षक	सदस्य	9027441102	

6	मिधुन ए., निरीक्षक	सदस्य	8827402347	स्क्रीन पर पीएम के भाषण को देखने की व्यवस्था
---	--------------------	-------	------------	--

छ. मीडिया समिति

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री /श्रीमती /कु.)	समिति प्रमुख/ सदस्य	संपर्क विवरण	सौंपे गए कार्य
1	नेटटिक्काडन अंटोणियो, सहायक आयुक्त(लेखा परीक्षा आयुक्तालय)	समिति प्रमुख	9495466577	1. दूरदर्शन, आकाशवाणी, प्रिंट मीडिया और अन्य निजी चैनलों के साथ संपर्क और कार्यक्रम का अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करना 2. कार्यक्रम का व्यापक प्रचार 3. गणमान्य व्यक्तियों के साथ तस्वीरें लेने और कुछ नए नियुक्तियों से बाइट लेने की व्यवस्था। 4. डीओपीटी के साथ साझा किए जाने वाले मीडिया कवरेज
2	जो एंटणी, अधीक्षक	सदस्य	9400528310	
3	ज्योति मोहन, अधीक्षक(सीशु गृह)	सदस्य	9497459948	
4	रोसेलिन जोस थॉमस कोरुतु, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	सदस्य	8547853938	
5	विष्णु सत्यन, निरीक्षक	सदस्य	8919872318	
6	कुमारी प्रेरणा, निवारक अधिकारी(सीशु गृह)	सदस्य	8210334109	

ज. जलपान समिति

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री /श्रीमती /कु.)	समिति प्रमुख/ सदस्य	संपर्क विवरण	सौंपे गए कार्य
1	रंजित शांतकुमार, सहायक आयुक्त	समिति प्रमुख	7012211299	अतिथियों/अधिकारियों/उम्मीदवारों के लिए जलपान की व्यवस्था करना
2	श्रीकुमारन उण्णी के., अधीक्षक (सीसीओ)	सदस्य	9895395951	
3	टी आर रागिणी देवी अधीक्षक (सीसीओ)	सदस्य	9496753843	
4	करुण विजय एम एलडीसी	सदस्य	7994629163	

झ. बजट एवं लेखा समिति

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री /श्रीमती /कु.)	समिति प्रमुख/ सदस्य	संपर्क विवरण	सौंपे गए कार्य
1	सुनिता पी एल, मुख्य लेखा अधिकारी	समिति प्रमुख	9446428277	सक्षम अधिकारियों से व्यय स्वीकृति प्राप्त करना और बजट/खातों का प्रबंधन करना।
2	रेखा तुलसीदास, मुख्य लेखा अधिकारी	सदस्य	9446447897	

3	शीजी के टी, प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य	9446048978	
---	----------------------------------	-------	------------	--

समिति के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे रोज़गार मेले के संचालन के लिए संबंधित समितियों के प्रमुखों के साथ समन्वय में कार्य करें।

यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

मनीष

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में,

सम्बंधित व्यक्तियाँ।

प्रति प्रस्तुत है :

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र, कोच्चि -682005
2. सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
3. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, आयुक्तालय, कोच्चि
4. सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क गृह, कोचिन



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सीआर बिल्डिंग., आईप्रेस रोड .एस., कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II(3)/4/2023 -ESTT

सेवा में

केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त,
ट्रिवेनड्रम/कोयिक्कोड़/ सीसीपी/लेखा परीक्षा/अपील आयुक्तालय

महोदय,

विषय : - वार्षिक सामान्य अंतरण 2023 - अभ्यावेदन - संबंधित ।

वार्षिक सामान्य स्थानांतरण 2023 के संबंध में सभी अभ्यावेदन, विशेष रूप से उन अधिकारियों के संबंध में जिन्होंने ऑनलाइन जमा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे इसे तुरंत और 10.07.2023 से पहले ऑनलाइन जमा करें।

यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीया,

(रानी सी आर)

अपर आयुक्त

प्रति प्रस्तुत है :

1. मुख्य आयुक्त का कार्यालय, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1.उप /सहायक आयुक्त, एर्णाकुलम /काक्कनाड/त्रिशूर/चालक्कुडी/आलुवा/पेरुम्बावूर/इडुक्की मंडल

2. मुख्यालय,कोच्चि के सभी अनुभाग

/1442701/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्तमंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2023-ESTT

Date: 27.09.2023

ORDER NO. 152/2023

Sub : Work Allocation - Assigning of charge to assist the Member, Kerala Authority of Advance Ruling – Reg.

As per sub-section (1) of section 96 of Kerala State Goods and Services Tax Act, 2017 (20 of 2017), the Government of Kerala constitutes Kerala Authority for Advance Ruling to pronounce Advance Ruling as per notification issued under G.O (P) No 123/2017/TAXES dated 21st October 2017 and published as S.R.O No. 638/2017 in the Kerala gazette, Extraordinary No. 2251 dated 21st October 2017.

2. The Government notifies one officer from Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone as a member in Kerala Authority for Advance Ruling. In order to assist the said member so notified in the Kerala Authority for Advance Ruling, the following officer is assigned charge in addition to the charges he is holding at present:-

1. **Shri. Sasikumar.P, Superintendent, Munnar Range.**

3. This is issued with the approval of the Competent Authority.

Signed by

Rani C R

Date: 27-09-2023 18:19:03
(Rani C. R.)

Additional Commissioner

To

The Individual

Copy Submitted to :

1. The Chief Commissioner, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone

Copy to :

1. The Dy./Asst. Commissioner, Central Tax & Central Excise, Idukki Division

2. The Superintendent (Systems), Central Tax & Central Excise, Kochi

Done
23/11/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/32/2023-Estt

Date: 27 .09.2023

ORDER NO. 151/2023

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthapuram GST & CX/CCO &
 CCA/ TAX ASSISTANT/86629)

**Sub: Appointment to the grade of Tax Assistant through SSC -
 Combined Graduate Level Examination, 2022 - Reg**

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 21.09.2023, **Shri. Nithin O.**, a candidate allocated by the Ministry for appointment as Tax Assistant under **OBC** category vide letter F.No.A.12034/SSC/07/2022-Ad.III(B) dated 08.08.2023, is appointed as Tax Assistant in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level - 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **26.09.2023 (F.N)**.

2. Shri. Nithin O. is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to

done
 23/11/2023

/1440334/2023

belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 27-09-2023 12:54:55

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

To

**Shri. Nithin O.
S/o Satheesh Babu,
Pazhamthottathil House,
Kadalundi P.O.,
Kozhikode, Kerala - 673302.**

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आर्. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, T.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/32/2023-Estt

Date: 27.09.2023

ORDER NO. 150/2023

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/TAX ASSISTANT/86627)

Sub: Appointment to the grade of Tax Assistant through SSC – Combined Graduate Level Examination, 2022 – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 21.09.2023, **Ms. Vyshnavi E.K.**, a candidate allocated by the Ministry for appointment as Tax Assistant under **UR category** vide letter F.No.A.12034/SSC/07/2022-Ad.III(B) dated 08.08.2023, is appointed as Tax Assistant in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **26.09.2023 (F.N)**.

2. **Ms. Vyshnavi E.K.** is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that her appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that her claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy

Done
 22/11/2023

/1440350/2023

Layer' as the case may be, is false, her services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 27-09-2023 12:56:20

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

To

**Ms. Vyshnavi E.K.
D/o Krishnan Embrandiri E.M.,
Edamana Kailasam, Cherukunnu,
Othukkungal P.O., Malappuram,
Kerala - 676528.**

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1452533/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

Date: .09.2023

ESTABLISHMENT ORDER NO.149/2023

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2021 - Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 12.06.2023, **Shri. Abhishek Meena**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/13/2021-Ad.III.B dated 02.05.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **ST** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **13.09.2023 (F.N)**.

2. **Shri. Abhishek Meena** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Abhishek Meena** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

Done
22/11/2023

/1452533/2023

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by

Maneesh Kumar

[MANEESH KUMAR]
Date: 04-10-2023 17:23:00
COMMISSIONER

To

**SHRI. ABHISHEK MEENA
RAILWAY QTR NO 4033
MAIN RESIDENCY ROAD
NEAR ROTARY CIRCLE JODHPUR
RAJASTHAN PIN- 342001.**

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell - for Hindi Version.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/155/2021-Estt

Date: 22.09.2023

ORDER NO. 148/2023

Sub: Regularisation of Part-Time Casual Labourers - Appointment to the grade of Havaldar - Reg.

As per Board's letter F.No.C.18013/25/2009-Ad.IIIB dated 05.12.2022 and on the basis of the recommendation of the Committee held on 21.09.2023 which considered regularization of Part-Time Casual Labourers under the Part-Time Casual Labourers (Regularisation) Scheme of CBIC 2020, the following Part-Time Casual Labourers are hereby appointed to officiate as Havaldar (Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial) in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone, subject to verification of character and antecedents, in Level - 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from the date of joining the post.

Sl No:	Name (S/Shri./Smt.)	Date of birth	Category
1	Pavithran A.K.	01.01.1966	SC
2	Radhamany T.R.	07.05.1972	OBC
3	Geetha N.M.	26.05.1968	OBC
4	Beevi Kunju K.H.	18.05.1971	OBC
5	Latha K.K.	28.03.1968	OBC
6	Prasanth P.R.	25.05.1972	UR
7	Thadevous K.V.	01.02.1968	OBC
8	Selvaraj B.M.	30.05.1968	ST
9	Parvathy A.	10.07.1966	SC
10	Kumari P.C.	16.08.1966	SC
11	Molly V.K.	20.05.1967	SC

Done
23/09/2023

/1430275/2023

12	Baiju M.P.	30.05.1971	OBC
13	Sayan K.M.	21.04.1966	SC

2. If they accept the offer of appointment on the conditions mentioned in this offer, they should appear before the Deputy Commissioner (P&V), Central Tax and Central Excise, C R Building, I S Press Road, Kochi on or before **06.10.2023**. If they fail to report for duty within the specified time limit, this order of appointment will be treated as cancelled.

3. You are required to bring the following documents (in original) along with 3 (three) sets of photocopies at the time of reporting for duty:

- Matriculation/High School Certificate showing Date of Birth.
- All other Academic Certificates showing Educational Qualifications and also subjects studied at various levels.
- Certificates in support of your claim regarding experience and Certificates about Extra-Curricular Activities.
- Certificates in support of your claim as SC/ST/OBC/EWS/EX-Service/PWD, if applicable.
- Aadhaar Card.

4. You are also required to bring the following documents. [Format of the documents are available on Kochi Commissionerate website - <http://www.cenexcisekochi.gov.in/ssc-recruitment/>].

- Completely filled 3 (three) copies of attestation form with Identity certificate and Character certificate (Annexure-II). Identity Certificates and Character Certificates have to be obtained from three different Gazetted Officers.
- You should accept the conditions of service given in 'Annexure-I'.
- You are required to undergo the prescribed Medical examination and to produce the Medical Certificate from a Medical Officer not below the rank of Civil Surgeon (Annexure-III - Candidates statement and declaration & medical certificate). Certificate should be produced in triplicate.

5. They are informed that their appointment to the grade of Havaldar is purely on a temporary and provisional basis and they are liable to be discharged from service at any time without assigning any reasons.

6. They are further informed that they will be on probation for a period of two years. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

7. The department will not pay any travelling or other expenses to the candidate at the time of joining.

Signed by

Rani C R

Date: 22-09-2023 13:21:42

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

To

- Shri. Pavithran A.K., Part-Time Casual Labourer,
Central Tax and Central Excise, Kochi.

/1430275/2023

2. **Shri. Radhamany T.R., Part-Time Casual Labourer, Central Tax and Central Excise, Kochi.**
3. **Smt. Geetha N.M., Part-Time Casual Labourer, Central Tax and Central Excise, Kochi.**
4. **Shri. Beevi Kunju K.H., Part-Time Casual Labourer, Central Tax and Central Excise, Kochi.**
5. **Smt. Latha K.K., Part-Time Casual Labourer, Central Tax and Central Excise, Kochi.**
6. **Shri. Prasanth P.R., Part-Time Casual Labourer, Central Tax and Central Excise, Kochi.**
7. **Shri. Thadevous K.V., Part-Time Casual Labourer, Central Tax and Central Excise, Kochi.**
8. **Shri. Selvaraj B.M., Part-Time Casual Labourer, Central Tax and Central Excise, Kochi.**
9. **Smt. Parvathy A., Part-Time Casual Labourer, Central Tax and Central Excise, Kozhikode.**
10. **Smt. Kumari P.C., Part-Time Casual Labourer, Central Tax and Central Excise, Kochi.**
11. **Smt. Molly V.K., Part-Time Casual Labourer, Central Tax and Central Excise, Kochi.**
12. **Shri. Baiju M.P., Part-Time Casual Labourer, Central Tax and Central Excise, Kochi.**
13. **Shri. Sayan K.M., Part-Time Casual Labourer, Central Tax and Central Excise, Kochi.**

(Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/Thiruvananthapuram/Kozhikode/Audit/Appeals/CCP.**

Copy to:

1. **The Additional/Joint Commissioner (P&V), Central Tax and Central Excise, Kozhikode/ CCP.**
2. **The Assistant/Deputy Commissioner in charge of all divisions under Kochi/Thiruvananthapuram/Kozhikode/Audit/Appeals/CCP.**
3. **The Superintendent (Vig/Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi/Thiruvananthapuram/Kozhikode/Audit/Appeals/CCP.**
4. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi/Thiruvananthapuram/Kozhikode/Audit/Appeals/CCP.**
5. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1427608/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्तमंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/26/2023-Estt

Date: 21.09.2023

ORDER NO. 147/2023

Sub: Transfer and postings in the grades of Executive Assistant/Lower Division Clerk – Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate – Reg.

The following transfer and postings in the grades of Executive Assistant/Lower Division Clerk are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name & Designation (S/Shri./Smt.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Sethu R., EA	21.10.1985	Establishment Section, Hqrs Kochi	Accounts (Expenditure) Section, Hqrs Kochi
2.	Alga Winny James, EA	17.05.1993	Ernakulam Division	Establishment Section, Hqrs Kochi
3.	Robin S., EA	28.10.1994	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Ernakulam Division
4.	Sayona Augustine, LDC	15.05.1983	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Ernakulam Division
5.	Jiyas K.M., LDC	30.12.1984	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Aluva Division

dom
23/09/2023

/1427608/2023

2. The above order should be complied with latest by 06.10.2023 and the compliance reports should reach this office by 13.10.2023.
3. This is issued with the approval of the competent authority.
4. Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 21-09-2023 14:43:11

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Deputy Commissioner, Central Tax and Central Excise, Ernakulam Division.**
2. **The Assistant Commissioner, Central Tax and Central Excise, Aluva Division.**
3. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems)/(Admn)/(Vig), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
5. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1427599/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT

Date: 21.09.2023

ORDER NO. 146/2023

Sub: Transfer & Postings in the grades of Head Havaldar & Havaldar -
 Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate- Reg.

The following transfer & postings in the grades of Head Havaldar and Havaldar
 of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, are hereby ordered with
 immediate effect:

Sl. No.	Name & Designation (S/Shri./Kum.)	Date of Birth	From	To
1	P.R. Harshan, Head Havaldar	12.02.1969	Aluva Division	Aluva Range
2	Rajan A.M., Head Havaldar	14.05.1964	Hqrs, Kochi	Aluva Division
3	Joy P.V., Head Havaldar	16.05.1964	Hqrs, Kochi	Angamaly Range
4	Murugan M., Head Havaldar	26.05.1969	Perumbavoor Division	Munnar Range
5	Christopher N.A., Head Havaldar	08.03.1965	Ernakulam Ranges 1 to 6	Ernakulam Ranges 5 & 6

Done
23/11/2023

/1427599/2023

6	Chanchal P J, Havaladar	17.02.1995	UoT to Central Tax & C.Ex Commissionerate, Kochi	Hqrs, Kochi
7	Abhishek Singh, Havaladar	25.08.1998	UoT to Central Tax & C.Ex Commissionerate, Kochi	Hqrs, Kochi
8	Abhishek Kumar, Havaladar	10.02.1993	UoT to Central Tax & C.Ex Commissionerate, Kochi	Hqrs, Kochi
9	Akhila Vijayan, Havaladar	19.12.1996	UoT to Central Tax & C.Ex Commissionerate, Kochi	Hqrs, Kochi
10	Sanoj, Havaladar	23.06.1997	UoT to Central Tax & C.Ex Commissionerate, Kochi	Hqrs, Kochi
11	Pushpendra Kumar Mishra, Havaladar	27.02.1995	UoT to Central Tax & C.Ex Commissionerate, Kochi	Perumbavoor Division
12	Abin Sabu, Havaladar	16.11.1998	UoT to Central Tax & C.Ex Commissionerate, Kochi	Kakkanad Ranges 1 to 5
13	Joshua Sunil Oommen, Havaladar	09.09.2000	UoT to Central Tax & C.Ex Commissionerate, Kochi	Ernakulam Ranges 3 & 4
14	Sourav T.P., Havaladar	28.03.1998	UoT to Central Tax & C.Ex Commissionerate, Kochi	Ernakulam Ranges 1 & 2
15	Ajay Alex, Havaladar	02.11.1998	UoT to Central Tax & C.Ex Commissionerate, Kochi	Hqrs, Kochi
16	Tharaparambil Vijayarajan Alkesh Raj, Havaladar	15.02.2000	UoT to Central Tax & C.Ex Commissionerate, Kochi	Hqrs, Kochi

2. The temporary posting of **Shri. Anil Kumar M.G., Head Havaladar** vide Office Order GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT dated 13.02.2023 stands cancelled.

3. The above officers must be relieved and should join their new place of posting latest

427599/2023

by 06.10.2023.

4. Report compliance on 13.10.2023.

5. Hindi Version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 21-09-2023 14:41:11

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer/ Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Hqrs Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
4. **The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
5. **The Superintendent (Systems) - for uploading in website.**
6. **Hindi Cell - for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 विचमंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, IS. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

Date: .09.2023

ESTABLISHMENT ORDER NO.145/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/83133)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2021 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 12.06.2023, **Shri. Rahul Sharma**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/13/2021-Ad.III.B dated 02.05.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR/ PwD-Other** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **24.07.2023 (A.N)**.

2. **Shri. Rahul Sharma** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Rahul Sharma** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

done
22/11/2023

/1411101/2023

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by

Maneesh Kumar

Date: 13-09-2023 12:22:44
[MANEESH KUMAR]

COMMISSIONER

To

SHRI. RAHUL SHARMA
R/O GARNARI
P/O AMALA TEH MARHEEN KATHUA,
JAMMU AND KASHMIR - 184144.

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell - for Hindi Version.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

Date: .09.2023

ESTABLISHMENT ORDER NO.144/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/83131)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2021 - Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 12.06.2023, **Shri. Vinod Meena**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/13/2021-Ad.III.B dated 02.05.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **ST** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **16.06.2023 (F.N)**.

2. **Shri. Vinod Meena** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Vinod Meena** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

done
22/11/2023

/1411096/2023

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC/ST/OBC/EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC/EWS or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by

Maneesh Kumar

Date: 13.09.2023 13:22:21

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. VINOD MEENA
C/O MAKKHAN LAL MEENA, GODRA,
KARALI, RAJASTHAN - 321611.

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.

/1411096/2023

8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1411136/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. प्रेस रोड, कोच्चि, IS. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexkochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

Date: .09.2023

ESTABLISHMENT ORDER NO.143/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/83130)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2021 - Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 12.06.2023, **Shri. Gourav Umatiya**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/13/2021-Ad.III.B dated 02.05.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **SC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **13.06.2023 (F.N)**.

2. **Shri. Gourav Umatiya** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Gourav Umatiya** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

Done
 02/09/2023

/1411136/2023

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC/ST/OBC/EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC/EWS or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by

Maneesh Kumar

Date: 13-09-2023 13:27:44
[MANEESH KUMAR]

COMMISSIONER

To

SHRI. GOURAV UMATIYA
W-142 UMATIYA SADAN, CENTRAL AREA, RETI STAND,
AVARIMATA COLONY, UDAIPUR RAJASTHAN - 313001.

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.

71411136/2023

8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1411099/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्तमंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

Date: .09.2023

ESTABLISHMENT ORDER NO.142/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/83129)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2021 - Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 12.06.2023, **Shri. Rakesh Kumar Bairwa**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/13/2021-Ad.III.B dated 02.05.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **SC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **19.06.2023 (F.N)**.

2. **Shri. Rakesh Kumar Bairwa** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Rakesh Kumar Bairwa** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the

Done
 22/11/2023

/1411099/2023

appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC/ST/OBC/EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC/EWS or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by

Maneesh Kumar

[MANEESH KUMAR]

COMMISSIONER

To

**SHRI. RAKESH KUMAR BAIRWA
VILLAGE JANKI BALAMPURA POST SHIVDASPURA
TEHSIL CHAKSU JAIPUR
RAJASTHAN - 303901.**

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell - for Hindi Version.

/1411141/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: ceexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

Date: .09.2023

ESTABLISHMENT ORDER NO.141/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/83126)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2021 - Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 12.06.2023, **Shri. Aravind Sudev S**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/13/2021-Ad.III.B dated 02.05.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **SC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **30.06.2023 (F.N)**.

2. **Shri. Aravind Sudev S** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Aravind Sudev S** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

done
22/11/2023

/1411141/2023

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC/ST/OBC/EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC/EWS or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by

Maneesh Kumar

Date: 13.09.2023 13:28:44

~~MANEESH KUMAR~~

COMMISSIONER

To

**SHRI. ARAVIND SUDEV S
VALIYATHARA HOUSE
MALIPURAM PO VALAPPU
ERNAKULAM - 682511.**

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.

/1411141/2023

8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1411122/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त-मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्तका कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

Date: .09.2023

ESTABLISHMENT ORDER NO.140/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/83124)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2021 - Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 12.06.2023, **Shri. Jithin P**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/13/2021-Ad.III.B dated 02.05.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **SC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **28.06.2023 (F.N)**.

2. **Shri. Jithin P** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Jithin P** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent

Done
22/11/2023

/1411122/2023

absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC/ST/OBC/EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC/EWS or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by

Maneesh Kumar

Date: 13-09-2023 13:25:28
[MANEESH KUMAR]

COMMISSIONER

To

SHRI. JITHIN P
PALLIYALIL HOUSE, KARIPPUR POST,
MALAPPURAM - 673638.

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.

/1411122/2023

8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1411084/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

Date: .09.2023

ESTABLISHMENT ORDER NO.139/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/83117)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2021 - Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 12.06.2023, **Shri. Akash Shrivastav**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/13/2021-Ad.III.B dated 02.05.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **EWS** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **30.06.2023 (F.N)**.

2. **Shri. Akash Shrivastav** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Akash Shrivastav** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

Done
22/11/2023

/1411084/2023

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC/ST/OBC/EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC/EWS or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by

Maneesh Kumar

Date: 13-09-2023 13:20:57

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. AKASH SHRIVASTAV
C/O KAMLESH SHRIVASTAV,
PP 862 NEW COLONY, PALHANI BELAISA,
AZAMGARH DISTRICT, UTTAR PRADESH - 276001.

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell - for Hindi Version.

/1411104/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, IS. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: gexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

Date: .09.2023

ESTABLISHMENT ORDER NO.138/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/83116)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2021 - Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 12.06.2023, **Shri. Rahul Kumar**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/13/2021-Ad.III.B dated 02.05.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **EWS** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **13.06.2023 (F.N)**.

2. **Shri. Rahul Kumar** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Rahul Kumar** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

done
22/11/2023

/1411104/2023

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC/ST/OBC/EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC/EWS or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by

Maneesh Kumar

Date: 13-09-2023 13:24:18

[MANEESH KUMAR]

COMMISSIONER

To

SHRI. RAHUL KUMAR
VILL KHURNU KALAN PO SADOKHAR PS CHENARI,
DIST ROHTAS
BIHAR - 821104.

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.

3-
/1411104/2023

- 8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
- 9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexkochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

Date: .09.2023

ESTABLISHMENT ORDER NO.137/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/83115)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2021 - Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 12.06.2023, **Shri. Danish Khan**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/13/2021-Ad.III.B dated 02.05.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **EWS** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **20.06.2023 (F.N)**.

2. **Shri. Danish Khan** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Danish Khan** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

down
22/11/2023

/1411139/2023

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC/ST/OBC/EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC/EWS or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by

Maneesh Kumar

Date: 13-09-2023 13:28:14

[MANEESH KUMAR]

COMMISSIONER

To

SHRI. DANISH KHAN

BABA CHORAHA POONAM COLONY PACHPAHAR JHALAWAR

RAJASTHAN - 326512.

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**

/1411139/2023

8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1411127/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त-मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, IS. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: gexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

Date: .09.2023

ESTABLISHMENT ORDER NO.136/2023

(Thirvananthapuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/83114)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2021 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 12.06.2023, **Shri. Himanshu Singh**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/13/2021-Ad.III.B dated 02.05.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **EWS** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **13.06.2023 (F.N)**.

2. **Shri. Himanshu Singh** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Himanshu Singh** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

/1411127/2023

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC/ST/OBC/EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC/EWS or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by

Maneesh Kumar

Date: 13-09-2023 13:26:20

[MANEESH KUMAR]

COMMISSIONER

To

SHRI. HIMANSHU SINGH
VPO-GADAKHERA
TEHSIL BUHANA DIST-JHUNJHUNU
RAJASTHAN - 333026.

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.


Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.

/1411127/2023

8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1411155/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि IS PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

Date: .09.2023

ESTABLISHMENT ORDER NO.135/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/83113)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2021 - Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 12.06.2023, **Shri. Abhishek Chourasiya**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/13/2021-Ad.III.B dated 02.05.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **30.06.2023 (F.N)**.

2. **Shri. Abhishek Chourasiya** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Abhishek Chourasiya** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

done
22/11/2023

/1411155/2023

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC/ST/OBC/EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC/EWS or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by

Maneesh Kumar

Date: 13-09-2023 13:29:44

[MANEESH KUMAR]

COMMISSIONER

To

SHRI. ABHISHEK CHOURASIYA

**WARD NO 13 RAMCHARAN KI BAGIYA KE PASS HOUSING COLONY BHIND,
MADHYA PRADESH PIN-477001.**

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**

/1411155/2023

9. Hindi Cell – for Hindi Version.

/1411097/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexkochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

Date: .09.2023

ESTABLISHMENT ORDER NO.134/2023

(Thiruvananthapuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/83112)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2021 - Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 12.06.2023, **Shri. Sandeep S**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/13/2021-Ad.III.B dated 02.05.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **13.06.2023 (F.N)**.

2. **Shri. Sandeep S** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Sandeep S** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

done
22/11/2023

/1411097/2023

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by

Maneesh Kumar

Date: 13-09-2023 13:22:48

[MANEESH KUMAR]

COMMISSIONER

To

SHRI. SANDEEP S
AISWARYA HARITHA NAGAR HOUSE NO 602
THRIKKANNAMANGAL KOTTARAKKARA
KOLLAM - 691506.

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell - for Hindi Version.

/1411081/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 विज्ञानमंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

Date: .09.2023

ESTABLISHMENT ORDER NO.133/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/82695)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2020 - Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 12.06.2023, **Ms. P K Aswani Padmanabhan**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/13/2021-Ad.III.B dated 02.05.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **04.07.2023 (F.N)**.

2. **Ms. P K Aswani Padmanabhan** is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Ms. P K Aswani Padmanabhan** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not

done
22/11/2023

/1411081/2023

be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by

Maneesh Kumar

Date: 13-09-2023 13:20:24
[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

Ms. P K ASWANI PADMANABHAN
ASWANI NIVAS, PO MUNDAYAD,
KANNUR - 670594.

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell - for Hindi Version.

/1411147/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

Date: .09.2023

ESTABLISHMENT ORDER NO.132/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/82694)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2021 - Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 12.06.2023, **Shri. Anantha Krishnan G A**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/13/2021-Ad.III.B dated 02.05.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **23.06.2023 (F.N)**.

2. **Shri. Anantha Krishnan G A** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Anantha Krishnan G A** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the

done
22/11/2023

/1411147/2023

appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by

Maneesh Kumar

Date: 13-09-2023 13:29:14

[MANEESH KUMAR]

COMMISSIONER

To

SHRI. ANANTHA KRISHAN G A
KRISHNAS MANALUVILA,
MARAYAMUTTOM P.O., NEYYATTINKARA,
THIRUVANANTHAPURAM - 695124.

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

/1411093/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: gexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

Date: .09.2023

ESTABLISHMENT ORDER NO.131/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/82693)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2020 - Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 12.06.2023, **Ms. Aiswarya P**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/13/2021-Ad.III.B dated 02.05.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **20.06.2023 (F.N)**.

2. **Ms. Aiswarya P** is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Ms. Aiswarya P** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for

done
22/11/2023

/1411093/2023

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by

Maneesh Kumar

Date: 13.09.2023 13:21:43
[MANEESH KUMAR]

COMMISSIONER

To

Ms. AISWARYA P,
SREEHARI,
RARICHAN ROAD,
ERANHIPALAM P.O.,
CALICUT - 673006.

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

/1411111/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

Date: .09.2023

ESTABLISHMENT ORDER NO.130/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/82692)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2021 - Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 12.06.2023, **Shri. Rejith S**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/13/2021-Ad.III.B dated 02.05.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **30.06.2023 (F.N)**.

2. **Shri. Rejith S** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Rejith S** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent

done
22/11/2023

/1411111/2023

absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 13-09-2023 13:24:57
[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. REJITH S,
REMYALAYAM,
THOITHALA, VADAMON P.O.,
ANCHAL, KOLLAM- 691306.

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

/1411125/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2023-ESTT.

Date: .09.2023

ESTABLISHMENT ORDER NO.129/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/82690)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2021 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 12.06.2023, **Shri. Jince Pius**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/13/2021-Ad.III.B dated 02.05.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **13.06.2023 (F.N)**.

2. **Shri. Jince Pius** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Jince Pius** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

down
22/11/2023

/1411125/2023

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by

Maneesh Kumar

Date: 13-09-2023 13:25:52

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. JINCE PIUS,
MANNAMPLACKAL, PODIMATTOM ,
PALAMBRA P.O.,
KOTTAYAM- 686518.

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्तमंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/38/2023-ESTT

Date: .09.2023

ORDER No. 128/2023

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name(S/Shri./Smt.)	DOB	From	To
1	AMIT BHARTI	16.01.1981	CCO-CCA	(Perumbavur Range) Kochi Commissionerate
2	ROY JOSEPH	26.05.1968	(Perumbavur Range) Kochi Commissionerate	CCO-CCA

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by **15.09.2023**. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

4. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

5. Report compliance by **18.09.2023**.

Done
22/11/2023

/1403099/2023

Signed by

Maneesh Kumar

Date: 08-09-2023 17:04:18
[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Dy./Asstt. Commissioner in charge of of Central Tax & Central Excise, Perumbavur Division.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
5. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1377252/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्तमंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2023-ESTT.

ORDER No. 126/2023

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & posting in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name (S/Shri./Smt.)	DOB	From	To
1	KIRAN S	05.02.1993	Technical Section	Technical/RTI Section

3. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by **01.09.2023**. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

5. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed of.

done
22/11/2023

/1377252/2023

8. Report compliance by **05.09.2023**.

Signed by

Maneesh Kumar

Date: 28.08.2023 16:09:03

[**MANEESH KUMAR**]

COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems) - for uploading in website.**
5. **Hindi Cell - for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त-मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2023-ESTT.

ORDER No. 125/2023**Sub: Transfer & Postings in the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.**

In partial modification to Order No. 112/2023 dated 11.08.2023, the following transfer & postings in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

SI No	Name(S/ Shri./Smt.)	DOB	From	To
1	AKHIL T K	17.04.1991	Statistics/RTI Section, Hqrs Kochi	Technical I/ Statistics/ RTI Section, Hqrs Kochi
2	BIJU M R	14.04.1970	Technical/ DGARM Section, Hqrs Kochi	Technical II/ DGARM Section, Hqrs Kochi
3	MANOJ KUMAR YADAV	04.07.1982	UoT to Kothamangalam Range	Paravur Range
4	RAJKUMAR C K	15.05.1974	Paravur Range	Perumbavur Division

Done
22/11/2023.

/1375706/2023

5	Mini V K	24.04.1969	Perumbavur Division	Kothamangalam Range
---	----------	------------	------------------------	------------------------

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by **01.09.2023**. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.

4. Report compliance by **05.09.2023**.

Signed by

Maneesh Kumar

[MANEESH KUMAR]
Date: 28-08-2023 09:04:02
COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems)) - for uploading in website.**
5. **Hindi Cell - for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अपत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

File No:II/(3)/APPT/25/2020-ESTT

Order No. 124/2023

**Sub: Notional promotion to the cadre of Superintendent of
 Central Tax, Central Excise & Customs - reg.**

Shri. Sajith Kumar C R, Superintendent of Central Tax & Central Excise is hereby notionally promoted to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, on regular basis, in Level-8 of the Pay Matrix (corresponding to pay band of Rs. 9,300- 34,800 (PB-2) GP - Rs. 4,800/- in pre-revised scale) plus such allowances as may be applicable with effect from 30.06.2011 and until further orders. His seniority in the cadre of Superintendent is assigned immediately below Smt. Alice A J and above Shri. Ramadas K P.

2. The officer will have to exercise the option for pay fixation in terms of DoPT O.M dated 26.09.1981 and 05.07.1999 within one month from the date of issue of this order. Option once exercised shall be final.

3. The promotion of the Inspectors to the grade of Superintendent is subject to the outcome of SLP No. 20810/2012 filed by the Department against High Court Order dated 28.03.2012 in OP (CAT) No. 4305/2011, OP (CAT) No. 999/2012, OP (CAT) No.998/2012, OP (CAT) No. 968/2012, O.A. No. 180/00806/2014 in CAT (EB) and any other pending cases in concerned Courts/Tribunals.

done
 22/11/2023

/1375707/2023

4. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 28-08-2023 09:19:52
[Maneesh Kumar]
Commissioner

To

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to,

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.

2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.

3. The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.

4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.

5. The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.

6. The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.

7. All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.

8. The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.

9. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/

Thiruvananthapuram/Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.

10. The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.

11. The Superintendent (Systems) - for uploading in website.

12. Hindi Cell - for Hindi Version

/1369263/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III(3)/21/2023-ESTT

Date: .08.2023

ORDER NO. 123/2023

Sub: Transfer & Postings in the grade of Multi-Tasking Staff - Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate- Reg.

The following transfer & posting in the grade of Multi-Tasking Staff of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name (Shri.)	Date of Birth	From	Posted to
1	Sawai Singh Meena	30-06-1990	UOT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Kakkanad Division

- This is issued with the approval of Competent Authority.
- Hindi Version follows.

Signed by

Bindu C T

Date: 23.08.2023 17:28:11

[G.T. Bindu]

Deputy Commissioner (P&V)

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

done
22/11/2023

/1369263/2023

2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.

Copy to:

- 1. The Deputy Commissioner, Central Tax & Central Excise, Kakkanad Division.**
- 2. The Chief Accounts Officer / Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
- 3. The Administrative Officer (DDO) Central Tax & Central Excise, Kochi/ Kakkanad Division.**
- 4. The Superintendent (Vig./Systems/Hqrs) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
- 5. Hindi Cell – for Hindi Version.**

1/1372695/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्तमंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/8/2020-Estt

Date: 23.08.2023

ORDER NO. 122/2023

Sub: Transfer and postings in the grade of Stenographer
 Grade-II – Central Tax and Central Excise, Kochi
 Commissionerate - Reg.

The following transfer and postings in the grade of Stenographer Grade-II are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Vaisakh K. Manoj	19.07.2002	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	JC (Audit/Legal)'s Unit, Hqrs Kochi
2.	Ankit Kumar	13.06.1996	ADC (Adjn)'s and JC (Audit)'s Unit, Hqrs Kochi	ADC (Adjn)'s Unit, Hqrs Kochi

- This is issued with the approval of the competent authority.
- Hindi version follows.

Signed by

Bindu C T

Date: 25-08-2023 11:56:01

[C.T. Bindu]

Deputy Commissioner [P&V]

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

- The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.
- The Additional Commissioner (Adjn), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.

dm
 22/8/2023

/1372695/2023

3. **The Joint Commissioner (Audit/Legal), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Superintendent (Systems)/(Vigilance), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**
3. **The Hindi Translation Officer, Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT

Date: 08.09.2023

ORDER NO. 121/2023

Sub: Transfer & Postings in the grade of Havaldar and Head Havaldar - Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone- Reg.

The following transfer & postings in the grade of Havaldar and Head Havaldar of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone, are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name & Designation (S/Shri./ Smt./Kum.)	Date of Birth	Present Commissionerate	Posted To
1	Sajan V.G., Head Havaldar	10.10.1969	UOT to Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Retained at Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
2	Chithu S, Havaldar	09.08.1997	On joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
3	Pushpendra Kumar Mishra, Havaldar	27.02.1995	On joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
4	Midhun M, Havaldar	07.08.1997	On joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode

done
22/11/2023

/1403788/2023

5	Bobin Pavithran, Havaladar	29.04.1998	On joining	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
6	Alida Pious, Havaladar	25.09.1996	On joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
7	Abin Sabu, Havaladar	16.11.1998	On joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
8	Joshua Sunil Oommen, Havaladar	09.09.2000	On joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
9	Sourav T.P., Havaladar	28.03.1998	On joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
10	Ajay Alex, Havaladar	02.11.1998	On joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
11	Tharaparambil Vijayarajan Alkesh Raj, Havaladar	15.02.2000	On joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

2. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

3. Hindi Version follows.

Signed by Bindu C T

Date: 08-09-2023 19:29:01

Reason: Approved
[C.T. Bindu]

Deputy Commissioner (P&V)

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**

3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**

4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**

5. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**

6. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**

7. **The Additional Director General, DGGI/ NACIN/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**

1403788/2023

Copy to:

1. All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.
2. The Deputy / Assistant Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Customs (Preventive)/ Appeals/ Audit Comm'tes.
3. The Chief Accounts Officer / Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.
4. The Administrative Officer (DDO) Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.
5. The Superintendent (Vig./ Hqrs.) Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kochi/ Kozhikode / Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.
6. The Superintendent (Systems) - for uploading in website.
7. Hindi Cell - for Hindi Version.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III(3)/21/2023-ESTT

Date: .08.2023

ORDER NO. 120/2023

Sub: Transfer & Postings in the grade of Multi-Tasking Staff - Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone- Reg.

The following transfer & posting in the grade of Multi-Tasking Staff of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone, is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name & Designation (S/Shri.)	Date of Birth	From	To
1	Sawai Singh Meena	30-06-1990	On Joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

- This is issued with the approval of Competent Authority.
- Hindi Version follows.

Signed by

Bindu C T

Date: 22-08-2023, 17:12:57

[C.T. Bindu]

Deputy Commissioner (P&V)

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

- The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Done
22/11/2023

/1366684/2023

2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode/ Thiruvananthapuram.
3. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
4. The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.
5. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
6. The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.

Copy to:

1. All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.
2. The Deputy / Assistant Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Customs (Preventive)/ Audit Comm'tes.
3. The Chief Accounts Officer / Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.
4. The Administrative Officer (DDO) Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.
5. The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kochi/ Kozhikode / Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.
6. The Superintendent (Systems) – for uploading in website.
7. Hindi Cell – for Hindi Version.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्तमंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/3/39/2022-Estt

Date: 25.08.2023

ORDER NO. 119/2023

Sub: Transfer and posting in the grades of Tax Assistant/Lower
 Division Clerk – Central Tax and Central Excise,
 Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following transfer and postings in the grades of Tax Assistant/Lower
 Division Clerk are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name & Designation (S/Shri./Smt./Kum.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Jisna Mathew, TA	07.01.1999	On joining	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
2.	Sayona Augustine, LDC	15.05.1983	CCO-CCA	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate
3.	Sreejith K.V., LDC	14.04.1990	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	CCO-CCA

- This is issued with the approval of the competent authority.
- Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 25-08-2023 15:31:11

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

Done
 22/11/2023

/1373780/2023

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/Audit.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise, Audit Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems)/(Vigilance), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**
4. **The Hindi Translation Officer, Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आर्. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexkochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/3/8/2020-Estt

Date: 22.08.2023

ORDER NO. 118/2023

Sub: Transfer and posting in the grade of Stenographer Grade-II – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following transfer and posting in the grade of Stenographer Grade-II is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Vaisakh K. Manoj	19.07.2002	On joining	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate

- This is issued with the approval of the competent authority.
- Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 22-08-2023 17:10:20

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

To

The individual (Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

- The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.
- The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.

Copy to:

done
22/8/2023

/1366664/2023

1. The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.
2. The Superintendent (Systems)/(Vigilance), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.
3. The Hindi Translation Officer, Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्तमंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(3)/23/2023-Estt

Date: 22.08.2023

ORDER NO. 117/2023
 (DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST &
 CX/Kochi/HAVALDAR/85159)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar, through SSC Multi-Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2021 – Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 18.07.2023, **Kum. Alida Pious**, a candidate allocated by the Ministry for appointment as Havaldar vide letter F.No.A.1 2034/SSC/06/2020-Ad.III.B dated 09.05.2023 and DGHRD's letter F. No. 8/B/37/HRD(HRM)/2019/Pt.I dated 11.05.2023 (belongs to OBC category and allocated under **UR category**), is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **22.08.2023 (F.N)**.

2. **Kum. Alida Pious** is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that her appointment is provisional

dom
 22/11/2023

/1365592/2023

and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 22-08-2023 14:44:08

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

To

**Kum. Alida Pious,
D/o Shri. Pious Thomas,
Chowattukunnel, Moonnilavu,
Kottayam District, Kerala – 686586.**

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Superintendent (Vigilance/Hqrs.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1354523/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(3)/28/2023-ESTT.

Date: .08.2023

ORDER No. 116/2023

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate- reg.

In partial modification of Order No. 113/2023 dated 11.08.2023 the following transfer & postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name(S/Shri./Smt.)	DOB	From	To
1	SUMEET SAMUEL	28.02.1987	UOT to Angamaly Range	Ernakulam Range 1
2	ABHIJITH S	19.02.1993	UOT to Ernakulam Range 1	Angamaly Range

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by **18.08.2023**. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

4. Report compliance by **22.08.2023**.

Signed by

Maneesh Kumar

[MANEESH KUMAR]

Date: 16.08.2023 17:30:55

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:


1. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

done
22/11/2023

/1354523/2023

Copies to:

1. All Dy./Asst. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.
2. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.
3. The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.
4. The Superintendent (Systems) – for uploading in website.
5. Hindi Cell – for Hindi Version.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

File No. III/(25)/38/2020-ESTT.

Date: .08.2023

ORDER No. 115/2023

Sub: Voluntary retirement from service in respect Shri Sathes Kumar P, Superintendent, Ernakulam Division, Kochi Commissionerate - reg.

In terms of the provisions of Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972, the Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi is pleased to permit Shri Sathes Kumar P, Superintendent, Ernakulam Division, Kochi Commissionerate to retire voluntarily from Government Service with effect from 31.08.2023 A.N subject to all relevant conditions as applicable to Government servants under Voluntary Retirement Scheme pursuant to his representation dated 05.06.2023.

2. It is informed that competent authority has relaxed the requirement of notice period of three months, subject to the condition that the Government servant shall not apply for commutation of a part of his pension before 05.09.2023 (i.e, the date of expiry of the period of notice of three months). An undertaking to this effect may be submitted by the officer to this office immediately.

3. All dues in respect of Shri Sathes Kumar P, Superintendent pending if any, may be recovered from his retirement benefits as per rules.

Signed by

Bindu C T

(C.T. BINDU)

DEPUTY COMMISSIONER (P&A) Date: 10-08-2023 17:26:48

To:

Shri Sathes Kumar P, Superintendent, (Through the Supervisory Officer concerned) Ernakulam Division, Kochi Commissionerate.

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Deputy Commissioner, Ernakulam Division – He may obtain the declaration as mentioned in para 2 above from the officer and also the 'No due certificate' from AO (DDO)/ Central Excise Co-operative Society, at the time of relief on Voluntary Retirement.
2. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Kochi Commissionerate, Kochi.
3. The Administrative Officer (DDO), Ernakulam Division.
4. The Superintendent (Confl./Vig.), Kochi Commissionerate, Kochi.
5. The Superintendent (Systems) – for uploading in website.
6. The Secretary, Central Excise Co-operative Society, Kochi.
7. Hindi Cell – for Hindi Version

done
23/11/2023

/1352960/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आर्. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, LS. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cecxcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/HQR/MISC/130/2022-HQRS

Date: .08.2023

ORDER NO. 114/2023

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/TAX
 ASSISTANT/86453)

**Sub: Appointment to the grade of Tax Assistant on Sports
 Quota – Reg**

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 11.08.2023, **Ms. Jisna Mathew**, a candidate selected for appointment on Sports Quota as Tax Assistant under **UR category**, is appointed as Tax Assistant in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **11.08.2023 (A.N)**.

2. **Ms. Jisna Mathew** is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that her appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that her claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, her services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate

Done
 22/11/2023

/1352960/2023

(applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by

Shaji John

Date: 16-08-2023 12:38:42

[Shaji John]

Joint Commissioner [P&V]

To

**Ms. Jisna Mathew,
Kuzhivelil (House),
New Naduvil,
Vayattuparamba (P.O.),
Kannur - 670582.**

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexkochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/3/41/2020-Estt

Date: 16.08.2023

ORDER NO. 113/2023

**Sub: Work Allocation among Deputy/Assistant Commissioners
 of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate –
 Reg.**

In partial modification to Order No. 88/2023 dated 24.07.2023, the following change in the work allocation among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered with immediate effect:

2. Shri. Ranjit Santakumar, Assistant Commissioner is assigned the charge of Infrastructure.
3. Accordingly, the revised work allocation/link officers among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, is given below:

Sl. No.	Name of Officer (S/Shri./Smt.)	Charges Assigned	1 st Link	2 nd Link
1.	C.T. Bindu	P&V, Systems, Administration & Accounts	Michael T.H.	Sarath Chandran M.
2.	Michael T.H.	Legal & DGARM	N.S. Jayasree	C.T. Bindu
3.	Ranjit Santakumar	Adjudication, Review & Infrastructure	Ajitha P.	R. Shyju
4.	N.S. Jayasree	Technical, Parliament Questions, RFD & Statistics	Ranjit Santakumar	Ajitha P.

Done
22/11/2023

/1353663/2023

5.	Ajitha P.	Audit & Tax Arrear Recovery	R. Shyju	Ranjit Santakumar
6.	Sarath Chandran M.	Anti Evasion, Prosecution & Verification Cell	C.T. Bindu	Michael T.H.
7.	R. Shyju	CRU, OLIC, RTI (CPIO) & Training.	Sarath Chandran M.	N.S. Jayasree
8.	Maya Chandran	Aluva Division	Maya Kurian	Shanthi V.
9.	Harrison Antony	Ernakulam Division	Shanthi V.	Anil Raj R.
10.	Shanthi V.	Kakkanad Division	Anil Raj R.	Harrison Antony
11.	Maya Kurian	Chalaky Division	Deepak Kumar	Roy Varghese
12.	Deepak Kumar	Thrissur Division	Maya Chandran	Maya Kurian
13.	Anil Raj R.	Perumbavoor Division	Roy Varghese	Deepak Kumar
14.	Roy Varghese	Idukki Division, Welfare, Sports & Headquarters	Anil Raj R.	Shanthi V.

4. Hindi version follows.

Signed by

Maneesh Kumar

Date: 16-08-2023 17:35:21

[Maneesh Kumar]
Commissioner

To

The individuals.

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. All Additional/Joint Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.
2. All Deputy/Assistant Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.
3. All Section Heads in Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi.
4. The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi – for uploading on website.

1551729/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2023-ESTT.

Date: .08.2023

ORDER No. 112/2023

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

Consequent to issue of Inter Commissionerate Transfer Order No. 90/2023 dated 29.07.2023 and Order No. 109/2023 dated 10.08.2023, the following transfer & postings in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name(S/Shri./Smt.)	DOB	From	To
1	RENJINI P S	31.05.1971	UOT to Kochi Commissionerate	Adjudication Section, Hqrs, Kochi
2	VIJAYA T N	13.08.1973	UOT to Kochi Commissionerate	Amballur Range
3	MURALI P	30.05.1970	UOT to Kochi Commissionerate	Ayyanthole Range
4	JACKSON JOSEPH	09.09.1979	UOT to Kochi Commissionerate	Ernakulam Range 2
5	JOFFEE JOSE	22.04.1970	UOT to Kochi Commissionerate	Ernakulam Range 4
6	CHITRA C R	29.01.1970	UOT to Kochi Commissionerate	Review Cell, Hqrs, Kochi

done
21/08/2023
22

/1351729/2023

7	TAINUS MATHAI	31.05.1971	<i>UOT to Kochi Commissionerate</i>	Kizhakkambalam Range
8	SUBHASH P N	22.12.1972	<i>UOT to Kochi Commissionerate</i>	Adjudication Section, Hqrs, Kochi
9	ANANDAN NAIR	31.05.1967	<i>UOT to Kochi Commissionerate</i>	Kakkanad Range 1
10	SANTHOSH BABU P D	20.02.1967	<i>UOT to Kochi Commissionerate</i>	Review Cell, Hqrs, Kochi
11	SAJITH KUMAR C R	31.05.1970	<i>UOT to Kochi Commissionerate</i>	Irinjalukada Range
12	SUBASH J SHENOY	14.11.1979	<i>UOT to Kochi Commissionerate</i>	Anti- Evasion, Hqrs, Kochi
13	BINDU REJIT	14.05.1974	<i>UOT to Kochi Commissionerate</i>	Chalakkudy Range
14	SIMLA K M	21.05.1972	<i>UOT to Kochi Commissionerate</i>	Petroleum Products Range
15	RAJ KHUNGUR BASUMATARY	27.12.1986	<i>UOT to Kochi Commissionerate</i>	Kavaratti Range
16	NEHA MEENA	19.09.1996	<i>UOT to Kochi Commissionerate</i>	Audit Section, Hqrs, Kochi
17	BALAKRISHNAN T S	14.09.1964	<i>UOT to Kochi Commissionerate</i>	Guruvayur Range
18	GAGAN KUMAR SIDHU	03.12.1976	<i>UOT to Kochi Commissionerate</i>	Systems, Hqrs, Kochi
19	ALBERT GEORGE	01.02.1982	Thodupuzha Range	Anti- Evasion, Hqrs, Kochi
20	MANORANJAN P G	26.03.1969	Idukki Division	Thodupuzha Range
21	AJIMOL P D	15.04.1969	Kothamangalam Range	Idukki Division
22	MANOJ KUMAR YADAV	04.07.1982	<i>UOT to Audit Section, Hqrs, Kochi</i>	Kothamangalam Range

1351729/2023

23	RAJKUMAR C K	15.05.1974	<i>UOT to Kakkanad Division</i>	Paravur Range
24	MOHAN JOSEPH	25.05.1968	Headquarters, Kochi	Kakkanad Division
25	SUBHA H S	21.05.1972	<i>UOT to Adjudication Section, Hqrs, Kochi</i>	Kakkanad Range 2
26	BIJU M R	14.04.1970	Statistics/RTI Section, Hqrs Kochi	Technical/DGARM Section, Hqrs Kochi
27	AKHIL T K	17.04.1991	<i>UOT to Review Cell, Hqrs, Kochi</i>	Statistics/RTI Section, Hqrs Kochi
28	MEGHA R	27.05.1984	<i>UOT to Ernakulam Range 2</i>	Retained at Ernakulam Division
29	K R SAJEEV	25.05.1965	Guruvayur Range	Thrissur Division

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by **18.08.2023**. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

4. Report compliance by **23.08.2023**.

Signed by

Maneesh Kumar

Date: 11-08-2023 16:55:15

[MANEESH KUMAR]

COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

/1351729/2023

1. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
5. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

1/254196/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्तमंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 015

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM III(39)/72/2021-Estt.

ORDER NO. 111/2023

Sub: Grant of financial upgradation under MACP Scheme – Reg.

In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 35034/3/2008-Estt(D) dated the 19.05.2009 and Ministry of Finance letter F.No.A- 26017/76/2009-Ad.II.A dated 17.6.2009, the following officers are hereby granted financial upgradation under the MACP Scheme to the immediate next higher grade pay in the hierarchy of the pay band and grade pay or to the immediate next higher level in the Pay Matrix (as the case may be) with effect from the date(s) as mentioned against their names.

Sl. No.	Name & designation S/Shri./Smt.	Date of birth	1 st / 2 nd / 3 rd MACP	Date from which financial upgradation is granted	Recommended grade pay & pay band / Pay matrix level
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Baiju R, Supdt.	23.04.1971	1 st	01.09.2008	Level 8
2.	Salim Kumar S, Inspr.	20.05.1969	3 rd	07.02.2023	Level 8
3.	Jayashankar P, Inspector	25.05.1963	3 rd	07.02.2023	Level 8
4.	Hameed K.K, Inspr.	10.04.1974	3 rd	08.02.2023	Level 8
5.	Saket Singh Dhillon, Inspr	03.11.1984	1 st	27.08.2022	Level 8
6.	Mridul Kumar Singh, Inspr	22.06.1985	1 st	28.12.2022	Level 8
7.	Rohit Khatri, Inspr	04.05.1985	1 st	18.10.2022	Level 8
8.	Ram Lal, Inspr	11.10.1986	1 st	17.09.2022	Level 8
9.	Vinu R, Inspr.	05.03.1975	3 rd	07.02.2023	Level 8
10.	Anant Vikram Singh, Inspr	20.04.1986	1 st	26.09.2022	Level 8
11.	Gautam Kumar, Inspr.	01.01.1986	1 st	24.09.2022	Level 8

done
21/11/2023

/1354196/2023

12.	C.S.Ajit Kumar, Inspr	10.03.1971	3 rd	01.04.2023	Level 8
13.	Neeta Sukumaran, Inspr	02.07.1975	3 rd	07.02.2023	Level 8
14.	Asha, Inspr	17.11.1985	1 st	17.09.2022	Level 8
15.	Ravindra Maruti Palkar, Inspr	16.08.1982	1 st	19.09.2022	Level 8
16.	James Augustine, Inspr	12.02.1969	3 rd	15.04.2023	Level 10
17.	Manoj Kumar Yadav, Inspr.	04.07.1982	1 st	29.11.2021*	Level 8
18.	Peethambaran K, H.Havl	10.10.1966	3 rd	06.06.2021	Level 4
19.	Hyder Hashim V.P, H.Havl.	11.03.1971	3 rd	14.06.2023	Level 4
20.	Praveen V Nair, Head Havl.	23.03.1975	3 rd	03.05.2023	Level 4
21.	Sreekumar M.K, H.Havaladar	15.05.1968	3 rd	25.03.2023	Level 4

*The recommendation of the screening Committee meeting held on 02.03.2022 is reviewed and recommended for 1st financial upgradation in level 8 with effect from 29.11.2021 instead of 28.11.2021 to Shri Manoj Kumar Yadav, Inspector

2. Financial upgradation granted to these officers are inter-alia, subject to the following conditions.

2.1 The financial upgradation will not result in change in the designation of the beneficiary i.e., the financial benefits are granted with the retention of the officer's old designation and the said financial upgradation shall not confer any privilege related to higher status.

2.2 The financial upgradation under the MACP Scheme shall be purely personal to the incumbent (officer) and shall not amount to actual functional promotions of the officer concerned. Further, it shall have no relevance to the officer's inter-seniority position, and as such, there shall be no additional financial upgradation for the senior officer on the ground that the junior officer has got higher pay scale(s) under the MACP Scheme. The concept of "Senior-Junior" is quite alien to the idea behind the MACP Scheme.

2.3 If a regular promotion is offered but was refused by the officer, before becoming entitled to a financial upgradation, no financial upgradation shall be allowed; as such an officer has not been stagnated due to lack of opportunities. If, however, financial upgradation has been allowed due to stagnation and the officer subsequently refuses promotion, it shall not be a ground to withdraw the financial upgradation. He shall, however, not be eligible to be considered for further financial upgradation till he agrees to be considered for promotion again and the second next financial upgradation shall also be deferred to the extent of period of debarment due to the refusal.

2.4 Benefit of pay fixation available at the time of regular promotion shall also be allowed at the time of financial upgradation under the Scheme. Therefore, the pay shall be raised by 3% of the total pay in the pay band and the grade pay drawn before such upgradation. There shall, however, be no further fixation of pay at the time of regular promotion if it is in the same grade pay as granted under MACPS. However, at the time of actual promotion if it happens to be in a post carrying higher grade pay than what is available under MACPS, no pay fixation would be available and only difference of grade pay would be made available.

2.5 On the officers' financial up-gradation under the MACP Scheme, which is in situ and which may not involve assumption of higher duties and responsibilities, as a special dispensation, their pay shall

1/354196/2023

be fixed under F.R. 22(l)(a)(1) to get their pay fixed in the higher post/grade pay either from the date of their promotion/upgradation or from the date of their next increment viz. 1st July of the year. The pay and the date of increment would be fixed in accordance with clarification No. 2 of Department of Expenditure's O.M. No. 1/1/2008-IC dated 13.09.2008 or DOP&T O.M. No. 35034/1/2017-Estt.D dated 20.09.2018 as the case may be.

2.6 No past cases would be re-opened. Further, while implementing the MACP Scheme, the differences in pay scales on account of grant of financial upgradation under the old ACP Scheme (of August 1999) and under the MACP Scheme within the same cadre shall not be construed as an anomaly.

2.7 Option (exercisable within one month from the date of receipt of this order) for fixation of pay in the higher grade scale(s) based on the date of increment (i.e. 1st July or 1st January of the year) of the incumbent is also allowable. Such option once exercised shall be treated as final.

3. DOP&T vide its letter D.No.62460/US(D)/2010 dated 21.07.2010 has clarified that the benefit of Non-functional Grade granted to the Superintendent (Group 'B') officers after completion of 4 (four) years would be treated/viewed as upgradation in terms of Para 8.1 of Annexure-I of DOP&T's O.M. No.35034/3/2008-Estt. (D) dated 19.05.2009 and the same would be off set against one financial upgradation under MACPS.

4. This is issued with the approval of the Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.

5. Hindi version follows.

Signed by

Shaji John

(Shaji John)

Date: 16-08-2023 16:53:36
Joint Commissioner

To:

The Individual (through the Supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.
3. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode/ Thiruvananthapuram/ Audit, Kochi/ Appeals, Kochi.
4. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.

Copy to:

1. The Addl/ Joint Commissioner (P&V), Thiruvananthapuram/Kozhikode/ Audit, Kochi/ Customs (Preventive), Cochin (who are requested to circulate the MACP Orders to the AC/DC in charge of Divisions/Formations under their charge).
2. The Pay and Accounts Officer/ Chief Accounts Officer, Central Tax and Central Excise, Kochi/ Thiruvananthapuram /Kozhikode/ Audit, Kochi/ Custom House, Cochin.
3. The Assistant/Deputy Commissioner, Ernakulam Division/Kakkanad Division/ Aluva Division/ Perumbavoor Division /Idukki Division/ Thrissur Division/ Chalakkudy/Division.
4. The Superintendent (Confidential-Vigilance), Hqrs. Kochi/AO(DDO) Hqrs. Kochi.
5. Superintendent (Systems), Hqrs. Kochi who is requested to upload the MACP order on the Commissionerate website.
6. Hindi Cell of Kochi Commissionerate.
7. The Gen. Sec's of all Group 'B' & 'C' officers Association, Kochi.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: sexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT.

Date: .08.2023

ORDER No. 110/2023

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

In partial modification of Order No. 91/2023 dated 29.07.2023 the following transfer & postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name (S/Shri./Smt.)	DOB	From	To
1	SUDHEER PAI	11-09-1969	UOT to (Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Retained at Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
2	BURADA SAI VIDYASAGAR	09-06-1991	UOT to (Airport/I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Retained at Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
3	ANUPAMA V	24-07-1987	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	(Airport/I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
4	SANDEEP S MENON	11-07-1991	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

Done
21/11/2023

/1348896/2023

5	BALAGOVIND RAJEEV	01.04.1989	UoT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Retained at DGGI Kochi Zonal Unit, CCO-CCA
---	----------------------	------------	--	---

2. The posting to the Air Customs formations are subject to vigilance clearance of the officers as on date. Before posting to the respective formations [i.e., Airport, ACC(UB) or ACC(I&E)], the competent authority shall ensure that the officers are clear from vigilance angle for the purpose. The officers posted to Airport/UB/ACC(I&E) are for a period of 1 (One) year without prejudice to the right of the Department to transfer them earlier on administrative exigencies.

3. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by 14.08.2023. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

4. In case of officers posted to Audit Commissionerate and DGGI, the Relieving Officers shall ensure that the officers who are being relieved are clear from vigilance angle, as on date of their relief.

5. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.

6. All Officers under order of transfer vide Order.No 91/2023 dated 29.07.2023 who have not been relieved stands relieved with immediate effect. This shall not be applicable to those officers for whom changes have been made vide this order.

7. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

8. Report compliance by 17.08.2023.

Signed by

Maneesh Kumar

Date: 10-08-2023 17:17:39

**[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER**

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

/1348896/2023

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**
7. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
9. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
10. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.**
11. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
12. **Hindi Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2023-ESTT.

Date: .08.2023

ORDER No. 109/2023**Sub: Transfer & Postings in the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.**

In partial modification to Order No. 90/2023 dated 29.07.2023, the following transfer & postings in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name(S/Shri./ Smt.)	DOB	From	To
1	ASHOK KUMAR	08.09.1980	UOT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi Commissionerate	Retained at Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
2	SEENA A MALETH	09.01.1973	UOT to (Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Retained at Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
3	VINODH R P	10.05.1981	UOT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
4	SENTHIL KUMAR M	14.09.1975	UOT to (Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs	Retained at Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

Done
21/11/2023

			(Preventive), Cochin	
5	BIJU J MATHEW	10.04.1968	UOT to (Airport/I&E, Thiruvananthapura m), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	ACC(UB/I&E) Thiruvananthapura m, Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
6	SURAJ KUMAR P	16.05.1976	UOT to (Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	ACC(UB/I&E) Karipur, Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
7	BALAKRISHNAN T S	14.09.1964	UOT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
8	ARVIND KUMAR KAJLA	19.08.1985	UOT to (Airport/I&E, Thiruvananthapura m), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapura m
9	TESSY MATHEWS	25.05.1967	UOT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Retained at Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi
10	NAVEEN KUMAR	14.11.1979	UOT to Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi *
11	DILIP KUMAR	01-03- 1980	UOT to Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode #
12	KRISHNA KANT RANGOLIYA	29.06.1992	UOT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive),

				Cochin
13	PANKAJ VARUN	20.09.1992	UOT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	(Airport/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
14	RAMSAGAR MEENA	08.07.1996	UOT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
15	MINAL BABU	03.11.1968	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	CCO - CCA
16	GAGAN KUMAR SIDHU	03.12.1976	CCO-CCA	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
17	KRISHNAKUMAR P	29.02.1968	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	DGGI Thiruvananthapuram Regional Unit, CCO-CCA

* Attached to Shri. Rajeev Kumar, Commissioner, Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate to attend appeals work till 31.10.2023

Attached to Shri. Manish Chandra, Commissioner, Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate to attend appeals work till 31.10.2023.

2. The posting to the Air Customs formations are subject to vigilance clearance of the officers as on date. Before posting to the respective formations [i.e., Airport, ACC(UB) or ACC(I&E)], the competent authority shall ensure that the officers are clear from vigilance angle for the purpose. The officers posted to Airport/UB/ACC(I&E) are for a period of 1 (One) year without prejudice to the right of the Department to transfer them earlier on administrative exigencies.

3. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by 14.08.2023. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

4. In case of officers posted to Audit Commissionerate and DGGI, the Relieving Officers shall ensure that the officers who are being relieved are clear from vigilance angle, as on date of their relief.
5. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.
6. All Officers under order of transfer vide Order. No 90/2023 dated 29.07.2023 who have not been relieved stands relieved with immediate effect. This shall not be applicable to those officers for whom charges have been made vide this order.
7. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.
8. Report compliance by **17.08.2023**.

Signed by

Maneesh Kumar

Date: 10-08-2023 17:32:48

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**
7. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
9. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**

1/348980/2023

10. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.**
11. **The Superintendent (Systems)) – for uploading in website.**
12. **Hindi Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/13/2023-Estt

Date: 07.08.2023

ORDER NO. 108/2023

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST &
 CX/Kochi/MULTI TASKING STAFF/82413)

**Sub: Appointment to the grade of Multi-Tasking Staff, through
 SSC Multi-Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar
 (CBIC & CBN) Examination, 2021 - Reg**

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 15.05.2023, **Shri. Sawai Singh Meena**, a candidate nominated by Staff Selection Commission (Karnataka-Kerala Region) for appointment as Multi-Tasking Staff under **ST category** vide letter F.No. N-N.11018/10/2023-Nomination dated 17.04.2023, is appointed as Multi-Tasking Staff in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level - 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **07.08.2023 (F.N)**.

2. **Shri. Sawai Singh Meena** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified

done
 21/11/2023

/1338976/2023

through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 07-08-2023 14:23:41

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

To

**Shri. Sawai Singh Meena,
S/o Shri. Radhe Shyam Meena,
VILL-Dedrouli,
POST-Bajheda TEH-Hindaun City
DIST-Karauli,
Rajasthan - 322234.**

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1338195/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/34/2020-Estt

Date: 07.08.2023

ORDER NO. 107/2023

**Sub: Additional charge in the grade of Administrative Officer -
 Reg.**

Smt. Deepa Premakumar, Administrative Officer, presently working in Audit Commissionerate, Kochi, will hold additional charge of Administrative Officer, Appeals Commissionerate, Kochi, with immediate effect and until further orders.

2. This is issued with the approval of the competent authority.
3. Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 07-08-2023 11:49:17

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

To

The individual (Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.
2. The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/Audit/Appeals.

Copy to:

done
 21/08/2023

/1338195/2023

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Appeals/Audit, Kochi.**
2. **The Superintendent (Systems)/Hindi Unit, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1332795/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/HQR/MISC/130/2022-HQRS

Date: 03.08.2023

ORDER NO. 106/2023

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthapuram GST &
 CX/Kochi/HAVALDAR/86347)

**Sub: Appointment to the grade of Havaldar on Sports Quota -
 Reg**

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 01.08.2023, **Shri. Tharaparambil Vijayarajan Alkesh Raj**, a candidate selected for appointment on Sports Quota as Havaldar under **UR category**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level-1 in the pay matrix (Rs.18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **01.08.2023 (A.N)**.

2. Shri. Tharaparambil Vijayarajan Alkesh Raj is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is

done
 21/11/2023

/1332795/2023

provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 03-08-2023 13:54:08

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

To

**Shri. Tharaparambil Vijayarajan Alkesh Raj
Tharaparmbil House, Edathirinji (P.O.),
Kakkathuruthy, Irinjalakuda,
Thrissur - 680122.**

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/HQR/MISC/130/2022-HQRS

Date: 03.08.2023

ORDER NO. 105/2023
 (DGHRD Appointment Order No. Thirvananthapuram GST &
 CX/Kochi/HAVALDAR/86348)

**Sub: Appointment to the grade of Havaldar on Sports Quota -
 Reg**

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 01.08.2023, **Shri. Sourav T.P.**, a candidate selected for appointment on Sports Quota as Havaldar under **UR category**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level-1 in the pay matrix (Rs.18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **01.08.2023 (A.N)**.

2. **Shri. Sourav T.P.** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to

done
 21/11/2023

/1332789/2023

belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 03-08-2023 13:52:35

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

To

Shri. Sourav T.P.
Thazhathe Peedikayil House,
Puthiyappa (P.O.), Puthiyangadi,
Kozhikode - 673021.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/HQR/MISC/130/2022-HQRS

Date: 03.08.2023

ORDER NO. 104/2023
 (DGHRD Appointment Order No. Thirvananthapuram GST &
 CX/Kochi/HAVALDAR/86344)

**Sub: Appointment to the grade of Havaldar on Sports Quota -
 Reg**

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 01.08.2023, **Shri. Joshua Sunil Oommen**, a candidate selected for appointment on Sports Quota as Havaldar under **UR category**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level-1 in the pay matrix (Rs.18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **01.08.2023 (A.N)**.

2. **Shri. Joshua Sunil Oommen** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to

Done
 21/11/2023

/1332780/2023

belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 03-08-2023 13:51:17

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

To

**Shri. Joshua Sunil Oommen
Nedumparambil Manuvilla House,
Kallumkal (P.O.), Thiruvalla - 689102.**

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqs, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, LS. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/HQR/MISC/130/2022-HQRS

Date: 03.08.2023

ORDER NO. 103/2023

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthapuram GST &
 CX/Kochi/HAVALDAR/86346)

**Sub: Appointment to the grade of Havaldar on Sports Quota -
 Reg**

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 01.08.2023, **Shri. Ajay Alex**, a candidate selected for appointment on Sports Quota as Havaldar under **UR category**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level-1 in the pay matrix (Rs.18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **01.08.2023 (A.N)**.

2. **Shri. Ajay Alex** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to

done
 21/11/2023

/1332772/2023

belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 03-08-2023 13:49:49

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

To

**Shri. Ajay Alex
Thirunilathu Thekkeveedu,
Ramamangalam (P.O.), Ramamangalam,
Ernakulam - 686663.**

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1332767/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/HQR/MISC/130/2022-HQRS

Date: 03.08.2023

ORDER NO. 102/2023

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthapuram GST &
 CX/Kochi/HAVALDAR/86345)

**Sub: Appointment to the grade of Havaldar on Sports Quota –
 Reg**

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 01.08.2023, **Shri. Abin Sabu**, a candidate selected for appointment on Sports Quota as Havaldar under **OBC category**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level-1 in the pay matrix (Rs.18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **01.08.2023 (A.N)**.

2. **Shri. Abin Sabu** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to

done
 21/11/2023

/1332767/2023

belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 03-08-2023 13:48:33

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

To

**Shri. Abin Sabu
Kolloor Kizhakkethil House,
Nedungadappally (P.O.),
Kottayam - 686545.**

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1332737/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, LS. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/HQR/MISC/130/2022-HQRS

Date: 03.08.2023

ORDER NO. 101/2023

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST &
 CX/Kochi/STENOGRAPHER-II/86343)

**Sub: Appointment to the grade of Stenographer Grade-II on
 Sports Quota - Reg**

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 01.08.2023, **Shri. Vaisakh K. Manoj**, a candidate selected for appointment on Sports Quota as Stenographer Grade-II under **UR category**, is appointed as Stenographer Grade-II in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level - 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **01.08.2023 (A.N)**.

2. Shri. Vaisakh K. Manoj is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified

down
 20/8/2023

1332737/2023

through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 03-08-2023 13:46:27

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

To

**Shri. Vaisakh K. Manoj,
Umminikot Paramba,
Kallai (P.O.),
Kozhikode - 673003.**

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2023-Estt

Date: 01.08.2023

ORDER NO. 100/2023

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthapuram GST & CX/Kochi/HAVALDAR/85172)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar, through SSC Multi-Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2021 - Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 18.07.2023, **Shri. Chithu S.**, a candidate allocated by the Ministry vide letter F.No.A.1 2034/SSC/06/2020-Ad.III.B dated 09.05.2023 and DGHRD's letter F. No. 8/B/37/HRD(HRM)/2019/Pt.I dated 11.05.2023 for appointment as Havaldar under **OBC category**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level - 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **01.08.2023 (F.N)**.

2. **Shri. Chithu S.** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if

done
 20/11/2023

/1327453/2023

the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 01-08-2023 15:05:32

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

To

**Shri. Chithu S
S/o Sahayadas J
Blessed Home, Kattakode P.O., Kattakada,
Thiruvananthapuram District,
Kerala - 695572.**

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1324222/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2023-Estt

Date: 31.07.2023

ORDER NO. 99/2023

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthapuram GST &
 CX/Kochi/HAVALDAR/85183)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar, through SSC Multi-Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2021 - Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 18.07.2023, **Shri. Pushendra Kumar Mishra**, a candidate allocated by the Ministry vide letter F.No.A.1 2034/SSC/06/2020-Ad.III.B dated 09.05.2023 and DGHRD's letter F. No. 8/B/37/HRD(HRM)/2019/Pt.I dated 11.05.2023 for appointment as Havaldar under **EWS category**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level - 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **31.07.2023 (F.N)**.

2. **Shri. Pushendra Kumar Mishra** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is

done
 20/11/2023

/1324222/2023

subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC/EWS or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 31-07-2023 14:33:12

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

To

**Shri. Pushpendra Kumar Mishra,
S/o Shri. Manoj Shankar Mishra,
Vill-Saraitand, Post-Phulwariya Baheri,
PS-Gurua, Gaya District, Bihar - 824205 .**

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1324408/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्तमंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2023-Estt

Date: 31.07.2023

ORDER NO. 98/2023
 (DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST &
 CX/Kochi/HAVALDAR/85154)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar, through SSC Multi-Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2021 - Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 18.07.2023, **Shri. Bobin Pavithran**, a candidate allocated by the Ministry for appointment as Havaldar vide letter F.No.A.1 2034/SSC/06/2020-Ad.III.B dated 09.05.2023 and DGHRD's letter F. No. 8/B/37/HRD(HRM)/2019/Pt.I dated 11.05.2023 (belongs to OBC category and allocated under **UR category**), is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level - 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **31.07.2023 (F.N)**.

2. **Shri. Bobin Pavithran** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

*done
20/11/2023*

/1324408/2023

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 31-07-2023 15:05:04

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

To

**Shri. Bobin Pavithran,
S/o Pavithran P.,
Karthika, Melur PO,
Kannur District, Kerala - 670661.**

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Superintendent (Vigilance/Hqrs.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1324438/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: gexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2023-Estt

Date: 31.07.2023

ORDER NO. 97/2023

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST &
 CX/Kochi/HAVALDAR/85151)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar, through SSC Multi-Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2021 - Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 18.07.2023, **Shri. Midhun M.**, a candidate allocated by the Ministry vide letter F.No.A.1 2034/SSC/06/2020-Ad.III.B dated 09.05.2023 and DGHRD's letter E No. 8/B/37/HRD(HRM)/2019/Pt.I dated 11.05.2023 for appointment as Havaldar under **UR category**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level - 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **31.07.2023 (F.N)**.

2. **Shri. Midhun M.** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is

Done
 20/11/2023

/1324438/2023

subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 31-07-2023 15:12:38

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

To

**Shri. Midhun M.,
S/o Jyothibabu M S,
Malemmal House, Padinattumuri,
Kakkodi P.O., Kozhikode District,
Kerala - 673611.**

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1320019/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 013

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2021-ESTT.

Date: 27.07.2023

ORDER No. 96/2023

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

In partial modification to Order No. 70/2023 dated 23.06.2023, the posting of Shri Mohan Joseph, who is under orders of transfer from Audit Section, Headquarters to Kavaratti Range (Sl No 23 of the order), stands cancelled.

Signed by

Maneesh Kumar

[Maneesh Kumar]
Date: 27-07-2023 17:48:15
Commissioner

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Dy./Asstt. Commissioner (Audit) of Central Tax & Central Excise, Kochi.
2. The Dy./Asstt. Commissioner of Central Tax & Central Excise, Ernakulam Division.
3. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi
4. The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi
5. The Superintendent (Systems) – for uploading in website.
6. Hindi Cell – for Hindi Version.

down
20/11/2023

1323032/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, LS. PRESS ROAD, KOCHI-682 013

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT

Date: 29.07.2023

ORDER NO. 95/2023

Sub: Transfer & Postings in the grade of Havaldar and Head Havaldar - Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone- Reg.

The following transfer & postings in the grade of Havaldar and Head Havaldar of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone, are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name & Designation (S/Shri./ Smt./Kum.)	Date of Birth	Present Commissionerate	Posted To
1	Sajan V G, Head Havaldar	10.10.1969	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
2	Viswanathan P.C., Head Havaldar	29.05.1966	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
3	Govinda Prakash P.V., Head Havaldar	15.04.1966	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
4	Ajitha V P, Havaldar	06.05.1969	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode

down
20/11/2023

/1323032/2023

5	Shyamalatha K V, Havaladar	15.03.1970	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
6	Murali K, Havaladar	05.05.1966	CCO-CCA	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
7	Chanchal P J, Havaladar	17.02.1995	On joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
8	Chandan Kumar, Havaladar	02.04.2000	On joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Appeals, Kochi
9	Sunny Kumar, Havaladar	17.04.2000	On joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Appeals, Kochi
10	Raju Prasad Yadav, Havaladar	15.06.1996	On joining	CCO-CCA
11	Abhishek Singh, Havaladar	25.08.1998	On joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
12	Sanjay Pippal, Havaladar	05.08.1999	On joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Audit, Kochi
13	Praveen Kumar N, Havaladar	20.05.1982	On joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
14	Abhishek Kumar Havaladar	10.02.1993	On joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
15	Akhila Vijayan, Havaladar	19.12.1996	On joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
16.	Sanoj, Havaladar	23.06.1997	On joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

71323032/2023

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by **07.08.2023**. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.

4. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

5. Report compliance by **11.08.2023**.

6. Hindi Version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 29-07-2023 13:12:48

[Rani C.R.]

Additional Commissioner (P&V)

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.
3. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
5. The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.
6. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
7. The Additional Director General, DGGI/ NACIN/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.

Copy to:

1. All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.
2. The Deputy / Assistant Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Customs (Preventive)/ Appeals/ Audit Comm'tes.
3. The Chief Accounts Officer / Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.
4. The Administrative Officer (DDO) Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.
5. The Superintendent (Vig./ Hqrs.) Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kochi/ Kozhikode / Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.
6. The Superintendent (Systems) - for uploading in website.
7. Hindi Cell - for Hindi Version.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/26/2023-Estt

Date: 29.07.2023

ORDER NO. 94/2023

**Sub: Transfer and posting in the grades of Executive Assistant/
 Tax Assistant/Lower Division Clerk – Central Tax and Central
 Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.**

The following transfer and postings in the grades of Executive Assistant/Tax Assistant/Lower Division Clerk are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name & Designation (S/Shri.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Robin S., EA	28.10.1994	Audit Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate
2.	Deepak Kumar, EA	06.07.1990	Appeals Commissionerate, Kochi	Audit Commissionerate, Kochi
3.	Jiyas K.M., LDC	30.12.1984	ACC (UB), Karipur, Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate
4.	Muhammed Rafi N.B., LDC	16.10.1994	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate	Airport/I&E/UB, Karipur, Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.
5.	Arun Kumar, TA	18.11.1998	On joining	Appeals Commissionerate, Kochi

abm
20/11/2023

/1323051/2023

6.	Sarbeswar Senapati, TA	18.03.1997	On joining	Audit Commissionerate, Kochi
----	---------------------------	------------	------------	------------------------------------

2. The officers posted to Airport/I&E/UB are for a period of 1 (One) year without prejudice to the right of the Department to transfer them earlier on administrative exigencies.
3. The posting to Air Customs formations are subject to vigilance clearance of the officers as on date. Before posting to the respective formations [i.e., Airport, ACC (UB) or ACC (I&E)], the competent authority shall ensure that the officers are clear from vigilance angle for the purpose.
4. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by **07.08.2023**. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.
5. In case of officers posted to Audit Commissionerate, the Relieving Officers shall ensure that the officers who are being relieved are clear from vigilance angle, as on date of their relief.
6. No representation shall be entertained from any officer before his/her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.
7. Report compliance by **11.08.2023**.
5. This is issued with the approval of the competent authority.
6. Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 29-07-2023 13:17:25

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/Kozhikode/Audit/Appeals.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

/1323051/2023

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi/Kozhikode/Audit/Appeals/CCP.**
2. **The Superintendent (Systems)/Hindi Unit, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1323046/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/26/2023-Estt

Date: 29.07.2023

ORDER NO. 93/2023

**Sub: Transfer and posting in the grade of Driver (Special Grade)
 - Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram
 Zone - Reg.**

The following transfer and posting in the grade of Driver (Special Grade) is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Mushtak Ahmed K.M.	06.05.1968	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin

2. Supervisory officer shall ensure that the officer is relieved from his previous post only after proper relieving/handing over notes is mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officer is to join his new place of posting latest by 07.08.2023. Supervisory officer will be held responsible if the officer is not getting relieved within the stipulated time.

3. Report compliance by **11.08.2023**.

4. This is issued with the approval of the competent authority.

5. Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 29-07-2023 13:15:37

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

Done
 17/11/2023
 20

/1323046/2023

To

The individual (Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kozhikode/CCP.**
2. **The Superintendent (Systems)/Hindi Unit, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1318743/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2023-Estt

Date: 27.07.2023

ORDER NO. 92/2023
 (DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST &
 CX/Kochi/HAVALDAR/85152)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar, through SSC Multi-Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2021 - Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 18.07.2023, **Shri. Sanoj**, a candidate allocated by the Ministry for appointment as Havaldar vide letter F.No.A.1 2034/SSC/06/2020-Ad.III.B dated 09.05.2023 and DGHRD's letter F. No. 8/B/37/HRD(HRM)/2019/Pt.I dated 11.05.2023 under **UR category**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level - 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **27.07.2023 (F.N)**.

2. **Shri. Sanoj** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if

17/11/2023
 done

/1318743/2023

the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 27-07-2023 14:11:07

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

To

**Shri. Sanoj
S/o Ramachandran
Chammoth Vadakkekara (ho),
Thiruvazhiyode P.O., Palakkad District,
Kerala - 679514.**

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.
2. The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.

Copy to:

1. The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.
2. The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.
3. The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.
4. The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.

1/323019/2023



भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय **OFFICE OF THE COMMISSIONER**

केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI

केन्द्रीय राजस्व भवन, **CENTRAL REVENUE BUILDING**

आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, **I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018**

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT.

Date: 27.07.2023

ORDER No. 91/2023

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl. No	Name (S/Shri./Smt.)	D.O.B	From	To
1	RAJEEV K	08-04-1974	(Airport, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissioneate, Kochi
2	ASHU SORAN	25.12.1993	(Airport, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissioneate, Thiruvananthapuram
3	PORUSH ROYAL	01-01-1970	(Airport, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissioneate, Kochi
4	AKSHAY SINGH BHADAURIA	26-10-1990	(Airport, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissioneate, Kozhikode
5	SIVAKUMAR V K	09-03-1987	(Airport, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Audit Commissioneate, Kochi

Done
16/7/2023
17

/1323019/2023

6	ARJUN KRISHNA	03-02-1988	(Airport, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
7	PARIVESH KUMAR SWAMI	23.01.1986	(Airport, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
8	SASIDHARAN TV	26.05.1967	(Airport, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
9	DHANYA KP	05.09.1983	(Airport, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
10	VIRENDRA PRATAP CHOUDHARY	12-01-1994	(Airport, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
11	NAVEEN KUMAR No.2	15-02-1989	(Airport, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
12	DINESH MIRDHA	07-07-1992	(Airport, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
13	DUSHYANT KUMAR	10-07-1996	(Airport, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
14	SANDEEP NAIN	21-05-1985	(Airport, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
15	KILLI SANDEEP	03.08.1990	(Airport, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
16	DHARMVEER PRASAD SINGH	11-09-1982	(Airport, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram

/1323019/2023

17	SUBHA KUMAR	SANIL	27-02-1971	(Airport, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
18	SIBY A GEORGE		16-09-1973	(Airport, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
19	VIVEK TRIVEDI	KUMAR	01-12-1989	(Airport, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
20	GAUTAM KUMAR		01-01-1986	ACC (UB), (Airport, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
21	SURAJ GUPTA		11.01.1987	(Airport, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
22	SANDEEP KUMAR (NO-11)		07-11-1989	(Airport, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
23	NIKHIL K R		26.08.1987	(Airport, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
24	ASHWINA NAIR		05-01-1989	(Airport, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
25	NIVEDITHA JINADEV		04.10.1986	(Airport, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	DRI Kannur Regional Unit, CCO-CCA
26	NISHANT THAKUR		06-08-1987	(Airport, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
27	RAJEEV VELLUVAKKANDY		12.05.1970	(Airport, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

/1323019/2023

28	PANKAJ	07-02-1986	(Airport, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissioneate, Kochi
29	RAM LAL	11.10.1986	(Airport, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissioneate, Kochi
30	SURENDRA JANGID	02.07.1992	(Airport, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissioneate, Kozhikode
31	RAVINDRA MARUTI PALKAR	16-08-1982	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	(Airport/ I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
32	AJEET SINGH CHOUHDARY	17-08-1988	Central Tax & Central Excise Commissioneate, Thiruvananthapuram	(Airport/ UB/ I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
33	SUKUMARAN M	25-05-1974	Central Tax & Central Excise Commissioneate, Kochi	(Airport/ UB/ I&E, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
34	PRAJITH K P	19-07-1987	Central Tax & Central Excise Commissioneate, Kochi	(Airport/ UB/ I&E, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
35	DIVYA G V	14-05-1981	Central Tax & Central Excise Commissioneate, Thiruvananthapuram	(Airport/ UB/ I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
36	RADHAKRISHNA N T.K.	22-01-1971	Central Tax & Central Excise Commissioneate, Kozhikode	(Airport/ I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
37	SUSHA NAIR	02-03-1981	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	(Airport/ UB/ I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
38	SACHCHIDANAND PRASAD	05-07-1987	Central Tax & Central Excise Commissioneate, Thiruvananthapuram	(Airport/ UB/ I&E, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

/1323019/2023

39	RAVI RANJAN	31-12-1986	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	(Airport/ I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
40	NITESH	10-06-1990	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	(Airport/ I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
41	SREEKUMAR N V	13-08-1968	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	(Airport/ UB/ I&E, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
42	SAJITHA JENNY	23-12-1976	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	(Airport/ I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
43	SUDHEER PAI	11-09-1969	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	(Airport/ UB/ I&E, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
44	JAMES AUGUSTINE	12.02.1969	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	(Airport/ UB/ I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
45	SHEMMY JOSE	16-05-1969	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	(Airport/ I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
46	JOSEPH JOHN	14-03-1967	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	(Airport/ UB/ I&E, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
47	BIJU NARENDRAN	14-05-1968	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	(Airport/ I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
48	TITTLE MATHEW	23-06-1968	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	(Airport/ UB/ I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
49	MUKAMALLA KRISHNAREDDY ^C	08-08-1990	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	(Airport/ UB/ I&E, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

/1323019/2023

50	RAVICHANDRA K.	20-08-1992	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	(Airport/ I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
51	K RAJASHEKAR REDDY	10-06-1988	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	(Airport/ I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
52	SREENATH P	01-12-1990	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	(Airport/ UB/ I&E, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
53	NIXON K A	11-11-1969	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	(Airport/ UB/ I&E, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
54	MEESALA KIRAN KUMAR	26-08-1989	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	(Airport/ UB/ I&E, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
55	RAMA KRISHNA DASARI	20-04-1990	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	(Airport/ I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
56	BURADA SAI VIDYASAGAR	09-06-1991	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	(Airport/ I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
57	RJJOY FRANCIS K	31-05-1983	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	(Airport/ UB/ I&E, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
58	PRANAY S	09-03-1988	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	(Airport/ UB/ I&E, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
59	VIJI T.	20-03-1971	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	(Airport/ UB/ I&E, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
60	USHA M IYER	11-05-1969	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	(Airport/ UB/ I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

/1323019/2023

61	ABSI S.S	27-04-1971	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	(Airport/ UB/ I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
62	CHEMMANOR SHINEY THOMAS	05-10-1970	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	(Airport/ UB/ I&E, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
63	K V MADHAVAN KUTTY	15-09-1974	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	(Airport/ UB/ I&E, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
64	AJEET SINGH	01-10-1992	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	(Airport/ UB/ I&E, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
65	PRATEEK SUKUMAR	30-04-1991	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	(Airport/ UB/ I&E, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
66	MANISH SINGH	18-08-2022	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	(Airport/ UB/ I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
67	GAURAV SIKERVAR	21.01.1990	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	(Airport/ I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
68	ROHIT SINGH	10-03-1993	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	(Airport/ UB/ I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
69	DORASALA JAGADEESH KUMAR REDDY	17-11-1986	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	(Airport/ UB/ I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
70	ROSY PETER	06-08-1970	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	(Airport/ UB/ I&E, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
71	ANAND V K	07.04.1987	DGGI Kochi Zonal Unit, CCO-CCA	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

/1323019/2023

72	BALAGOVIND RAJEEV	01.04.1989	DGGI Kochi Zonal Unit, CCO-CCA	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
73	SUHAS. K. RAMESH	14.10.1992	DGGI Kochi Zonal Unit, CCO-CCA	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
74	RAMKESH	07-11-1990	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	DGGI Kochi Zonal Unit, CCO-CCA
75	KAVITA JHA	28-12-1994	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	DGGI Kochi Zonal Unit, CCO-CCA
76	SUBRAT AGRAWAL	20.05.1996	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	DGGI Kochi Zonal Unit, CCO-CCA
77	MOHYIDDIN K	12.02.1991	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	DGGI Kozhikode Regional Unit, CCO-CCA
78	VISHNU ASOKAN	27.06.1993	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	DRI Thiruvananthapuram Regional Unit, CCO-CCA
79	SUMEET SAMUEL	28.02.1987	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
80	HAMEED K K	10.04.1974	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
81	KRISHNAN M P	20-04-1964	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
82	DEEPAK SINGH TONI	08.06.1991	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode

/1323019/2023

83	SUDHA R.S	20.05.1972	(Airport, Karipur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
84	VEMU NAVEEN NISCHAL	21.08.1989	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
85	KAPIL GARG	25.06.1990	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
86	SANJEEV KUMAR (NO.3)	03.08.1989	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
87	SHALMON ABRAHAM	13.08.1993	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
88	PRAVEEN. P. AUGUSTINE	19.06.1991	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
89	D. VASAVI	23.01.1994	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
90	PRANAV J	05-11-1988	CCO-CCA	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
91	ANIRUDH SINGH	09.02.1996	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
92	RAGHVENDRA VASHISTHA	07-12-1992	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	CCO-CCA
93	M. ANITHAMOL	14.05.1983	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi

/1323019/2023

94	MANI SINGH RATHORE	11.08.1994	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
95	REJITH S	29-10-1994	New recruit (CGLE 2021)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
96	ANANTHA KRISHNAN G A	31-12-1994	New recruit (CGLE 2021)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
97	P K ASWANI PADMANABHAN	26-07-1995	New recruit (CGLE 2021)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
98	ABHISHEK CHOURASIYA	20-11-1997	New recruit (CGLE 2021)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
99	AKASH SHRIVASTAV	30-07-1994	New recruit (CGLE 2021)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
100	JITHIN P	12-05-1999	New recruit (CGLE 2021)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
101	ARAVIND SUDEV S	25-03-1993	New recruit (CGLE 2021)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
102	RAHUL SHARMA	02-07-1999	New recruit (CGLE 2021)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram

2. The posting to Air Customs formations are subject to vigilance clearance of the officers as on date. Before posting to the respective formations [i.e., Airport, ACC (UB) or ACC (I&E)], the competent authority shall ensure that the officers are clear from vigilance angle for the purpose. The officers posted to Airports/ UB/ I&E are for a period of 1 (One) year without prejudice to the right of the Department to transfer them earlier on administrative exigencies.

1323019/2023

3. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/ handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by 07.08.2023. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

4. In case of officers posted to Audit Commissionerate and DGGI formations, the Relieving Officers shall ensure that the officers who are being relieved are clear from vigilance angle, as on date of their relief.

5. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed of.

6. All officers under orders of Transfer vide Order no. 69/2023 dated 23.06.2023 who have not been relieved, stands relieved with immediate effect.

7. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

8. Report compliance by **11.08.2023**.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 29-07-2023 12:09:20
Reason: Approved
[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**

/1323019/2023

7. All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Custom Preventive/ Audit, Kochi.
9. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.
10. The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/ Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.
11. The Superintendent (EDP) – for uploading in website.
12. Hindi Cell – for Hindi Version.

1/323022/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2023-ESTT.

Date: .07.2023

ORDER No. 90/2023

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name (S/Shri./Smt.)	DOB	From	To
1	JISHNU A G	02.02.1988	(Airport, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
2	DEEPAK PANDAR	26.06.1989	(Airport, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
3	VINAY	25.09.1988	(Airport, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi
4	BINDU V	30.05.1969	(Airport, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi

done
 09/11/2023
 10/11/2023
 13/11/2023
 14/11/2023
 15/11/2023
 16/11/2023

/1323022/2023

5	UDAYASHANKA R D	05.11.1973	(Airport, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
6	SHEEBA R	30.05.1970	(Airport, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
7	SANAVE THOMAS	21.05.1980	(Airport, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
8	RENJINI P S	31.05.1971	(Airport, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
9	PUSHPA U	13.07.1967	(ACC (I&E), Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
10	BALAKRISHNAN T S	14.09.1964	(Airport, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
11	VIJAYA T N	13.08.1973	(Airport, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
12	BABU NARAYANAN M K	26.05.1964	(Airport, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
13	MURALI P	30.05.1970	(Airport, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
14	JACKSON JOSEPH	09.09.1979	(Airport, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

/1323022/2023

15	VEENA DHARMARAJ	11.09.1969	(Airport, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
16	SUNNY THOMAS	12.04.1973	(ACC (I&E), Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
17	PRAVEEN P V	25.05.1974	(ACC (UB), Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
18	SETHUMADHAV AN K P	20.05.1964	(Airport, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
19	PRAKASHAN K	19.03.1970	(Airport, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
20	BINDU K KATAYAMKOT	10.03.1971	(Airport, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
21	SREEVIDYA SUDHEER	27.12.1974	(Airport, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
22	PREMJITH K	15.05.1971	(ACC (I&E), Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
23	JINESH K.	07.11.1974	On Promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
24	ARUN R	21.12.1985	On Promotion	DRI TVM Regional Unit, CCO-CCA

/1323022/2023

25	KAVITHA L	21.11.1972	On Promotion	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
26	BADAL GAFOOR A	13.05.1986	On Promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
27	ARUNKUMAR A VIJAYAN	21.08.1986	On Promotion	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
28	NIRMALAKUMARI B	04.04.1964	Cochin International Airport, Nedumbassery	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
29	BIJU J MATHEW	10.04.1968	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	(Airport/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
30	BIJU K JACOB	31.05.1971	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
31	UNNIKRISHNAN K	25.04.1968	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	(Airport/I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
32	VIVEK V	30.10.1979	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	(Airport/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
33	SURAJ KUMAR P	16.05.1976	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
34	GLADIS JOHN	17.09.1979	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	(Airport/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

/1323022/2023

35	SUMIT KUMAR	09.09.1990	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	(Airport/I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
36	ASHISH KUMAR MEENA	09.04.1989	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	(Airport/I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
37	DHANYA NARAYANAN M	12.08.1980	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
38	SANDEEP UNNIKRISHNAN	04.12.1981	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
39	SHAHANA M	02.03.1980	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	(Airport/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
40	SENTHIL KUMAR M	14.09.1975	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
41	JINCY M P	21.05.1983	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	(Airport/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
42	VINAYA C R	08.05.1975	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	(Airport/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
43	REENA M	15.03.1972	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
44	SEENA A MALETH	09.01.1973	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

/1323022/2023

45	VIKARAMADITY A KUMAR	17.10.1982	UOT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
46	VIRENDRA KUMAR	10.01.1979	UOT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	(Airport/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
47	MIRAJ KK	20.05.1972	UOT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
48	ARAVIND KUMAR KAJLA	19.08.1985	On promotion	(Airport/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
49	DEEPAK KUMAR	03.10.1993	On promotion	(Airport/I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
50	VED PRAKASH	05.12.1991	On promotion	(Airport/I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
51	K M MANEESH	16.02.1991	On promotion	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
52	SANDEEP SINGH	21.03.1996	On promotion	(Airport/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
53	VIKRANT KUMAR VERMA	09.02.1993	On promotion	(Airport/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
54	JOFFEE JOSE	22.04.1970	DRI, Kochi Zonal Unit, CCO-CCA	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

/1323022/2023

55	SREEVALLABHA SENAN K	14.09.1972	DRI, Kochi Zonal Unit, CCO-CCA	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
56	CHITRA C R	29.01.1970	DRI Trivandrum Regional Unit, CCO-CCA	Central Tax & Central Excise Commissioneate, Kochi
57	JYOTHI M G	19.04.1972	NACIN Kochi, CCO-CCA	CCO (CPC)
58	MANJU KRISHNADAS	13.12.1986	DGGI Trivandrum Regional Unit, CCO-CCA	Central Tax & Central Excise Commissioneate, Thiruvananthapuram
59	PRAKASHAN V	25.03.1968	On Promotion	DRI Kannur Regional Unit, CCO-CCA
60	TAINUS MATHAI	31.05.1971	DGGI Kochi Zonal Unit, CCO-CCA	Central Tax & Central Excise Commissioneate, Kochi
61	ARAVINDA RAJA	14.01.1968	Central Tax & Central Excise Commissioneate, Kochi	DRI Kochi Zonal Unit, CCO-CCA
62	SREEJITH V	01.08.1982	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	DRI Kochi Zonal Unit, CCO-CCA
63	JIJI ABRAHAM	30.05.1973	Central Tax & Central Excise Commissioneate, Kochi	DRI Kochi Zonal Unit, CCO-CCA
64	JACOB JOSEPH	02.06.1986	Central Tax & Central Excise Commissioneate, Kochi	DRI Kozhikode Regional Unit, CCO-CCA

/1323022/2023

65	PRIYA KK	11.12.1979	UOT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	DRI Kozhikode Regional Unit, CCO-CCA
66	SATYAMURALI S	14.01.1968	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	DGGI Kochi Zonal Unit, CCO-CCA
67	SHASHIDHARAN	28.09.1968	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	NACIN Kochi, CCO-CCA
68	RAMASWAMY S	01.05.1965	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
69	MANOJKUMAR C	01.06.1965	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
70	RAJENDRAN NAIR A	18.05.1964	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
71	WILLIAMS M A	08.03.1973	On Promotion	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
72	SUBHASH P N	22.12.1972	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
73	DEEPU DIVAKARAN	17.04.1982	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
74	PRAKASH KG	28.05.1971	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi

1323022/2023

75	SREEKALA S.K.	13.10.1970	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
76	ANANDAN NAIR	31.05.1967	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
77	REJI P	11.04.1969	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
78	SANTHOSH BABU P D	20.02.1967	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
79	SAJITH KUMAR C R	31.05.1970	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
80	AJITH KUMAR B S	01.05.1969	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
81	VINODH R P	10.05.1981	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
82	SANJEEV T.S	16.04.1970	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
83	SAURAB KUMAR	20.05.1988	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
84	JOJU M MAMPILLY	14.01.1969	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	CCO (CPC)

/1323022/2023

85	PRAKASH M	28.05.1971	UOT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
86	TESSY MATHEWS	25.05.1967	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
87	SUBASH J SHENOY	14.11.1979	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
88	SATYAMENDRA SINGH	11.12.1985	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
89	BINDU REJIT	14.05.1974	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
90	VIJAYAKUMARI K G	13.06.1971	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
91	SIMLA K M	21.05.1972	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
92	UMADEV I M	11.05.1973	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
93	DINESH M	21.12.1972	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
94	RADHA GOPALAKRISHN AN	25.12.1968	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi

1323022/2023

95	KRISHNA KANT RANGOLIYA	29.06.1992	On promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
96	PANKAJ VARUN	20.09.1992	On promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
97	KSHITIZ SHAMINIT TIRKEY	25.03.1985	On promotion	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi
98	RAJ KHUNGUR BASUMATARY	27.12.1986	On promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
99	NEHA MEENA	19.09.1996	On promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
100	RAMSAGAR MEENA	08.07.1996	On promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode

2. The posting to the Air Customs formations are subject to vigilance clearance of the officers as on date. Before posting to the respective formations [i.e., Airport, ACC(UB) or ACC(I&E)], the competent authority shall ensure that the officers are clear from vigilance angle for the purpose. The officers posted to Airport/UB/ACC(I&E) are for a period of 1 (One) year without prejudice to the right of the Department to transfer them earlier on administrative exigencies.

3. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by 07.08.2023. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

4. In case of officers posted to Audit Commissionerate and DGGI, the Relieving Officers shall ensure that the officers who are being relieved are clear from vigilance angle, as on date of their relief.

/1323022/2023

5. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.
6. All Officers under order of transfer vide Order.No 68/2023 dated 23.06.2023 who have not been relieved stands relieved with immediate effect.
7. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.
8. Report compliance by **11.08.2023**.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 29-07-2023 12:12:06

Reason Approved
[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**
7. **The Additional/Joint Commissioner, Cochin International Airport, Nedumbassery.**
8. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
10. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
11. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.**
12. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
13. **Hindi Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2023-Estt

Date: 26.07.2023

ORDER NO. 89/2023

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthapuram GST &
 CX/Kochi/HAVALDAR/85166)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar, through SSC Multi-Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2021 – Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 18.07.2023, **Kum. Akhila Vijayan**, a candidate allocated by the Ministry for appointment as Havaldar vide letter FNo.A.1 2034/SSC/06/2020-Ad.III.B dated 09.05.2023 and DGHRD's letter F. No. 8/B/37/HRD(HRM)/2019/Pt.I dated 11.05.2023 (belongs to OBC category and allocated under **UR category**), is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **26.07.2023 (F.N)**.

2. **Kum. Akhila Vijayan** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is

done
 09/11/2023

/1316050/2023

subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 26-07-2023 14:03:35

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

To

**Akhila Vijayan
D/o Vijayan E K
Ettolil House, Pachakkadu K Chappathu P.O.,
Idukki District, Kerala - 685505 .**

Copy submitted to:

- 1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
- 2. The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

- 1. The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
- 2. The Superintendent (Vigilance/Hqrs.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
- 3. The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
- 4. The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1311359/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्तमंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/41/2020-Estt

Date: 24.07.2023

ORDER NO. 88/2023

Sub: Work Allocation among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate – Reg

In partial modification to Order No. 60/2023 dated 02.06.2023, the following changes in the work allocation among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate are hereby ordered with immediate effect:

2. Smt. C.T. Bindu, Deputy Commissioner is assigned the charge of Administration. Smt. Ajitha P., Assistant Commissioner is assigned the charge of Audit & Tax Arrear Recovery. Shri. R. Shyju, Assistant Commissioner is assigned the charge of CRU, OLIC, RTI (CPIO) & Training.

3. Accordingly, the revised work allocation/link officers among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, is given below:

Sl. No.	Name of Officer (S/Shri./Smt.)	Charges Assigned	1 st Link	2 nd Link
1.	C.T. Bindu	P&V, Systems & Administration	Michael T.H.	Sarath Chandran M.
2.	Michael T.H.	Legal & DGARM	N.S. Jayasree	C.T. Bindu
3.	Ranjit Santakumar	Adjudication & Review	Ajitha P.	R. Shyju
4.	N.S. Jayasree	Technical, Parliament Questions, RFD & Statistics	Ranjit Santakumar	Ajitha P.

Done
 09/11/2023

/1311359/2023

5.	Ajitha P.	Infrastructure, Audit & Tax Arrear Recovery	R. Shyju	Ranjit Santakumar
6.	Sarath Chandran M.	Anti Evasion, Prosecution, & Verification Cell	C.T. Bindu	Michael T.H.
7.	R. Shyju	CRU, OLIC, RTI (CPIO) & Training.	Sarath Chandran M.	N.S. Jayasree
8.	Maya Chandran	Aluva Division	Maya Kurian	Shanthi V.
9.	Harrison Antony	Ernakulam Division	Shanthi V.	Anil Raj R.
10.	Shanthi V.	Kakkanad Division	Anil Raj R.	Harrison Antony
11.	Maya Kurian	Chalakydy Division	Deepak Kumar	Roy Varghese
12.	Deepak Kumar	Thrissur Division	Maya Chandran	Maya Kurian
13.	Anil Raj R.	Perumbavoor Division	Roy Varghese	Deepak Kumar
14.	Roy Varghese	Idukki Division, Welfare, Sports & Headquarters	Anil Raj R.	Shanthi V.

4. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar

[Maneesh Kumar] 24-07-2023 15:49:38

Commissioner

To

The individuals.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **All Additional/Joint Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **All Deputy/Assistant Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
3. **All Section Heads in Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi - for uploading on website.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्तमंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2023-Estt

Date: 24.07.2023

ORDER NO. 87/2023
 (DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST &
 CX/Kochi/HAVALDAR/85197)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar, through SSC Multi-Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2021 - Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 18.07.2023, **Shri. Abhishek Kumar**, a candidate allocated by the Ministry for appointment as Havaldar vide letter F.No.A.1 2034/SSC/06/2020-Ad.III.B dated 09.05.2023 and DGHRD's letter F. No. 8/B/37/HRD(HRM)/2019/Pt.I dated 11.05.2023 under **OBC-HH category**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level - 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **24.07.2023 (F.N)**.

2. **Shri. Abhishek Kumar** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if

/1312157/2023

the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 24-07-2023 17:58:59

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

To

Shri. Abhishek Kumar
S/o Yogendra Prasad Yadav
New Officers Colony, West of Pole Factory,
Katihar District, Bihar – 854105.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Superintendent (Vigilance/Hqrs.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1312164/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आ्युक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2023-Estt

Date: 24.07.2023

ORDER NO. 86/2023
 (DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST &
 CX/Kochi/HAVALDAR/85191)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar, through SSC Multi-Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2021 - Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 18.07.2023, **Shri. Praveen Kumar N**, a candidate allocated by the Ministry for appointment as Havaldar vide letter F.No.A.1 2034/SSC/06/2020-Ad.III.B dated 09.05.2023 and DGHRD's letter F. No. 8/B/37/HRD(HRM)/2019/Pt.I dated 11.05.2023 under **UR-EXS category**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level - 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **24.07.2023 (F.N)**.

2. **Shri. Praveen Kumar N** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if

done
 25/11/2023

/1312164/2023

the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 24-07-2023 18:00:20

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

To

**Shri. Praveen Kumar N
S/o K R Narayana Pillai
Karalil Veedu, Koivila P.O.,
Kollam District, Kerala - 691590 .**

Copy submitted to:

- 1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
- 2. The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

- 1. The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
- 2. The Superintendent (Vigilance/Hqrs.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
- 3. The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
- 4. The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1312179/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2023-Estt

Date: 24.07.2023

ORDER NO. 85/2023
 (DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST &
 CX/Kochi/HAVALDAR/85184)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar, through SSC Multi-Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2021 - Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 18.07.2023, **Shri. Sanjay Pippal**, a candidate allocated by the Ministry for appointment as Havaldar vide letter F.No.A.1 2034/SSC/06/2020-Ad.III.B dated 09.05.2023 and DGHRD's letter F. No. 8/B/37/HRD(HRM)/2019/Pt.I dated 11.05.2023 under **SC category**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level - 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **24.07.2023 (F.N)**.

2. **Shri. Sanjay Pippal** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if

done
 08/11/2023

/1312179/2023

the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 24-07-2023 18:01:34

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

To .

Shri. Sanjay Pippal
S/o Raghavendra Singh Pippal
Ganesh Colony, Manohar Nagar,
Morena District, Madhya Pradesh - 476001 .

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2023-Estt

Date: 24.07.2023

ORDER NO. 84/2023
 (DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST &
 CX/Kochi/HAVALDAR/85181)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar, through SSC Multi-Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2021 - Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 18.07.2023, **Shri. Abhishek Singh**, a candidate allocated by the Ministry for appointment as Havaldar vide letter F.No.A.1 2034/SSC/06/2020-Ad.III.B dated 09.05.2023 and DGHRD's letter F. No. 8/B/37/HRD(HRM)/2019/Pt.I dated 11.05.2023 under **OBC category**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level - 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **24.07.2023 (F.N)**.

2. **Shri. Abhishek Singh** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if

done
 08/11/2023

/1312222/2023

the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC/EWS or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 24-07-2023 18:10:15

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

To

**Shri. Abhishek Singh
S/o Veer Pal Singh,
Village Nagla Bahadur, Post Makkhanpur,
District Firozabad, Uttar Pradesh - 283145.**

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.
2. The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.

Copy to:

1. The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.
2. The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.
3. The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.
4. The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.

1131222/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्तमंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(3)/23/2023-ESTT-O/o Pr COMM-R-CGST-KOCHI Date: 24.07.2023

1. The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi
 2. The Superintendent (Welfare/Hqrs/Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi)
 3. The Superintendent (Systems) Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi
 4. The Superintendent (Administration) Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi
- ORDER NO. 84/2023
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthapuram GST & Hqrs, Kochi)
GEX/COCHI/HAVALDAR/85481
- Sub: Appointment to the grade of Havaldar, through SSC Multi-Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2021 - Regd.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi, the Commission's offer of appointment of even no. dated 18.07.2023, Shri. Abhishek Kumar, a candidate allocated by the Ministry for appointment as Havaldar vide letter F.No.A.1/2034/SSC/06/2020-Ad.III.B dated 09.05.2023 and DGHRD's order No. 8/B/37/HRD(HRM)/2019/Pt.I dated 11.05.2023, is hereby confirmed. He is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, New Onnesha Colony, West of the factory, s/o Yogendra Prasad Yadav, Thiruvananthapuram, Kerala. He is appointed in Level - 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from 24.07.2023 (F.N).

It is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during the period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, he may, in his discretion, terminate his services or pass such orders as may be deemed fit in the circumstances. The above candidate is also informed that his appointment is subject to the caste/tribe certificate being verified through the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC,

4. The above candidate is also informed that his appointment is subject to the caste/tribe certificate being verified through the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC,

/1312194/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 विचमंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, LS. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: sexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2023-Estt

Date: 24.07.2023

ORDER NO. 83/2023

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST &
 CX/Kochi/HAVALDAR/85180)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar, through SSC Multi-Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2021 - Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 18.07.2023, **Shri. Raju Prasad Yadav**, a candidate allocated by the Ministry for appointment as Havaldar vide letter F.No.A.1 2034/SSC/06/2020-Ad.III.B dated 09.05.2023 and DGHRD's letter F. No. 8/B/37/HRD(HRM)/2019/Pt.I dated 11.05.2023 under **OBC category**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level - 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **24.07.2023 (F.N)**.

2. **Shri. Raju Prasad Yadav** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if

done
 08/11/2023

/1312194/2023

the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC/EWS or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 24-07-2023 18:05:10

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

To

**Shri. Raju Prasad Yadav
S/o Ram Prakash Yadav
Vill-Bhita Kala, Post-Malhawar,
District-Basti, Uttar Pradesh - 272151.**

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1312186/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2023-Estt

Date: 24.07.2023

ORDER NO. 82/2023
 (DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST &
 CX/Kochi/HAVALDAR/85176)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar, through SSC Multi-Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2021 - Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 18.07.2023, **Shri. Sunny Kumar**, a candidate allocated by the Ministry for appointment as Havaldar vide letter F.No.A.1 2034/SSC/06/2020-Ad.III.B dated 09.05.2023 and DGHRD's letter F. No. 8/B/37/HRD(HRM)/2019/Pt.I dated 11.05.2023 under **EWS category**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level - 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **24.07.2023 (F.N)**.

2. **Shri. Sunny Kumar** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if

done
 08/11/2023

/1312186/2023

the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC/EWS or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 24-07-2023 18:03:07

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

To

Shri. Sunny Kumar
S/o Jitendra Jha
At Parihara, PO-Parihara, PS-Bakhri,
Begusaarai District, Bihar - 851225.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1312132/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्तमंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2023-Estt

Date: 24.07.2023

ORDER NO. 81/2023
 (DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST &
 CX/Kochi/HAVALDAR/85164)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar, through SSC Multi-Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2021 - Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 18.07.2023, **Shri. Chandan Kumar**, a candidate allocated by the Ministry for appointment as Havaldar vide letter FNo.A.1 2034/SSC/06/2020-Ad.III.B dated 09.05.2023 and DGHRD's letter F. No. 8/B/37/HRD(HRM)/2019/Pt.I dated 11.05.2023 (belongs to OBC category and allocated under **UR category**), is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level - 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **24.07.2023 (F.N)**.

2. **Shri. Chandan Kumar** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is

Done
 08/11/2023

/1312132/2023

subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 24-07-2023 17:55:42

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

To

Shri. Chandan Kumar
S/o Ganesh Prasad
Vill-Chananpur, Post-Akauna,
PS-Masaurhi, Patna District, Bihar-804453.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Superintendent (Vigilance/Hqrs.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1312210/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त-मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: gexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2023-Estt

Date: 24.07.2023

ORDER NO. 80/2023
 (DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST &
 CX/Kochi/HAVALDAR/85155)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar, through SSC Multi-Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2021 - Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 18.07.2023, **Shri. Chanchal P. J.**, a candidate allocated by the Ministry for appointment as Havaldar vide letter F.No.A.1 2034/SSC/06/2020-Ad.III.B dated 09.05.2023 and DGHRD's letter F. No. 8/B/37/HRD(HRM)/2019/Pt.I dated 11.05.2023 (belongs to OBC category and allocated under **UR category**), is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level - 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **24.07.2023 (F.N)**.

2. **Shri. Chanchal P. J.** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is

down
 08/11/2023

/1312210/2023

subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 24-07-2023 18:07:38

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

To

**Shri. Chanchal P J
S/o P S Janardanan
Puthukulathil House,
Edakkattuvayal P.O.,
Ernakulam District, Kerala - 682313 .**

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Superintendent (Vigilance/Hqrs.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1294412/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/28/2020 - Estt

Date: 13 .07.2023

ORDER NO. 79/2023

Sub: Promotion to the grade of Tax Assistant - Reg

The following Lower Division Clerks are hereby promoted to the grade of Tax Assistant in Level - 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by Government of India from time to time with effect from the date of joining the promoted post.

Sl. No.	Name (S/Shri.)	Date of Birth	Present place of posting
1.	A. Kamalesh	18.03.1977	Kozhikode Commissionerate
2.	Vivek Biju Bose	29.11.1991	Kochi Commissionerate
3.	Joseph Rolent Padua	02.05.1973	Kochi Commissionerate
4.	Manoj Kumar K V.	01.09.1973	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
5.	Finser K.P.	02.05.1975	Kozhikode Commissionerate
6.	Baiju P.R.	04.02.1971	Kochi Commissionerate
7.	Sunil Kumar C.G.	08.02.1968	Kozhikode Commissionerate
8.	Noushad P.	05.03.1975	Kozhikode Commissionerate

2. The officers should join the promoted post on or before **31.07.2023** failing which this order will be treated as cancelled. Refusal, if any, should be submitted in writing immediately. They will have to exercise option for pay fixation in terms of DoPT OMs dated 26.09.1981, 05.07.1999 and 27.07.2017 within one month from the date of joining the promoted post. The option once exercised shall be final.

3. The compliance report by the Controlling Officers/Officers concerned

Done
 06/11/2023
 07/08

/1294412/2023

regarding joining/non-joining of the officers should be sent to this office by
07.08.2023.

4. Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 13-07-2023 19:05:20

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vig/Systems/Headquarters), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**
3. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2023-ESTT.

ORDER No. 78/2023

Sub: Transfer & Posting in the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

In partial modification of Order No. 70/2023 dated 23.06.2023, the following transfer & posting in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered with immediate effect.

Sl. No	Name (S/Shri./ Smt.)	D.O.B	From	To
1.	GEETHA K P	28-01-1969	UoT Vandiperiyar Range	to Ernakulam Range 3

2. Supervisory officer shall ensure that the officer is relieved from her previous post only after proper relieving/ handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officer is to join her new place of posting latest by 17.07.2023. Supervisory officer will be held responsible if the officer is not getting relieved within the stipulated time.

3. No representation shall be entertained from the officer before her joining the new place of posting.

/1289178/2023

4. Report compliance by **21.07.2023**.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 12-07-2023 12:51:43
(Maneesh Kumar)
Commissioner

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Sections, Central Tax & Central Excise, Hqrs. Kochi**
3. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
4. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
5. **The Superintendent (EDP) – for uploading in website.**
6. **Hindi Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: sexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

File No. II/(3)/APPT/25/2020

ORDER No. 77/2023

Sub: Promotion to the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following Inspectors of Central Tax & Central Excise are hereby promoted on **Ad-hoc and in-situ basis** to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, in Level-8 of the Pay Matrix (corresponding to pay band of Rs. 9,300- 34,800 (PB-2) GP – Rs. 4,800/- in pre-revised scale) plus such allowances as may be applicable with effect from the date of assuming charge of the higher post and until further orders.

Sl No	Name(S/Shri/Smt)	Date of Birth
1	ARAVIND KUMAR KAJLA	19-08-1985
2	DEEPAK KUMAR (SC)	03-10-1993
3	VED PRAKASH (HH)	05-12-1991
4	K M MANEESH (SC)	16-02-1991
5	SANDEEP SINGH (SC)	21-03-1996
6	VIKRANT KUMAR VERMA (SC)	09.02.1993
7	KRISHNA KANT RANGOLIYA (SC)	29-06-1992
8	PANKAJ VARUN (SC)	20-09-1992
9	KSHITIZ SHAMINIT TIRKEY (ST)	25-03-1985
10	RAJ KHUNGUR BASUMATARY (ST)	27-12-1986
11	NEHA MEENA (ST)	19-09-1996
12	RAMSAGAR MEENA (ST)	08-07-1996

V# -
done
06/11/2023

/1315333/2023

2. The officers mentioned above should join the higher post immediately and not later than **31.07.2023**.
3. The promotion of the Inspectors to the grade of Superintendent is subject to the outcome of SLP No. 20810/2012 filed by the Department against High Court Order dated 28.03.2012 in OP (CAT) No. 4305/2011, OP (CAT) No. 999/2012, OP (CAT) No.998/2012, OP (CAT) No. 968/2012, O.A. No. 180/00806/2014 in CAT (EB) and any other pending cases in concerned Courts/ Tribunals.
4. The compliance report about joining/non-joining of the officers should be sent to this office by **02.08.2023**.
5. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 26-07-2023 11:29:56
[Maneesh Kumar]
Commissioner

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**
7. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
9. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**

/1315333/2023

10. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.**
11. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
12. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1286817/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

Date: .07.2023

Order No. 76/2023

Sub: Transfer and posting in the grade of Stenographer Grade-II – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following transfer and posting in the grade of Stenographer Grade-II is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (Smt.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Shikha Malhotra	25.11.1991	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	CCO-CCA

2. This is issued with the approval of the competent authority.
3. Hindi version follows.

Signed by

Rani C R

Date: 12-07-2023 [Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

The individual (Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.
2. The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.

Copy to:

1. The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.
2. The Superintendent (Systems)/(Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.
3. The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.

Done
 26/10/2023 To
 03/11/2023

1303126/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/VIG/MISC/295/2021-VIG

दिनांक/Date: 19.07.2023

VIGILANCE CIRCULAR No. 02/2023**Sub: Marking of attendance in AEBAS System- Reg:-**

DoPT vide F.No.11013/13/2023 dated 23rd June 2023 has issued instructions that all employees should mark their attendance in AEBAS without fail (Copy enclosed). It has come to the notice of the undersigned that certain Officers are not regularly marking their attendance in AEBAS systems.

The following Guidelines are issued for strict compliance:-

1. All Officers without any exception will be required to mark their attendance at arrival and at departure time in the AEBAS machine.
2. The office timings as prescribed in this office Memorandum C. No. II/39/29/2015 Vig Cx Chn dated 25.06.2015 may be scrupulously followed. Each official has to put in at least 40 hours of work time for the full 5 days a week.
3. As per extant instructions, (as contained in DoPT O.M. No. 28034/8/75- Estt.A dated 04.07.1975; No. 28034/10/75/Estt.-A dated 27.08.1975; No. 28034/3/82-Estt.-A dated 05.03.1982) half-a-day's Casual Leave should be debited for each day of late attendance, but late attendance up to an hour, on not more than two occasions in a month, and for justifiable reasons may be condoned by the Assistant/Deputy Commissioners. Suitable

Done
 23/11/2023

/1303126/2023

disciplinary action may be initiated by the Controlling Officer, in addition to debiting half-a-day's Casual Leave against Government servants who are habitually late. Early leaving is also to be treated in the same manner as late coming.

4. The Divisional Officers should ensure that the AEBAS machines are properly installed and is in good working condition. In offices where the devices may not function properly on some days, the officers are required to maintain a register in the format as detailed below.

Sl. No.	Date	Name of the Officer & Designation	Time In	Time Out	Signature	Countersign by the Supervisory Officer

5. All leave applications are required to be dealt with as per the directions in Vigilance Circular No. 01/2023 dated 10.01.2023. All leave are also required to be entered in advance in the BAS and in cases where it is not done the same will be treated as unauthorised absence.
6. Where an officer is required to go for an official duty such as search/Tour/Training in another office directly from home, or proceed in the late afternoon from where he/she is not likely to return to office, an intimation to this effect will be furnished in advance to his/her Supervisory Officer. In case an officer is to attend some other Government office then such officer should mark his/her attendance in that office in the morning or evening as the case may be.
7. It is the duty of the reporting officer to ensure that all the subordinate officers are properly mapped under them and are marking their attendance in the System properly. If the officers are not marking attendance or found absent without leave in the BAS, the reporting/controlling officer will be held responsible. A report must be sent to the Superintendent (Systems) immediately on joining/relief of an officer or when there is a change in the reporting officer so that all officers can be properly mapped in / mapped out.
8. All Assistant/Deputy Commissioners are directed to check whether all officers working under them are properly mapped, verify their

1/303126/2023

attendance and check whether the entries made therein are in compliance with the points mentioned in this Circular.

9. This is issued with the approval of the Commissioner.

Signed by

Rani C R

Date: 19-07-2023 13:24:25
(Rani C. R.)

Additional Commissioner (P&V)

To:

1. **The Assistant Commissioner, Hqrs. Office, Kochi**
[Prev.-PRO-Prosecution-Arrear Cell/Admn.-P&V-Sevattom/Tech-Stat-/ Review/Adjn./EDP-GST Cell/Legal-RTI-Training/Audit]
2. **The Deputy/Assistant Commissioner,**
Kakkanad/Idukki/Aluva/Thrissur/Perumbavoor/Ernakulam/Chalakkudy Division
3. **The Chief Accounts Officer, Hqrs. Office, Kochi**
4. **All Section Heads, Hqrs. Office, Kochi**
5. **The Superintendent (Systems) for uploading the Circular in the official website.**

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner, Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner, Central Tax & Central Excise, Trivandrum/Kozhikode/Audit/Appeals.**
3. **The Commissioner of Customs, Customs Preventive, Kochi**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, LS. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/60/2023-ESTT

Date: .07.2023

CIRCULAR

Sub: Constitution of Committee for Rozgar Mela - Recruitment drive to be held on 22.07.2023 - Reg.

The following committees have been constituted with the following Officers of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone for the smooth conduct of the "Rozgar Mela" on 22.03.2023 (Dry run on 21.07.2023).

A. Coordination and Control Committee				
Sl.No	Name of the Officer (Shri./Smt./Ms.)	Head of the Committee/ Member	Contact Details	Duties Assigned
1	Sabu Sebastian K, Assistant Commissioner (CCO)	Head of the committee	8369235205	To coordinate with all other Committees for making necessary arrangements for the Rozgar Mela.
2	Subha Chandran, Assistant Commissioner (CH)	Member	9349283285	
3	Sunil V T, Superintendent (CCO)	Member	9497163884	To act as liaison between HRD/HRM/CBIC with local nodal officers.
4	Renjith Krishnan M, Inspector	Member	9497312174	
B. Reception and Help Desk Committee				
Sl.No	Name of the Officer (Shri./Smt./Ms.)	Head of the Committee/ Member	Contact Details	Duties Assigned
1	C T Bindu, Deputy Commissioner	Head of the committee	9447464676	
2	Rekha Tulsidas, Chief Accounts Officer (CH)	Member	9446447897	

/1293076/2023

3	Shashidharan Superintendent	Member	9895071410	<p>1. For facilitating new appointees.</p> <p>2. Managing Common information folders, appointee's data and folders for handing over appointment letters.</p> <p>3. Seating arrangements for the dignitaries, candidates and other guests present at the venue.</p> <p>4. Setting up of Helpdesks/kiosks.</p> <p>5. Arrangement of Common posters/ Banners/ Cut-offs/ logo.</p>
4	Tojo Davis, Superintendent	Member	9447002124	
5	Biju George, Superintendent	Member	9946852480	
6	Sabu Peter A, Superintendent	Member	9446338422	
7	Lekshmi Kumari C, Superintendent	Member	9847877085	
8	Anita Sethunath, Superintendent	Member	9447760722	
9	Nikhil Verma, Superintendent (CH)	Member	8218134078	
10	Avisha Obulesu, Superintendent (CH)	Member	6235075959	
11	Shijimol P U, Inspector	Member	8589022625	
12	Neha Meena, Inspector	Member	8290658954	
13	Sethu R, Executive Assistant	Member	9496466262	
14	Leena Singh, Executive Assistant	Member	9540422708	
15	Nikhil C Babu, Tax Assistant	Member	9656135912	
16	Delsha Rose Davis, Tax Assistant (Audit Commissionerate)	Member	9947633003	
17	Neeraja S Nair, Tax Assistant (CCO)	Member	9562786160	
Sub-committee for printing/ stationery				
1	Bhaskarnath, Superintendent	Member	9495773777	
2	Priya K M, Superintendent	Member	9895174697	
3	Anuj Kumar Rawat, Inspector	Member	7907502762	
4	Vinay Krishna Dasi, Executive Assistant (CH)	Member	8008810066	

1293076/2023

5	Ravi Ranjan Kumar, Executive Assistant (CH)	Member	8584055755	
C. Program Committee				
Sl.No	Name of the Officer (Shri./Smt./Ms.)	Head of the Committee/ Member	Contact Details	Duties Assigned
1	P.G. Laloo, Assistant Commissioner (CH)	Head of the committee	9495216556	For the purpose of anchoring/compering/managing the program/podium.
2	N S Jayasree, Assistant Commissioner	Member	9447579619	
3	Belinda Rebello, Superintendent (CCP)	Member	9447052535	
4	Prakash Alex, Superintendent (CCP)	Member	6282241427	
5	S Suresh, Superintendent (Audit Commissionerate)	Member	9567988908	
6	Jasmin Basheer K, Executive Assistant (CCP)	Member	9895204750	
7	Nazia Sulthana N, Executive Assistant (CCO)	Member	9847254282	
D. Protocol/Reception Committee at Airport/ Venue				
Sl.No	Name of the Officer (Shri./Smt./Ms.)	Head of the Committee/ Member	Contact Details	Duties Assigned
1	Roy Varghese, Assistant Commissioner	Head of committee	9884601602	
2	Raghuraj K Superintendent	Member	9605330125	
3	Yoosaf Ibrahim, Superintendent	Member	9846697555	
4	Nishkarsh Sharma, Inspector	Member	9460870185	

/1293076/2023

5	Adarsh K Das, Inspector	Member	7528956480	Coordination with Airport authorities and Protocol for Higher officials/ Local protocol for dignitaries at venue.
6	Kiran S, Inspector	Member	8547532709	
7	Sajith Mohan, Inspector	Member	7558933807	
8	Jithin Jose, Inspector	Member	9400600020	
9	Ziyad Hashim N I, Inspector (CCP)	Member	9400261495	
10	Sumit Kumar Varshney, Inspector	Member	9235523090	
11	Ch.Ashok Vishwanath, Preventive Officer (CH)	Member	9952976560	
12	Deepesh, Preventive Officer (CH)	Member	9024233217	
13	Maroju Sreehas, Preventive Officer (CH)	Member	9052056884	
14	Vishnu Rengaman, Preventive Officer (CH)	Member	9847233487	

E. Transport and Logistics

Sl.No	Name of the Officer (Shri./Smt./Ms.)	Head of the Committe/ Member	Contact Details	Duties Assigned
1	Michael T H, Assistant Commissioner	Head of the committee	9446040903	Arranging Transportation facilities for the dignitaries and candidates/ Arrangement of First aid/ ambulance/ fire brigade/ parking arrangement at venue/ standby electricity.
2	Subhash J Shenoy, Superintendent (CCP)	Member	9895365407	
3	Justine J, Superintendent	Member	9846072529	
4	Kumar Vaibhav Varun, Superintendent (CH)	Member	9871247366	
5	Basil Philip, Inspector	Member	9496022111	
6	Sanjay Pradeep, Inspector	Member	7907958261	

/1293076/2023

7	Shinumon Augustin, Inspector (CCP)	Member	914206059	
8	Rakesh K R, LDC	Member	8714217340	
F. Technical Committee				
Sl.No	Name of the Officer (Shri./Smt./Ms.)	Head of the Committee/ Member	Contact Details	Duties Assigned
1	Ramachandran M R, Assistant Commissioner (CCO)	Head of the committee	9447909295	1. Coordinating with team at NIC. 2. Provision of the internet at the venue for joining through the virtual link which will be shared. 3. Arrangements for viewing of the PM address on large screens as per the capacity.
2	Rejith S, Superintendent	Member	9495105522	
3	R Ratheesh, Superintendent (CH)	Member	9846414142	
4	Prabodh S, Superintendent	Member	9995361697	
5	Rohit Singh, Inspector	Member	9027441102	
6	Midhun A, Inspector	Member	8827402347	
G. Media Committee				
Sl.No	Name of the Officer (Shri./Smt./Ms.)	Head of the Committee/ Member	Contact Details	Duties Assigned
1	Netticadan Antonio, Assistant Commissioner (Audit Commissionerate)	Head of the committee	9495466577	1. Liaison with Doordarshan, AIR, Print Medias and other private channels and ensure maximum coverage of the program. 2. Wide publicity of the program. 3. Arrangements for taking photographs with dignitaries and taking bytes from some of the new appointees. 4. Media coverage to be shared with DoPT.
2	Joe Antony, Superintendent	Member	9400528310	
3	Jyothi Mohan, Superintendent (CH)	Member	9497459948	
4	Rosalind Jose Thomas Koruthu, Senior Hindi Translation Officer	Member	8547853938	
5	Vishnu Sathyan, Inspector	Member	8919872318	
6	Kumari Prerna, Preventive Officer (CH)	Member	8210334109	

/1293076/2023

H. Refreshment Committee				
Sl.No	Name of the Officer (Shri./Smt./Ms.)	Head of the Committe/ Member	Contact Details	Duties Assigned
1	Ranjit Santakumar, Assistant Commissioner	Head of the committee	7012211299	Arranging refreshments for the Guests/Officials/Candidates.
2	Sreekumaran Unni K, Superintendent (CCO)	Member	9895395951	
3	T. R. Ragini Devi, Superintendent (CCO)	Member	9496753843	
4	Karun Vijay M, LDC	Member	7994629163	
I. Budget and Accounts Committee				
Sl.No	Name of the Officer (Shri./Smt./Ms.)	Head of the Committe/ Member	Contact Details	Duties Assigned
1	Sunitha P. L, Chief Accounts Officer	Head of the committee	9446428277	Obtaining expenditure sanction from the Competent Authorities and managing the budget/Accounts.
2	Rekha Tulsidas, Chief Accounts Officer (CH)	Member	9446447897	
3	Sheeji K T, Administrative Officer	Member	9446048978	

All the Committee members are requested to act in co-ordination with the heads of the respective committees for the smooth conduct of the Rozgar Mela.

This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Signed by
 Maneesh Kumar
 (Maneesh Kumar)
 Date: 13-07-2023 15:37:41
 Commissioner

To

The Individuals.

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone, Kochi-682 005.
2. The Commissioner of Customs, Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.
3. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit

1/293076/2023

● **Commissionerate, Kochi.**

4. **The Commissioner of Customs, Custom House, Cochin.**

/1279820/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्तमंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2023-ESTT

To

**The Commissioner of Central Tax ,Central Excise & Customs
Trivandrum/Kozhikode/CCP/Audit/Appeals Commissionerate**

Sir,

Sub: Annual General Transfer 2023 - Representations - reg

All representations with respect to Annual General Transfer 2023, particularly in respect of those officers who have not submitted online are requested to submit the same online immediately and not later than 10.07.2023 positively.

This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax and Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Yours faithfully,

Signed by

Rani C R

Date: 06-07-2023 17:01:43

(Rani C. R.)

Additional Commissioner

Copy submitted to:

Office of The Chief Commissioner, Thiruvananthapuram Zone

Copy to:

1. The Deputy/Assistant Commissioner
Ernakulam/Kakkanad/Thrissur/Chalakkudy/Aluva/Perumbavur/Idukki
Divisions
2. All Sections of Headquarters Office, Kochi.

Done
23/11/2023